Ministry of Ports,
Shipping & Waterways
Government of India

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001 Certified & ISPS Compliant

2024-25

प्रशासनिक रिपोर्ट
वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट

GREENENVIRO
FOUNDATION
1ST GREENENVIRO
SAFETY
AWARD 2025
DELHI
SILVER AWARD
awarded to
VISAKHAPATNAM PORT AUTHORITY
VISAKHAPATNAM
CATEGORY
SAFETY EXCELLENCE
SERVICE SECTOR
Rimjhim Kumari
RIMJHIM KUMARI
Founder & Director
Green Enviro Foundation

प्रशासनिक रिपोर्ट

वार्षिक लेखा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट

2024–25

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

आईएसओ 9001, आईएसओ 14001,
ओहेचएसएएस 45001
प्रमाणित एवं आईएसपीएस शिकायत

दूरदर्शिता

- विश्व स्तरीय सेवाओं का अर्पण करने वाले सख्त, कायम रखने वाले और भूस्वामी पोर्ट।

हमारा ध्येय

- भारत के पूर्वी तट पर लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रेणी में एक प्रमुख भागीदार बनना।
- पत्तन, पोतपरिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मेरीटाईम इंडिया 2047 विज़न के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।
- व्यवसाय भागीदार के लिए लॉजिस्टिक लागत को अनुकूलित करना।

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

विषय वस्तु

न्यासी मंडल

पोर्ट के प्रमुख अधिकारी

वर्ष पर एक नजर (भौतिक संकेतक)

वर्ष पर एक नजर (वित्त्तीय संकेतक)

अध्यक्ष का संदेश

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यकी

परिचालन निष्पादन

पूँजी व्यय

मानव संसाधन विकास

सुरक्षा उपाय

पर्यावरण प्रबंधन

कॉर्पोरेट सामाजित उत्तरदायित्व (सी.एस.आर)

अन्य घटनाएं

अनुलग्नकों की विषय–वस्तु.

वार्षिक लेखा एवं लेखों पर टिप्प्पणी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई ।

2024–25 को विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के मंडल न्याईसी

01	डॉ. एम. अंगमुत्थु भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस	उपाध्यक्ष
03	श्री संजय राथी, आई.आर.एस.	सीमा शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी के प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, पोर्ट एरिया, विशाखपट्टणम– 530 035 (सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व)
04	श्री एन. युवराज, भा.प्र.से	आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव, पूर्वावश्यकता एवं निवेश विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। (आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व)
05	श्री डिब्बनजन रॉय, आई.आर.टी.एस.,	चीफ फ्राइट ट्रान्यपोर्टेशन मैनेजर, पूर्व तट रेल्वे, भुवनेश्वर (रेल्वे का प्रतिनिधित्व)
06	श्री मनदीप सिंह रांधवा, आई.पी.एस	निदेशक पत्तन, पोतपरिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली – 110 001 (एमओपीएसडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व)
07	कमांडर रजनीश शर्मा	नौसेना प्रभारी अधिकारी (एपीडी) पूर्व नौसेना बाग, विशाखपट्टणम (रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधित्व)
08	श्री यू. पोतन्ना	यातायात विभाग, विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण (वीएच एवं पीडब्ल्यू यूनियन का प्रतिनिधित्व)
09	श्री के.वी. आंजनेय राव	यांत्रिक एवं विद्युत अभियंता विभाग, विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण (वीपीई यूनियत का प्रतिनिधित्व)

31.03.2025 को पोर्ट प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारी

01	डॉ,एम. अंगमुत्थु, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस.	उपाध्यक्ष
03	श्री पी.एस. लिंगेश्वर स्वामी, आई.ओ.एफ.एस.	मुख्य सतर्कता अधिकारी
04	श्री टी. वेणुगोपाल,	सचिव
05	कप्तान टी. श्रीनिवास	उपसंरक्षक
06	श्री डी. रमण मूर्ति	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
07	श्रा आर.एन.हरि कृष्णा	मुख्य यांत्रिक अभियंता
08	श्री एम. हरिया,	मुख्य अभियंता प्रभारी (01.07.2023 से 26.07.2024 तक)
	श्री एन.एस. रामचंद्रमूर्ति	मुख्य अभियंता (27.07.2024 से)
09	श्री रामशेखर याजी	यातायात प्रबंधक
10	डॉ एस. उषा देवी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

वर्ष 2024–25 पर एक नज़र

भौतिक संकेतक

विवरण	यूनिट	2024–25	2023–24
विदेशी यातायात	मिलियन टन	63.19	62.88
तटीय यातायात	मिलियन टन	19.43	18.21
पीपीपी बर्थ	मिलियन टन	37.01	37.13
वीपीए बर्थ	मिलियन टन	45.61	43.96
कुल यातायात	मिलियन टन	82.62	81.09
कंटैनर यातायात	टी ई यू	618.093	672,629
जहाय प्रविष्टि – आंतरिक बंदरगाह	संख्या	1,130	1,267
जहाज प्रविष्टि – बाह्य बंदरगाह	संख्या	997	1,002
जहाज प्रविष्टि – कुल	संख्या	2,127	2,269
औसत प्री ब्रर्थिगं अवरोधन	घंटों	0.92	0.63
औसत आवर्तन काल (पायलट में चढ़ने से लेकर उतरने तक)	घंटों दिनों	69.19 2.88	65.86 2.74
प्रति जहाज बर्थ दिवस आउटपुट	टन्स	14,010	13,687
औसत पार्सल साईज	टन्स	39,096	36,295
पोर्ट रेल्वे द्वरा संचालित कार्गो	मिलियन टन	28.75	32.12
प्रति गैंग शिफ्ट आउटपुट	टन्स	552	755
31 मार्च, 2025 तक कार्यरत व्यक्ति (कार्गो हैंडलिंग डिवीजन सहित – (पूर्व वीडीएलबी)	संख्या	2,272	2,305

वर्ष 2024–25 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत (रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2024–25	2023–24
1	तुलन पत्र		
ए	देयताएं		
	(i) पूँजी आरक्षण	1026.50	1024.19
	(ii) अन्य आरक्षण	3900.40	3227.67
	(iii) ऋण	––	––
	(iv) पूँजीगत ऋण	––	––
	(v) प्राप्त अनुदान	48.96	23.96
	(vi) चालू देयताएं एवं प्रावधान एवं अन्य देयताएं	3725.49	3220.74
	(vii) विलंबंत कर देयताएं	––	––
	कुल (i से vii तक)	8701.35	7496.56
बी	परिसंपत्तियाँ		
	(i) स्थिर परिसंपत्तियाँ (शुद्व ब्लॉक)	3342.43	3246.08
	(ii) घाटा मूल्यह्वास	–995.32	–958.25
	(iii) शुद्व नियत परिसंपत्तियाँ	2347.11	2287.83
	(iv) प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	406.07	335.74
	(v) निवेश	539.87	527.40
	(vi) चालू ऋण परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	5315.71	4275.58
	(vii) विवध व्यय	––	––
	(viii) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	92.59	70.03
	कुल (i से viii तक)	8701.35	7496.56
ह	कार्यशील पूँजी	1590.22	1054.83
क	शूद्व मूल्य	4926.90	4251.86
म	नियोजित पूँजी	3937.33	3342.65
२	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	17.15	21.67
ळ	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	4343.40	3678.39
भ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित	15.55	19.69
ए	परिचालन अनुपात	37.90	39.54
	वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय	240.06	326.05
II	लाभ और हानि खाता		
ए	आय		
	परिचालन आय	2115.27	2074.75
	गैर–परिचालन आय	337.56	359.44
	कुल	2452.83	2434.19

वर्ष 2024–25 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत (रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2024–25	2023–24
बी	व्यय		
	परिचालन व्यय	801.73	820.42
	गैर–परिचालन व्यय	654. 93	560.26
	कुल	1456.66	1380.68
सी	कर और विनियोग से पहले शुद्ध अधिशेष/घाटा या लाभ	996.17	1053.51
	घाटाः कर के लिए प्रावधान		
	पिछले वर्षों	––	––
	फ्रिंज लाभ कर	––	––
	चालू वर्ष	343.32	356.70
	आस्थगित कर	–22.56	–27.46
	कर के बाद लाभ	675.41	724.27
डी	घाटारू अचल संपत्तियों के निपटान और पूंजी आरक्षित में		
	स्थानांतरित होने पर लाभ	2.31	4.68
ई	विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	673.10	719.59
एफ	घाटा अनिवार्य विनियोजन/आरक्षित निधि में स्थानांतरण (शुद्ध लाभ)	236.24	200.56
जी	अधिशेष को सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया गया (शुद्ध लाभ)	436.86	519.03
हेच	कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत		
	परिचालन आय	31.93	34.91
	शुद्ध अचल संपत्तियां	28.78	31.66
	निवल मूल्य	13.71	17.03

अनुपात विश्लेषण के लिए कार्य निम्नानुसार हैं

क्रम.स	अनुपात विश्लेषण (तरलता और शोधन क्षमता)	2024–25	2023–24
1	चालू दायिताएं से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	142.68	132.75
2	चालू दायिताएं में त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	88.41	80.34
3	चालू दायिताएं में तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	77.13	67.22
4	परिचालन आय में विविध देनदारों का प्रतिशत	19.86	20.37
5	ऋण पूंजी आरक्षण और अन्य आरक्षणों का प्रतिशत	––	––
6	चालू परिसंपत्तियों से कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	61.09	57.03
7	प्रचालन आय में प्रचालन व्यय का प्रतिशत	37.90	39.54

अध्यक्ष का संदेश

न्यासी मंडली को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विशाखपट्टणण पोर्ट प्राधिकरण की 91वीं प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, वीपीए ने 82.62 मिलियन टन (पोर्ट के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक) कार्गो का रिकॉर्ड संचालन किया, जो वित्त वर्ष 2023–24 में संचालित 81.09 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया। वर्ष 2024–25 के दौरान, पोर्ट रेलवे प्रणाली द्वारा 28.75 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2024–25 के दौरान संचालित यातायात की मात्रा के संदर्भ में, वीपीए ने सभी प्रमुख बंदरगाहों में चौथा स्थान प्राप्त किया और पूर्वी तट पर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम :

निजी स्वामित्व वाली सबसे बड़ी आवासीय मेगा नौका, एम.वी. द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका सहित पाँच महाद्वीपों की द वर्ल्ड की 2024 की यात्रा के हिस्से के रूप में, 28.04.2024 को विशाखपट्टणण पोर्ट प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर पहुँची।

दिनांक 14–15 जुलाई, 2025 के दौरान भाग्य के शहर में दूसरा बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया और केंद्रीय पत्तन पोतपरिवहन और जलमार्ग के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंगाल की खाड़ी को व्यापार और पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए वीपीए की गतिशील क्षमता की सराहना की।

वीपीए ने 14.08.2024 को इन्नर हार्बर (पीपीपी) में ईक्यू–6 बर्थ के अर्ध–यांत्रीकरण के लिए मेसर्स एवरसेन मरीन पोर्ट्र्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

वीपीए ने पोर्ट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में अपनी अभियंता परामर्श विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए दि 05.09.2024 को मेकॉन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

वीपीए ने दि 16.10.2024 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 60 टन बोलार्ड पुल टग ख्अत्याधुनिक पोत, के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पोर्ट में जहाजों की कुशल आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वीपीए ने 15.11.2024 को नोवोटेल में 'नील अर्थ विजन, कार्यान्वयन सेल (एनएवीआईसी) 21 पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें अंतर–मंत्रालयी मुद्दों को संबोधित किया गया और समुद्री उद्योग की प्रगति का मूल्यांकन करके और 'ब्लू इकोनॉमी' को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख चुनौतियों से निपटकर समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सकें।

वीपीए ने पीपीपी मोड पर वेस्ट क्वे–6 टर्मिनल को अपग्रेड करने के लिए उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दि 11.12.2024 को 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वीपीए ने महत्वपूर्ण पोर्ट–शहर अभिसरण बिंदुओं पर यातायात प्रबंधन और कार्गो निकासी को बढ़ाने के लिए दि 21.01.2025 को रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में सी हॉर्स जंक्शन को विजाग पोर्ट के डॉक क्षेत्र से जोड़ने वाले फ्लाई–ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है।

वीपीए ने स्वच्छता अभियान 4.0 और स्वच्छता ही सेवा 2024 के हिस्से के रूप में दि 22.02.2025 को वैजाग जिले के कई स्थानों पर ष्एक पेड़ माँ के नामष विषय के तहत एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसमें जीवीएमसी, वीएमआरडीए, वन विभाग, उद्योग स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से 3. 5 लाख पौधे वितरित किए गये हैं।

प्रमुख परियोजनाएं / योजना कार्य कार्यान्वितः–

आंतरिक बंदरगाह में ओआर–I और II बर्थों के क्षमता उपयोग में सुधार (अर्थात, ओआर–ए, ओआर–II और ओआर–III का निर्माण) 196.59 करोड़ रुपये के निवेश से 21.03.2025 को पूरा हो गया।

ईस्ट ब्रेक वाटर से कॉन्वेंट जंक्शन (चरण–I) तक 57.17 करोड़ रुपये के निवेश से 4 लेन कनेक्टिविटी का विकास दिसंबर, 2024 में पूरा हुआ। ।

विशाखापट्टणम पोर्ट के ओआर 2 क्षेत्र में 22.50 करोड़ रुपये की लागत से 200 मीटर X 30 मीटर X 17 मीटर आकार के कवर्ड स्टोरेज शेड का निर्माण, जिसमें आवश्यक सड़क, नाली, जलापूर्ति, धुंध और विद्युतीकरण शामिल है।

स्वीकृत प्रमुख पूंजी योजना कार्यः–

ओआईएसडी–156 दिशानिर्देशों के अनुसार 40,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक क्षमता वाले जहाजों के लिए एलपीजी बर्थ पर 63.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन। ।

क्रूज़ टर्मिनल पर मरीन ऑफिस के पास सैरगाह विकास के लिए 14.64 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर परिदृश्य कार्य उपलब्ध कराना।

अनुमानित लागत 9.64 करोड़ रुपये से 2 X 8 एमयूए पावर ट्रांसफार्मर सहित 33/11 के वी आउटडोर सब–स्टेशन का विकास। ।

अनुमानित लागत 6.60 करोड़ रुपये से मौजूदा एमसीएचवी (ईक्यू–1) रेलवे ट्रैक का साइलो तक उन्नयन और परिसर में परिचालन की सुविधा के लिए आर 5 लाइन के ईओएल साइड पर 1.48 किमी

लंबाई में लोकोमोटिव रिवर्सल लाइन बिछाना।

अनुमानित लागत 4.48 करोड़ रुपये से आर 2 क्षेत्र में नए कवर्ड स्टोरेज शेड संख्या 4 के निकटवर्ती क्षेत्र का विकास।

पीपीपी मोड पर स्वीकृत/प्रदान की गई प्रमुख परियोजनाएँ–

अनुमानित लागत 288.47 करोड़ रुपये पर डीबीएफओटी आधारपर पीपीपी के मोड में डब्ल्यूक्यू–7 और डब्ल्यूक्यू–8 बर्थ का यांत्रीकरण दि 04.11.2024 को प्रदान किया गया।

आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी आर्म में मौजूदा वेस्ट क्वे–6 (डब्ल्यूक्यू–6) टर्मिनल के नवीकरण का कार्य डीबीएफओटी आधार पर पीपीपी मोड के माध्यम से 165.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दि 11.12.2024 को प्रदान किया गया।

अनुमानित लागत 200.99 करोड़ रुपये से डीबीएफओटी आधार पर पीपीपी मोड के माध्यम से ईक्यू–7 बर्थ का यांत्रीकरण दि 22.01.2025 को प्रदान किया गया।

प्रमुख पूंजी परियोजना/योजना प्रगति पर कार्य :–

अनुमानित लागत 178.51 करोड़ रुपये से चरणबद्ध तरीके से मत्स्य बंदरगाह का आधुनिकीकरण और उन्नयन।

अनुमानित लागत 32.26 करोड़ रुपये से 1,00,000 से अधिक डीडब्ल्यूटी जहाजों को समायोजित करने के लिए ओएसटीटी बर्थ के लिए अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन ।

अनुमानित लागत 27.13 करोड़ रुपये से 50,000 – 1,00,000 डीडब्ल्यूटी जहाजों को समायोजित करने के लिए ओआर–I और II बर्थ पर नई अग्निशमन सुविधाएं प्रदान करना ।

अनुमानित लागत 25.90 करोड़ रुपये से सरदार वल्लभभाई पटेल पुल (समानांतर पुल) की डेक संरचना का पुनर्निर्माण ।

अनुमानित लागत 23.46 करोड़ रुपये से ओएसटीटी बर्थ पर मध्यम श्रेणी के जहाजों को समायोजित करने के लिए दो अतिरिक्त ब्रेस्टिंग डॉल्फिन (बीडी–3 और बीडी–4) का निर्माण ।

अनुमानित लागत 22.02 करोड़ रुपये से आंतरिक बंदरगाह में ईक्यू–1 बर्थ के दक्षिण की ओर ईक्यू–1ए बर्थ के बचे हुए कार्यों का निर्माण ।

अनुमानित लागत 18.99 करोड़ रुपये से बांध के कटाव से बचने के लिए, एसएल नहर जेटी और बैक अप क्षेत्र के साथ पॉकेट्स की मरम्मत ।

अनुमानित लागत 16.57 करोड़ रुपये से पूर्वी यार्ड में पटरियों का उन्नयन ।

अनुमानित लागत 16.40 करोड़ रुपये से रेलवे ट्रैक का सुधार और 10 डिग्री से अधिक के तीखे मोड़ों का सुधार ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ : –

वीपीए समुद्री उत्पादों के शिपमेंट के लिए भारत का एक पोर्ट है। इसने वित्त वर्ष 2024 में 17,984 करोड़ रुपये मूल्य के 3,14,199 टन समुद्री खाद्य का संचालन करके देश के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

वीपीए ने दि 25.07.2024 को एम.वी. हुआहिने जो एक नया कैसलमैक्स आकार का जहाज है, जो गैबॉन (पश्चिम अफ्रीका) के ओवेंडो पोर्ट से आया है, जिसमें 199,900 मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क को वीजीसीबी डॉक में को संभालकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया ।

वीपीए ने 31.03.2025 को 5,05,037 टन की दैनिक रिकॉर्ड मात्रा संभाली, जबकि दि 23.05.2024 को 5,02,025 टन की संभाल ने की रिकार्ड थी। जिसमें आंतरिक बंदरगाह, बाह्य बंदरगाह और एसपीएम शामिल है ।

निर्बाध सड़क संपर्क : –

वीपीए राष्ट्रीय राजमार्ग–16 (पूर्व में एनएच–5) से 12 किलोमीटर लंबे 4 लेन संपर्क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसका विकास और रखरखाव भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा वीपीए के साथ संयुक्त उपक्रम (जेवी) के रूप में गठित एसपीवी द्वारा किया जाता है।

वीपीए के एच–7 क्षेत्र से कॉन्वेंट जंक्शन पर पोर्ट कनेक्टिविटी रोड के टेक ऑफ पॉइंट तक का एक ग्रेड सेपरेटर चालू हो गया है। यह सुविधा कॉन्वेंट जंक्शन पर पोर्ट यातायात को शहर के यातायात से अलग करेगी और वाहन परिवहन को और अधिक कुशल बनाएगी।

कार्यान्वयनाधीन सड़क परियोजनाएं :–

विशाखापट्टणम पोर्ट को शीलानगर जंक्शन से सब्बावरम अर्थात एनएच–16 (12.47 किमी–एनएचएआई) तक जोड़ने वाली सड़क, जिसकी अनुमानित लागत 638.22 करोड़ रुपये है (पत्तन,पोतपरिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन)।

अनुमानित लागत 501.65 करोड़ रुपये से कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर (एनएचएआई) तक 4 लेन सड़क को 6 लेन सड़क में उन्नयन।

अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये से सी हॉर्स जंक्शन को डॉक क्षेत्र (3.34 किमी) से जोड़ने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण । इस संदर्भ में, वीपीए ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अनुमानित लागत 37 करोड़ रुपये से एनएच–16 पर एमएमएलपी सेटअप से कंटेनर ट्रेलरों के लिए/ मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशाखापत्तनम हवाई अड्डे जंक्शन पर फ्लाईओवर/अंडरपास का निर्माण।

अनुमानित लागत 36 करोड़ रुपये से ईस्ट ब्रेक वाटर से कॉन्वेंट जंक्शन (4 किमी–एनएचएआई) तक 4 लेन सड़क संपर्क का विकास (चरण–1)। अनुमानित लागत 21.17 करोड़ रुपये से मेसर्स वीसीटीपीएल निकास द्वार से ईबीडब्ल्यू रोड तक (चरण–2) विस्तार का कार्य शुरू।

व्यापार के अवसर :–

कंटेनर जहाजों के लिए जीआरटी पर ध्यान दिए बिना पोर्ट शुल्क और पायलटेज पर 70% छूट दी जा रही है।

कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट के लिए न्यूनतम 100 टीईयू की आवक ले जाने पर जीआरटी के बावजूद पोर्ट शुल्क और पायलटेज में 80% की रियायत दी जा रही है।

पहले 48 घंटों के लिए आगमन रोड शेड शुल्क नहीं है ।

मैनुअल और मैकेनिकल अन–लोडिंग द्वारा रेलवे वैगनों में प्राप्त लौह अयस्क के लिए रेलवे टर्मिनल शुल्क में 50% की रियायत। (प) मैन्युअल रूप से संचालित रेकों के लिए रियायत 02 लाख टन प्रति वर्ष एमजीटी के लिए लागू होती है और (पप) मैकेनिकल रूप से संचालित रेकों के लिए रियायत 10 लाख प्रति वर्ष एमजीटी के लिए लागू होती है।

खुले क्षेत्र के लाइसेंस शुल्क को प्रति सप्ताह प्रति वर्ग मीटर 7.88 रुपये से घटाकर 4.11 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह कर दिया गया है।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वीपीए ने सभी नव विकसित कवर्ड स्टोरेज शेडों का किराया को प्रति 100 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह 10,955 रुपये से घटाकर वर्ग मीटर प्रति सप्ताह 59.92 रुपये प्रति सप्ताह कर दिया है।

सभी कवर्ड शेडों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कवर्ड शेड की दोनों श्रेणियों (पुराने और नए) के लिए किराया शुल्क एक समान कर दिया गया है, अर्थात 59.92 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह।

एनटीपीसी, हिंदुजा और एनटीईसीएल आदि जैसे ग्राहकों के साथ बातचीत करके अतिरिक्त तटीय कार्गो को बढ़ावा देना।

श्रम प्रोत्साहन की लेवी और संग्रहण को समाप्त कर दिया गया है तथा वीपीए, सीएचडी श्रम की आपूर्ति के लिए प्रति टन दर क्रमशः थोक और ब्रेक बल्क कार्गो के संचालन के लिए 50.87 रुपये और 57.04 रुपये की दर से प्रति टर दर एकत्र करता है।

सम्मान :–

सेवा क्षेत्र में सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए 2025 प्रथम ग्रीनएनवायरो सुरक्षा पुरस्कार ।

वीपीए ने पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

नई दिल्ली में आयोजित 11वें वार्षिक ग्रीनटेक में वीपीए को दो सीएसआर पुरस्कारों से सम्मानित किया ।

विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत के क्रूज पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है।

इको एवं स्मार्ट पोर्ट पहल :–

हरित सागर ग्रीन पहल के तहत दो फॉग माउंटेड कैनन ट्रक खरीदे गए।

चेन्नई स्थित एबीएस मरीन सर्विसेज से दो नए स्टेट ऑफ फायर वाटर ब्रिगेड पट्टे पर लिए गए

हरित सागर पहल के तहत 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए।

एक्जिम जहाजों के लिए 1000 केवीए सुविधा का तटीय विद्युत विस्तार।

ऊर्जा प्रबंधन के लिए 320 स्मार्ट ऊर्जा मीटर स्थापित किए गए।

60% पोर्ट वाहनों को ईवी और सीएनजी में परिवर्तित किया गया है ।

15 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन किया गया तथा फ्लोटिंग कचरा अवरोधक स्थापित किए गए।

लक्षित 10 लाख पौधारोपण में से 3.5 लाख पौधे लगाए गए ।

250 नये सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी आधारित गेट प्रणालियां स्थापित की गईं।

जहाज ट्रैकिंग के लिए हाइब्रिड वीटीएमएस लांच किया गया।

वीपीए आंतरिक बंदरगाह में 14.5 मीटर तक के ड्राफ्ट वाले बेबी केप जहाजों और बाहरी बंदरगाह में 18.1 मीटर तक के केप आकार के जहाजों को संभालने में सक्षम है। हालाँकि, मौजूदा प्रवेश चौनल को उच्च ड्राफ्ट वाले जहाजों की सुरक्षित नौवहन और आंतरिक बंदरगाह में सुरक्षित बर्थिंग के लिए विधिवत चौड़ा करने हेतु (–)18 मीटर और अंततः (–) 21 मीटर गहराई तक ड्रेजिंग करने के लिए एक स्टिम्युलेशन अध्ययन प्रस्तावित है, जो कि पत्तन,पोत परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा परिकल्पित बर्थों को गहरा करने के एक भाग के रूप में है।

परियोजना निगरानी के लिए मैरीटाइम डैश बोर्ड विकसित करके विकास में तेजी लाना, पोर्ट अवसंरचना में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना, क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना और तटीय आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति करना तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनः संगठित करना भारत में समुद्री क्षेत्र के

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रणनीतिक विकास के अनुरूप वीपीए की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं।

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय देश के समुद्री परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यापार करने की आसानी, लागत और गति में सुधार किया जा सके समुद्री भारत विजन–2030 और समुद्री अमृत काल विजन–2047 में परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करके, जिसके मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जैसे विकसित भारत (विभास) / नील अर्थ विजन कार्यान्वयन सेल (नाविक सेल) – भारतीय रैंकिंग में सुधार, समुद्री क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, सुरक्षित, सतत और हरित समुद्री क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक गलियारा।

अंततः, हम अपने मूल्यवान ग्राहकों और हितधारकों के निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैंऔर गहरी आभार व्यक्त करते है । यूनियनों की रचनात्मक भूमिका सराहनीय की जाती है। हमें अधिकारियों और कर्मचारियों के निष्ठा और प्रतिबद्धता की स्वीकार करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं ।

वीपीए मंडल की ओर से अध्यक्ष

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी
2023—24

बर्थों की संख्या	31+1 एसपीएम
शिपिंग टग्स	06
पोर्ट — 3, प्राईवेट — 3	
कार्गो संभलाई उपस्कर	
— लोकोमोटिव्स 1350 एचपी (पोर्ट 3 + प्राईवट 4)	09
— लोकोमोटिव्स 3100 एचपी (पोर्ट)	03
भंडारण सुविधा	
विवरण अनुलग्नक — 2 मे दिया गया है।	
संभलाई गई यातायात (मिलियन में)	
— निर्यात	27.92
— आयात	54.70
— यानांतरण	—
— कुल	82.62
प्रति घाट दिवस उत्पादन (टन)	
— यांत्रिक	26,876
— गैर यांत्रिक	9,064
— कुल	14,010

संभलाये गये ट्यूजों की संख्या	618,093
नौचालित जहाजों की संख्या	2,124
नौचालित जहाजों की जीआरटी (मिलियन में)	73.82
पोर्ट रेल्वे सिस्टम	
— ट्रेक लंबाई (कि.मी.)	175
— साईडिंग की संख्या	13
— खुले टर्मिनल्स	29
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो (मिघलियन टनों में)	
— प्राप्ति (लोहा अयस्क)	4.66
— प्राप्ति (सामान्य)	3.20
— प्रेषण (सामान्य)	20.90
— कुल	28.75

आगे का विवरण अनुलग्नक 1 से 5 में दिया गया है ।

परिचालन निशपादन :

1.0 यातायात

1.1 विशाखपट्टणम पोर्ट में वर्ष 2024–25 में 82.62 मि. टन की कार्गो की संभलाई की जबकी वर्ष 2023.2024 को दौरान 81.09 मि.टन का संभलाई की है ।

1.2 निर्यात आयात और यानांतरण के विवरण नीचे दिये गये है ।

(मिलियन टन)

विवरण	2024–25	2023–24	2022–23
निर्यात	27.92	28.97	26.20
आयात	54.70	51.40	46.36
यानांतरण	––	0.72	1.19
कुल	82.62	81.09	73.75

1.3 वर्ष 2024–25के दौरान विदेशी एवं तटीय यातायात का अनुपात

(मिलियन टन)

विवरण	विदेशी	तटीय	कुल
निर्यात	11.85	16.07	27.92
आयात	51.34	3.36	54.70
यानांतरण	––	––	––
कुल	63.19 (76%)	19.43 (24%)	82.62 (100%)

1.4 वर्गवार यातायात (मिलियन टन)

विवरण	2024–25	2023–24	2022–23
ड्राई बल्क	44.33	47.70	45.36
तरल बल्क	26.24	20.63	18.08
ब्रेक बल्क	2.11	1.68	1.85
कंटैनर टीयूज	9.94 (0.62)	11.08 (0.67)	8.46 (0.52)
कुल	82.62	81.09	73.75

1.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 82.62 मिलियन टन यातायात में से 44.03 मिलियन टन (53%) का संचालन यांत्रीकृत साधनों द्वारा किया गया।

(मिलियन टन)

वस्तु का वर्ग	यांत्रिक	गैर यांत्रिक	कुल
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स (निर्यात)	10.88	0.99	11.87
अल्यूमिना	1.07	1.00	2.07
उर्वरक एफ आर एम (शुष्क)	0.19	2.74	2.93
तरल बल्क	26.24	––	26.24
कोकिंग कोल	1.59	4.53	6.12
स्टीम कोल	4.06	4.86	8.92
कंटैनर कार्गो	––	9.94	9.94
अन्य कार्गो	––	14.53	14.53
कुल	44.03	38.59	82.62

एफ आर एम – उर्वरक कच्ची सामग्री ।

1.6 भारतीय / विदेशी फ्लौग के शिप कुल यातायात 82.62 मि.टन में से भारतीय जहाजों द्वारा 14.25 मिलियन टन संभाला गया जो 17% है।

1.7 कंटैनर कार्गो

विवरण	निर्यात	आयात	कुल
बाक्सों (संख्या)	232064	243870	475934
ट्यूजों (संख्या)	301061	317032	618093
टन भार	5498247	4442020	9940267
कार्गो का भार	4862351	3773855	8636206
टेयर का भार	635896	668165	1304061

विवरण अनुलग्नक 8 में दिया गया है ।

1.8 परिचालित कंटैनर सेवाएं :

पाँच मुख्य लाइन सेवाएँ, अर्थात् एफ एम ई/आई एफ एक्स/टी आई ई सेवा/पीआईसी 2/ सी आई7 और छह एक्ज़िम फीडर, अर्थात् टीटी एक्स, सीएचएक्स, सीसीजी, सीवीके, एसबीएस, ईसीसी (तटीय), कंटेनर टर्मिनल पर संचालित हो रही हैं।

1.9 कंटेनर जहाज विंडो :

सेवा आईडी	प्रचालक	टाईप	सेक्टर
एफएमई	कास्को / आरसीएल / सीएमए सीजीएम / केएमटीसी / टीएसलाईन्स / यूनीफीडर	प्रधान लाईन	विषाखपट्टणम–वेस्ट पोर्ट किलांग–सिंगापूर–मनिला–बूसन–क्विंगडो–षांगाई–षीको–सिंगापूर–वेस्ट पोर्ट किलांग–चेन्नै–विषाखपट्टणम
आईएफएक्स	सीलेड / टीएस लाइन्स / सिनोट्रांस	प्रधान लाईन	विषाखपट्टणम – वेस्ट पोर्ट किलांग – शीको–क्विंगडो–शांगाई–निंगबो–शीको–चेन्नै–विषाखपट्टणम
टीआईई सेवा	बेन	प्रधान लाईन	विशाखट्टणम वेस्ट पोर्ट क्लैंग – नानजिंग – ताइकांग – ज़ियामेन – वेस्ट पीश्क्लांग–चेन्नई
पीआईसी–2	यूनिफीडर	प्रधान लाईन	जेबेल अली–कांडला–तूतीकोरिन–चेन्नई–विशाखट्टणम –तूतीकोरिन–कोच्चिन–जेबेल अली
सीआई 7	वान हाई / इंटरएशिया	प्रधान लाईन	विशाखट्टणम –हाइफोंग–झांजियांग–नानशा–कैट लाई–पोर्ट क्लैंग – चेन्नई
टीटीएक्स	बीटीएल / ईजीआई / आरसीएल वान हाई	एक्जिम फीडर	कैट लाई–लैम चबांग–सिंगापुर–पोर्ट क्लैंग–चेन्नई–विशाखापट्टणम
सीहेचएक्स	मेर्स्क	एक्जिम फीडर	विशाखापट्टणम –तंजुंग पेलेपास–एन्नोर–विशाखापट्टणम
सीसीजी	ग्लोबल फीडर्स	एक्जिम फीडर	विशाखापट्टणम –कृष्णपट्टनम– कट्टुपल्ली–कोलंबो–कोच्चिन–जेबेल अली– –कोच्चिन–कोलंबो–चेन्नई
सीवीके	एमएससी	एक्जिम फीडर	विशाखापट्टणम – कोलंबो विशाखापट्टणम
एसबीएस	एसओएल	एक्जिम फीडर	विशाखापट्टणम –कोलकता– विशाखापट्टणम –कोलंबो
ईसीसी	यूनिफीडर	कोस्टल	चेन्नाई– विशाखापट्टणम –कोलकता–पारादीप

1.10 प्रधान वस्तुवार यातायात (लाख टनों में)

वस्तु	2024—25	2023—24	2022—23
पी ओ एल	248.49	189.83	160.97
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स	115.73	155.87	144.08
कोकिंग कोल	60.06	64.59	49.07
स्टीम कोल	89.16	98.13	117.07
थर्मल कोल	——	——	11.29
उर्वरक दृफिनिश्ड	12.82	17.39	14.34
उर्वरक कच्ची सामग्री (शुष्क)	16.54	17.82	14.05
कंटैनर कार्गो	99.40	110.77	84.60
अन्य	184.03	156.50	142.03
कुल	826.23	810.90	737.50

1.11 मुख्य विदेशी भागीदार— आयात (वित्तीय वर्ष 2024—25) (लाख टनों में)

देश	मात्रा (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
रूस	92.01	17.92
सौत ऑफ्रिका	64.73	12.61
इडोनेशिया	44.59	8.68
आस्ट्रेलिया	36.81	7.17
यूएई	35.78	6.97
इराक	29.09	5.67
यूएसए	28.61	5.57
नैजीरिया	18.10	3.53
चीन	17.74	3.45
सौदी अरेबिया	15.16	2.95
गबान	14.06	2.74
खतार	8.75	1.70
गुयाना	8.71	1.70
मलेशिया	7.70	1.50
श्रीलंका	7.64	1.49
ओमन	7.25	1.41
मोजांबिक	6.87	1.34
कुवाइत	6.80	1.32
टोगो	5.86	1.14
अल्जीरिया	5.41	1.05

1.12 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

देश	मात्रा (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
मलेशिया	26.59	22.45
श्रीलंका	19.04	16.07
चीन	16.27	13.74
सिंगापूर	14.60	12.33
ओमन	6.47	5.46
यूके	4.01	3.38
बेनिन	3.93	3.32
कोटे डी आइवर	2.98	2.51
यूएई	2.68	2.26
रूस	2.49	2.10
इटली	2.46	2.08
खतार	2.34	1.98
सौत कोरिया	1.87	1.58
ईजीप्ट	1.80	1.52
टोगो	1.27	1.07
बांगलादेश	1.24	1.05
सेनेगल	1.22	1.03
यूएसए	1.21	1.02

1.13 मुख्य विशेषताएं

- वर्ष 2024–25 के दौरान 82.62 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह 81.09 मिलियन टन था।
- यातायात संचालन के मामले में विशाखापट्टणम पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों में चौथे और पूर्वी तट पर दूसरे स्थान पर है।
- कार्गो थ्रूपुट का रिकॉर्ड संचालन अनुलग्नक–9 में दिया गया है।

1.14 सेवा क्षेत्र से प्राप्त / प्रेषित परिवहन की विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त/ प्रेषित माल की वस्तुवार विवरण अनुलग्नक 10 एवं 11 में दिया गया है ।

2.0 शिपिंग

2.1 आंतरिक बंदरगाह में 14.50 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले पेनामाक्स जलयानों के लिए खोला गया। बाह्य बंदरगाह में 18.10 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले केप साईज़ जलयानों के लिए खोला गया। वर्ष के दौरान पोर्ट में 2,269 जहाजों ने प्रवेश किया और 2,270 जहाजों का नौचालन हुआ। पोर्ट में आये जहाजों (नौचालन) का विवरण एन आर टी, जी आर टी तथा डी डब्ल्यू टी निम्नानुसार है।

(मिलियन)

वर्ष	जहाज	डीडब्ल्यूटी	जीआरटी	एनआरटी
2024–25	2,124	119.29	73.81	40.06
2023–24	2,270	123.74	76.78	41.75
2022–23	2,061	113.45	69.71	38.24

आगे का विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है ।

2.2 प्रवेश और नौचालित जहाज (विदेशी / तटीय)

वर्ग	प्रविष्ट जहाज		नौचालित जहाज	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
विदेशी	1,645	1,809	1,643	1,809
तटीय	482	460	481	461
कुल	2,127	2,269	2,124	2,270

2.3 घाट अधिग्राहिता :

वर्ष 2024–25 के दौरान बर्थ अधिभोग 60: था, जबकि वर्ष 2023–24 के दौरान यह 61: था।

अन्य विवरण अनुलग्नक 03 में दिया गया है।

2.4 अधिकतम जहाज संचालन

विवरण	2024–25	2023–24
एक दिन में	34 (10.10.2024)	61 (20.02.2024)
एक महीना में	757 (अक्तूबर, 2024)	1200 (फरवरी, 2024)

2.5 कार्गो प्रकार के अनुसार नौचालित जहाज

जहाजों का वर्ग	2024–25	2023–24
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स		
बाह्य बंदरगाह	134	130
आंतरिक बंदरगाह	21	70
पी ओ एल टैंकर्स	456	450
कोकिंग कोल (यांत्रिक +कन्वे)	123	150
स्टीम कोल (यांत्रिक +कन्वे)	129	161
थर्मल कोल (यांत्रिक +कन्वे)	––	––
उर्वरक थौली सहित (यांत्रिक +कन्वे)	36	59
रॉक फास्फेट और गंधक (यांत्रिक +कन्वे)	49	49
अन्य शुष्क बल्क	291	276
अन्य तरल कार्गो	121	155
खाद्यन्नवाले	30	1
अन्य अयस्क (मेंगनीस और आदि)	133	116
अन्य कार्गो (ब्रेक बल्क)	69	93
कंटेयनर	518	515
यात्रियों केलिए जहाज, जल, बंकर्स आदि.,	14	45
कुल	2,124	2,270

2.6 एक दिन में बर्थ पर जहाजों की अधिकतम संख्या 03.05.2024 को 12.45 लाख जीआरटी के साथ अधिकतम 44 जहाज पोर्ट पर थे।

2.7 शिप संचालन

विवरण	2024–25	2023–24	2022–23
आगमन	2,127	2,269	2,064
प्रस्थान	2,124	2,270	2,061
शिफ्टिंग	67	88	107
कुल	4,318	4,627	4,232

2.8 अत्यधिक लंबाई, बीम और डी डब्ल्यू टी वाले जहाज

विवरण	2024—25	2023—24
आंतरिक बंदरगाह		
लोवा 195—210 मी	145	142
लोवा 210—225 मी	50	60
लोवाझ 225 मी.	132	137
बीमझ 32.26 मी.	39	47
बाह्य बंदरगाह		
वीजीसीबी (झडीडब्ल्यूटी 150,000) में केप साईज़ जलयान	22	20
लोवाझ ओ बी पर 270 > मी.	8	19
लोवाझ वी सी टी पर 270 > मी.	56	64

2.9 अत्यधिक डी डब्ल्यू टी वाले जलयान (वित्त वर्ष 2023—24)

जलयान / बर्थ	डी डब्ल्यूटी (टन)	लोवा (मीटर्स.)	बीम (मीटर्स.)	ड्राफ्ट (मीटर्स.)
बाह्य बंदरगाहरू एम.वी.नाईटस्कै	2,07,999	299.95	50.00	18.44
आंतरिक बंदरगाहरू एम.वी. एम प्वाइंट लिसास	1,20,279	255.00	43.00	14.50
एसपीएम पर एम.वी.सीहीरो	3,21,039	331.76	59.99	19.70

2.10 अत्यधिक ड्राफ्ट वाले जलयान :

विवरण	2024—25	2023—24
वीजीसीबी पर > 16 मीटर	20	18
आंतरिक बंदरगाह पर > 14 मीटर	126	118

2.11 हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान पोर्ट के हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य करनेवाले दो सर्वेक्षण यूनिटों का कार्य संतोषजनक रहा। पूर्ण रूप से कंप्यूटराईजड सर्वेक्षण लांच्र्निर्मल्र को पोर्ट सीमाओं के अंतर्गत वीओएच सर्वेक्षण, आंतरिक चेनल आर्म्स एवं बर्थ तथा ब्रेक वाटर के बाहर सर्वेक्षण के लिए नियोजित किया गया है।

इन्नर हार्बर इकाई ने बर्थों और क्षेत्रों के निकट से ध्वनि मापने के लिए पोर्टेबल इको साउंडर और जीपीएस के साथ श्मसुला बोटश तैनात करके आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण आयोजि किया गया है।

इनर हार्बर इकाई समुद्र तट के स्तर को मापने के लिए भूमि सर्वेक्षण इकाई (समुद्र तट प्रोफ़ाइल इकाई) से जुड़ी हुई है।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से जुड़ा ड्राइंग कार्यालय प्राप्त आंकड़ों के साथ साउंडिंग चार्ट तैयार करता है और प्लॉट करता है।

वर्ष के दौरान आयोजित सर्वेक्षण के विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	आंतरिक बंदरगाह	बाह्य बंदरगाह	बीच प्रोफाईल	कुल
2024–25	54	229	156	439
2023–24	106	301	157	564

2.12 पायलटेज संचालन :

विवरण	आगमन	प्रस्थान	शिफ्टिंग	कुल
आंतरिक बंदरगाह	1220 (1305)	1194 (1270)	2965 (1346)	5379 (3921)
बाह्य बंदरगाह	985 (993)	965 (975)	678 (6856)	2628 (8824)
मत्स्य बंदरगाह	17 (13)	13 (6)	318 (563)	348 (582)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	7 (8)	9 (7)	85 (33)	101 (48)
अन्य	109 (104)	100 (93)	2991 (6609)	3200 (6806)
कुल	2338 (2423)	2281 (2351)	7037 (15407)	11656 (20181)

कोष्टक के अंकडे पिछले वर्ष की सूचना देते हैं ।

2.13 नौचालन सुविधाएँ : आंतरिक बंदरगाह – दिन में : (मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	एलओए	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन/प्रस्तान	बेबीकैप/पौनामौक्स	260	45.00	14.50	0.50

✓ 195 मी. से अधिक लोवा वाले या 32.0 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है।

आंतरिक बंदरगाह – रात्री नौचालन : (मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन /प्रस्तान	हेन्डीमौक्स /पनामैक्स	32.50	14.50	0.50

बाह्य बंदरगाह – दिन में : (मीटर में)

विवरण	लोवा	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
ओ बी–1 और 2	300	50.00	17.00	0.50
कंटैनर टर्मिनल (वी सी टी)	390	48.00	16.00	0.50
वीजीसीबी (200,000 डीडब्ल्यूटी)	300	50.00	18.10	1.0
ओएसटीटी	280	50.00	17.00	––
एल पी जी बर्थ	230	42.00	14.00	––
क्रूज टर्मिलन	300	37.60	8.50	––
मत्स्य बंदरगाह	70	14.00	5.50	0.70
एसपीएम	330	60.00	22.00	––

किया जा सकता है ।

नोट :

✓ अधिक ड्राफ्ट वाले जलयानों के साथ मामले से मामले के आधार पर उपयुक्त ज्वार पर विचार करते हुए अमुमति दी जाएगी ।

✓ सारणी में उल्लिखित ड्राफ्ट डॉक जल घनत्व पर विचार कर रहे है ।

✓ मात्र जहाजों के साथ बेटी जहाजों की बर्थिंगध्अन–बर्थिंग की संभलाई दो पायलटों के द्वारा की जा सकती है ।

✓ 270 मीटर से अधिक एलओए या 42 मीटर से अधिक चौडाई वाले जहाजों को दो पायलटों द्वारा संचालित किया जाता है ।

बाह्य बंदरगार – रात्रि नौचालन

1. एल पी जी / ओएसटीटी घाटों पर 220 मी. लोवा के टेंकरों को और इससे अधिक एल पी जी ध्ओएसटीटी पर दो पायलटों द्वरा बर्थ किया जाता है ।
2. ओ बी–1 ध्ओबी–2 और वीजीसीबी के पास 75,000 डी डबल्यू टी और उससे अधिक वालो जहाज को कंटैनर टर्मिनल पर 2 पायलटों के साथ बर्थ किए जाते है ।

3.0 दक्षता पैरामीटर्स

3.1 वर्ष 2024–25 के दौरान प्रति जहाज बर्थ दिवस उत्पादन 14,010 टन था, एक जहाज का आवर्तन समय 2.88 दिन था और औसत प्री–बर्थिंग अवरोध 0.92 घंटे था।

3.2 भौतिक दक्षता पैरामीटर्स

वस्तुओं का वर्ग	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)		औसतन टी आर टी (दिन)	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
1.ड्राई बल्क (यांत्रिक)	32,488	27,815	0.77	0.48	2.32	2.64
2. ड्राईबल्क (परंपरागत)	9,015	8,848	0.92	0.64	4.49	4.53
3. तरल बल्क	24,033	19,741	1.01	0.68	1.98	1.80
4. ब्रेक बल्क	2,453	2,932	1.28	0.58	9.14	5.18
5. कंटैनर्स	23,362	26,295	0.81	0.65	0.89	0.88
6. निवल	14,010	13,687	0.92	0.63	2.88	2.74

पी बी डी रू प्री बर्थिंग अवरोध, टी आर टी रू आवर्तन काल, ओ एस बी डी रू प्रति जहाज घाट दिवस उत्पादन

3.3 प्रति जहाज घाट दिवस अधिकतम उत्पादन के साथ कार्गो (ओ एस बी डी) :

क्रम सं	वस्तु	2024–25	पिछला उत्तम	वर्ष
1	ओ हेच पर पीओएल (निर्यात)	21,656	16,702	2009–10
2	लौह अयस्क (आयात)	13,935	13,898	2023–24
3	एन्थ्रासाइट कोयला	11,335	10,815	2023–24
4	कास्टिक सोडा	10,921	10,605	2017–18
5	कोकिंग कोल (निर्यात)	10,455	10,127	2020–21
6	रॉक फॉस्फेट (कन्वे	6,714	6,192	2008–09
7	सल्फर (कन्वे)	64,78	6,039	2023–24
8	ग्रेनाइट (निर्यात)	4,302	3,640	2023–24
9	मईज (बैग)	3,946	1,747	2010–11
10	डीबीएम (बैग)	3,006	2,936	2004–05
	वस्तु समूहः			
	ड्राई बल्क (यांत्रिक)	32,488	31,316	2004–05

3.4 प्रति जहाज घाट दिवस (ओएसबीडी) के उत्पादन का वस्तुवार विवरण तथा औसतन पार्सल

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2024—25	2023—24	2024—25	2023—24
क. ड्राईबल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क यांत्रिक विदेशी	18,656	27,714	36,146	61,299
2. लोहा पिल्लेट्स — विदेशी	——	——	——	62,580
3. लोहा अयस्क यांत्रिक. — तटीय	36,538	32,719	75,191	94,952
4. लोहा पिल्लेट्स यांत्रिक —तटीय	47,967	39,088	72,020	91,118
5. अल्यूमिना पाऊडर	18,474	18,146	30,418	30,057
6. गंधक — एफबी पर	——	——	——	——
7. रॉक फास्फेट एफ बी	5,272	4,715	48,494	32,752
8. एफ बी पर कच्चामाल	——	——	——	——
9. कोकिंग कोल	24,558	22,760	63,732	46,746
10. स्टीम कोल	29,565	25,883	82,952	75,244
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	32,488	27,815	72,606	71,036
ख. ड्राई बल्क (कन्वे)				
11. लोहा अयस्क	10,847	10,324	48,883	47,952
12. लोहा पिल्लेट्स	10,683	20,197	18,603	77,792
13. अन्य अयस्क	7,551	7,068	29,906	28,183
14. क्यू बी पर गंधक	6,478	6,039	33,609	33,354
15. रॉक फास्फेट — क्यू बी	6,714	6,175	34,342	36,611
16. क्यू बी में उर्वरक	7,021	5,909	36,350	34,787
17. कोंकिंग कोल	14,053	14,051	46,677	41,689
18. थर्मल कोल	——	——	——	——
19. लाईम स्टोन	9,681	9,046	33,773	34,997
20. लौम कोक	6,613	5,911	23,880	22,527
21. बी एफ स्लौग	12,831	14,471	59,063	68,735
22. स्टीम कोल	11,919	10,897	59,601	52,735

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
23. पेट कोक (आयात)	9,023	9,702	38,261	37,581
24. सी पी कोक (निर्यात)	5,309	4,930	19,365	16,538
25. जिप्सम	15,191	8,508	86,823	47,584
26. मईज (बल्क)	––	3,267	––	28,614
27. सी.पी.कोक (आयात)	3,524	3,376	18,016	17,289
28. आंत्रासाईट कोल	11,335	10,815	37,524	34,382
29. लोहा अयस्क (आयात)	13,935	13,898	55,413	52,486
30. अन्य ड्राई बल्क	4,792	4,526	29,560	25,049
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	9,015	8,848	39,469	39,086
सी. तरल बल्क				
31. पीओएल उत्पाद दृ आईएच निर्यात	9,726	8,343	22,541	19,229
32. पीओएल उत्पाद दृ आईएच आयात	5,385	6,361	9,394	9,799
33. पीओएल उत्पाद दृ ओएच आयात	11,250	1,0626	24,598	19,942
34. एल.पी. गैस	10,849	11,004	22,872	22,336
35. कच्चा तेल आयात	78,293	65,553	1,36,806	1,17,977
36. ट्रांसशिपमेंट एक्सप. पीओएल	––	24,123	––	25,750
37. ट्रांसप. पीओएल उत्पाद	––	22,232	––	27,731
38. फॉस्फोरिक अम्ल	7,510	6159	8,517	8,487
39. कास्टिक सोडा	10,921	9905	19,388	17,712
40. द्रव अमोनिया	5,976	5902	6,811	6,387
41. पिघला हुआ सल्फर	8,916	8421	9,427	8,626
42. पीओएल ओहेच निर्यात	21,656	15252	52,709	39,116
43. एथिलीन अल्कोहल	3,749	2553	2,597	1,545
44. सल्फ्यूरिक अम्ल	10,175	10267	14,261	12,923
45. बायोडीज़ल	––	3795	––	1,924
46. अन्य रसायन	6,647	6457	7,578	6,463

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
कुल तरल बल्क	24,033	19,741	45,196	33,780
डी. ब्रेक बल्क				
47. खाद्यान्न (बैग) – (एफ)	1,902	2,568	35,817	20,826
48. स्टील कार्गो निर्यात)	4,202	3,601	17,181	16,545
49. स्टील (आयात)	3,099	4,021	15,815	23,291
50. जनरल कार्गो (आयात)	1,369	1,470	5,580	4,175
51. जनरल कार्गो (निर्यात)	1,079	3,016	4,043	9,984
52. उर्वरक (बैग)	——	2,278	——	20,021
53. ग्रेनाइट ब्लॉक (निर्यात)	4,302	3,640	17,332	17,042
कुल ब्रेक बल्क	2,453	2,932	22,191	14,899
ई. कंटेनर कार्गो	23,362	26,295	19,133	21,507
कुल मिलाकर	14,010	13,687	39,096	36,295

3.5 वस्तुवार औसतन प्री बर्थिंग अवरोध (पोर्ट लेखा) और औसतन आवर्तन काल

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		तत्परता से औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2024—25	2023—24	2024—25	2023—24
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क (एफ)	0.50	0.56	2.04	2.30
2. लोहा पिल्लेट्स (एफ)	——	——	——	——
3. लोहा अयस्क (सी)	0.90	0.36	2.17	3.00
4. लोहा पिल्लेट्स (सी)	0.61	0.46	1.92	2.43
5. अल्यूमिना	0.60	0.69	1.77	1.79
6. एफ बी पर गंधक	——	——	——	——
7. रॉक फास्फेट एफ बी	0.73	0.22	9.32	7.02
8. एफ बी पर कच्चा माल	——	——	——	——
9. कोकिंग कोल	0.76	0.49	2.71	2.15
10. स्टीम कोल	1.07	0.47	2.94	3.02
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	0.77	0.48	2.35	2.66
ख. ड्राई बल्क (परं)				
11. लोहा अयस्क	0.70	0.58	4.65	4.79
12. लोहा पिल्लेट्स	0.21	0.45	1.85	3.98
13. अन्य अयस्क	0.72	0.51	4.09	4.12
14. क्यू बी पर गंधक	0.60	0.42	5.32	5.64
15. क्यू बी पर रॉक फास्फेट	0.81	1.30	5.28	6.11
16. क्यू बी पर उर्वरक	2.02	0.38	5.36	6.01
17. कोकिंग कोल	0.77	0.64	3.48	3.12
18. थर्मल कोल	——	——	——	——
19. स्टीम कोल	0.81	0.75	5.16	4.99
20. लाईम स्टोन	0.79	0.73	3.64	4.01
21. जिप्सम	1.08	2.47	5.86	5.86
22. मौजी बल्क	——	1.06	——	8.89
23. लेम कोक	0.62	0.49	3.74	3.93

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		तत्परता से औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
24. बी.एफ.स्लाग	0.87	0.08	4.74	4.88
25. पेट कोक (आयात)	1.18	0.49	4.39	3.99
26. सी.पी. कोक (निर्यात)	0.71	0.28	3.79	3.47
27. सी.पी. कोक (आयात)	1.36	0.49	5.28	5.24
28. आंत्रासाईट कोल	0.83	0.51	3.46	3.31
29. आयात लाहा अयस्क	1.77	0.46	4.15	3.91
30. अन्य ड्राई बल्क	1.34	0.80	6.33	5.69
कुल ड्राई बल्क (कन्वे)	0.92	0.64	4.53	4.56
सी. तरल बल्क				
31. निर्यात. पीओएल उत्पाद आईएच	0.83	0.58	2.44	2.41
32 आयात पीओएल उत्पाद आईएच	0.92	0.48	1.87	1.65
33. आयात. पीओएल उत्पाद ओएच	0.51	0.38	2.29	1.97
34. एल.पी. गैस	1.02	0.49	2.24	2.14
35. आयात. कच्चा तेल	1.45	1.15	1.93	1.95
36. टीआरएसपी. कच्चा तेल	––	––	––	––
37. ट्रांसशिपमेंट एक्सप. सी. तेल	––	––	––	––
38. ट्रांशिपमेंट. पीओएल उत्पाद	––	0.61	––	1.37
39. ट्रांसशिपमेंट एक्सप.पीओएल	––	1.23	––	1.21
40. फॉस्फोरिक अम्ल	2.15	0.58	1.32	1.49
41. कास्टिक सोडा	0.98	1.03	1.92	1.93
42. द्रव अमोनिया	0.92	0.41	1.28	1.20
43. पिघला हुआ सल्फर	0.25	0.58	1.16	1.14
44. स्टाइरीन मोनोमर	––	––	––	––
45. सल्फ्यूरिक अम्ल	1.05	0.37	1.55	1.37
46. अन्य द्रव	0.96	0.96	1.26	1.13
47. बायोडीज़ल	––	0.71	––	0.61

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		तत्परता से औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
48. निर्यात.पीओएल ओहेच	0.67	0.57	2.55	2.67
49. एथिलीन अल्कोहल	0.60	0.08	0.80	0.69
कुल तरल बल्क	1.01	0.68	2.02	1.83
डी. ब्रेक बल्क				
51. आयात सामान्य कार्गो	0.77	0.46	4.21	2.95
52. निर्यात सामान्य कार्गो	0.50	1.00	3.86	3.44
53. स्टील कार्गो (एक्सपोर्टेड)	1.20	0.83	4.25	4.73
54. स्टील (आयातित)	0.75	0.12	5.26	5.90
55. ग्रेनाइट ब्लॉक	0.74	0.44	4.15	4.79
56. उर्वरक बैग	––	0.57	––	8.91
57. खाद्यान्न (बैग) – एफ	2.45	0.25	19.02	8.21
कुल ब्रेक बल्क	1.28	0.58	9.20	5.20
ई. कंटेनर	0.81	0.65	0.92	0.91
कुल मिलाकर	0.92	0.63	2.92	2.77

अधिक जानकारी अनुलग्नक 13, 14 और 15 में दी गई है।

3.6 शिफ्ट का प्रति गेंग श्रमिकों का निष्पादन वर्ष 2024–25 के दौरान प्रति गैंग शिफ्ट उत्पादन 552 टन होगा, जबकि पिछले वर्ष 2023–24 में यह 755 टन था।

अधिक जानकारी अनुबंध 16 में दी गई है।

4.0 अयस्क संभलाई संकुल

4.1 अयस्क संभलाई संकुल की प्राप्ति प्रणाली के तीन टिपलरों ने 2024–25 में 1,086 रेक टिपल किए, जबकि 2023–24 में 1,387 रेक टिपल किए गए थे। 45.93 लाख टन लौह अयस्क प्राप्त किया गया और यांत्रिक रूप से टिपल किया गया।

4.2 वौगन टिप्पलर्स का निष्पादन :

विवरण	2024–25	2023–24
टिप्पल्ड रैकों की संख्या	1,086	1,387
– यांत्रिक	1,062	1,380
– हस्तगत	24	07
टिप्पल्ड वैगनों की संख्या	62,241	79,399
– यांत्रिक	62,241	79,399
– हस्तगत	997	405
खाली समय में टिप्पल की गई रैकों की संख्या	903 (83%)	1132 (82%)

4.3 टिप्पल किये गये रैकों की बारंबारता वितरण

प्रति दिन रैक	वर्ष में दिन	
	2024–25	2023–24
6 तक	349	326
7 से 8	15	3
9	01	02
टिप्पमल नहीं किये गये दिन	––	––
कुल	**365**	**366**

4.4 आउटर हार्बर पर 134 लौह अयस्क जहाजों में 110.27 लाख टन लौह अयस्क और पिल्लेट्स लोड किए गए।

4.5 लदान दर का बारंबार वितरण (प्रचालन घंटों पर आधारित) : (जलयानों की संख्या)

उत्पालदन (टन)	2024–25	2023–24
40,000 टन से कम	7	17
40,000 से 50,000 टन	21	32
50,000 से 60,000 टन	32	47
60,000 से 70,000 टन	40	40
70,000 से 80,000 टन	12	——
80,000 से अधिक	22	——
कुल	**134**	**136**

4.6 चालू वित्त वर्ष में सोलह निर्यातकों ने विशाखापत्तनम पोर्ट के माध्यम से लौह पिल्लेट्स और लौह अयस्क छर्रों का निर्यात किया है।

5.0 पोर्ट रेल्वे

5.1 वर्ष 2023–24 में पोर्ट रेल्वे द्वारा 32.12 मि.टन यातायात का संचालन किया गया ।

(मिलियन टन)

विवरण	2024–25	2023–24	2022–23
आवक लौह अयस्क	4.66	5.91	5.72
आवक सामान्य	3.20	5.31	5.83
प्रेषित सामान्य	20.89	20.90	19.92
कुल	28.75	32.12	31.47

5.2 संभलाये गये वौगनों की संख्या – सामान्य यातायात :

पोर्ट रेलवे ने 2024–25 में चार पहिया वाहनों (लौह अयस्क के अलावा) के संदर्भ में 18.56 लाख वैगन इकाइयों का संचालन किया, जबकि 2023–24 में यह संख्या 19.10 लाख वैगन इकाइयों की थी।

वर्ष	वेगन यूनिटों की संख्या		
	प्राप्त	प्रेषित	कुल
2024–25	927,978	928,002	1,855,980
2023–24	954,665	955,733	1,910,398
2022–23	919,855	919,765	1,839,620
2021–22	828,688	828,007	1,656,695

5.3 वेगन यूनिटों की औसतन संख्या (चौपहियों के संबंध में) (लोहा अयस्क के अलावा)

विवरण	2024–25	2023–24
प्रति दिन प्राप्त वौगन यूनिटों की औसत संख्या	2,542	2,616
प्रति दिन प्रेषित वौगन यूनिटों की औसत संख्या	2.542	2,618

5.4 संभलाये गए रैक्स की संख्या – लोहा अयस्क (यांत्रिक और हस्तचालित)

विवरण	ओ एच पी	मैनुअल साईडिंग्स	कुल
प्राप्त रैक	1,070 (1,380)	16 (07)	1,086 (1,387)
टिप्पल / उतराई रैक	1,070 (1,380)	16 (07)	1,086 (1,387)
टिप्पल / उतराई वेगन	61,337 (78,994)	921 (405)	62,258 (79,399)
प्राप्त की गई मात्रा (लाख टनों)	45.93 (58.79)	0.68 (0.28)	46.61 (59.07)

(कोष्टकों में आंकडें 2023–24 से संबंधित है)

अन्य विवरण अनुलग्नक 19 एवं 20 में दिये गये है ।

6.0 कार्गो संभलाई उपकरणों का उपयोग

वर्ष 2024–25 और वर्ष 2023–24 के लिए कार्गो संभलाई उपकरणों, जैसे मोबाइल क्रेन और फोर्क लिफ्ट, की उपलब्धता और उपयोग का विवरण अनुलग्नक –18 में दिया गया है।

7.0 निकर्षण

7.1 पूंजीगत निकर्षण

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 0.0.0860 मिलियन घन मीटर पूंजीगत ड्रेजिंग की गई।

7.2 अनुरक्षण और निक्षेप निकर्षण

पोर्ट निकर्षण – वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पोर्ट ड्रेजर जीएचडी सागर दुर्गा ने 0.1028 मिलियन घन मीटर ड्रेजिंग की।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान डीसीआई ड्रेजर द्वारा 0.4119 मिलियन घन मीटर रखरखाव ड्रेजिंग की गई।

वर्ष के दौरान 0.6007 मिलियन घन मीटर पूंजीगत और रखरखाव मद में ड्रेजिंग की गई।

विवरण अनुलग्नक – 19 और 20 में दिए गए हैं।

8.0 सामानसूची प्रबंधन

वर्ष 2024–25 के दौरान स्टॉक मदों की संख्या 51 थी। जब की वर्ष 2023–24 की तुलना में 80 थी

वर्ष 2024—25 के लिए गैर—न्यूनतम स्टॉक मदों (एनएमएस) की संख्या 18 है जब की 2023—24 में 18 थी।

वर्ष 2024—25 के दौरान प्राप्त कुल मांगआवश्यकताओं की संख्या 172 हैं।

वर्ष 2024—25 के दौरान दिए गए क्रय आदेशों की कुल संख्या 232 है।

वर्ष 2024—25 के लिए उपभोग्य सामग्रियों की शिकायतों का प्रतिशत 69.80: है।

जनरल स्टोर्स डिपो में इन्वेंट्री 4.50 करोड़ रुपये है।

वर्ष के दौरान निपटाए गए सामानों का कुल मूल्य 8.96 करोड़ रुपये है।

9.0 पूंजीगत व्यय

9.1 वर्ष 2024—25 में योजनागत कार्यों पर पूंजीगत व्यय का विवरण अनुलग्नक —23 में दिया गया है।

9.2 वर्ष 2024—25 में स्वीकृत, पूर्ण और प्रगतिरत कार्य अनुलग्नक —24 से 26 में दिए गए हैं।

मानव संसाधन विकास :

1.0 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा ।

विवरण अनुलग्नक–34 पर दिया गया है ।

2.0 कर्मचारियों की संख्या और मानव संसाधन विकास

स्टाफ की संख्या का विवरण – अनुलग्नक –30 में दिया गया है ।

वर्ष के दौरान चुकाये गये वेतन और मजदूरी का विवरण –अनुलग्नक – 34 में दिया गया है।

दि. 31.03.2025 तक अ जा / अ ज जा के आरक्षण का विवरण –अनुलग्नक–35 में दिया गया है।

2.1 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यकुशलता को बढाने हेतु मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान 159 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 3,149 थी।

विवरण	प्रशिक्षित कर्मचारियाँ
अधिकारी	492
पर्यवेक्षक	88
लिपिक वर्गीय स्टाफ	1418
कर्मकार	283
कें.औ.सु.ब.	37
अन्य	831
कुल	3,149

3.0 कल्याणकारी गतिविधियां :

3.1 चिकित्सा सुविधाएं :

☐ पोर्ट कर्मचारियों के लिए रोग निरूपण तथा इलाज के लिए चिकित्सा के संपूर्ण उपकरणों से सज्जित 80 पलंग सहित पोर्ट अस्पताल कार्य कर रहा है ।

☐ मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक, आर्थो, इ एन टी, आफ्थाल्मिक, पीडियाट्रिक्स, आन्कॉलजी, कार्डियॉलजी, नेफ्रालजी तथा चर्मरोग के लिए विशेषज्ञों का क्लिनिक चल रहा है । अस्पताल में जांच सेवाएं जौसे कि क्लिनिकल तथा बायो केमिकल लेबोरेटरी, 500 एम ए एक्सरे प्लैंट के साथ रेडियोलॉजी, आल्ट्रा साऊंड स्कैनर तथा ईसीजी डेंटल आदि की व्यवस्था है । डाइट अनुभाग तथा फिजियोथेरेपि युनिट है ।

☐ अस्पताल में सीएमओ (एचओडी) सहित 10 डॉक्टर्स और सूपर स्पेशाल्टी जैसे कॉर्डियालजि, यूरॉलजी, गॉस्ट्रोएंटरॉलजी, नेफ्रालजी और आन्कॉलजी आदि के 23 विविध विशेषज्ञ विजिटिंग परामर्शक डॉक्टर्स उपलब्ध है। इसके अलावा अस्पताल में आयुर्वेद तथा होमियोपेथी क्लिनिक भी शुरू किया गया है।

- अस्पताल में बड़े और छोटे ऑपरेशन करने के लिए 4 वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर यानि दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, एक छोटा ऑपरेशन थिएटर और विशेष उपकरणों के साथ सेप्टिक और संक्रमित मामलों के लिए ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं।
- चिकित्सा सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों, सीआईएसएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों तथा पोर्ट स्कूलों और पूल खल्लासियों, सीएचडी कैजुअल श्रमिकों और उनके आश्रितों को भी प्रदान की जाती हैं।
- कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में तृतीयक देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है।
- कर्मचारियों, श्रमिकों और उनके आश्रितों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिन्नामुशिडिवाड़ा में दो शाखा औषधालय और प्रशासनिक कार्यालय के पास एक अन्य औषधालय स्थित है।

निष्पादन विवरण :

विवरण	2024—25	2023—24
प्रयोगशाला जांचों की संख्या	1.58 सीं	1.30 सीं
इलाज किये गये बाह्य रोगियों की संख्या	2.17 सीं	2.12 सीं
भुगतान पर इलाज मामलों की संख्या	——	50
भुगतान मामलों से प्राप्त आमदनी (केबिन प्रभार)	0.57 सीं	0.60 सीं

औषधालयों में कार्यचालन :

मुख्य अस्पताल / डिस्पेंसरी	इलाज किये गये मरीजों की संख्या	
	2024—25	2023—24
1. जी जे एच मुख्य अस्पताल	1,92,630	1,88,030
2. पोर्ट एरिया डिस्पेंसरी	19,465	19,139
3. चिनमुशिडिवाडा डिस्पेंसरी	5,280	5,254
कुल	2,17,375	2,12,423

क्लिनिकों का कार्यचालनः

विवरण	2024—25	2023—24
प्रतिरक्षण किये गये मामलों की संख्या	18	34
पोलियो वौक्सीनेशन की संख्या	——	——
हेपाटिटिस—बी वौक्सीनों की संख्या	18	30
बी सी जी	——	02
डी पी टी	——	01
एम एम आर	——	01

व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक :

क्लिनिक में उपस्थित कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 2023–24 में 1225 और वर्ष 2024–25 में 1042 थी।

इन–पेशेंट सेवाएं :

विवरण	2024–25	2023–24
भर्ती किये गये रोगियों की संख्या	1,097	1,123
किये गये आपरेशन्स की सं. (बडे/छोटे)	2,895	3,001
किये गये प्रसवों की संख्या	––	02

परिवार कल्याण :

विवरण	2024–25	2023–24
किए गए टयूबेक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	01	––
किए गए वेसक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	––	––

चिकित्सा परीक्षण :

वर्ष 2024–25 के दौरान नए भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए जांचे गए मामलों की संख्या दृ 03, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए दृ 07, आवधिक दृष्टि परीक्षण दृ 16

प्राथमिक चिकित्सा केंद्रः

वर्ष 2023–24 के दौरान प्राथमिक चिकित्सा मामलों की संख्या 638 थी और वर्ष 2024–25 के दौरान 718 थी।

सफाई :

क्वे बर्थ से 3 कि.मी. की परिधि में तथा आवासीय कोलनियों में भी मच्छर नाशक उपाय नियमित और प्रणालीबद्ध रूप से किये गये। नियमित रूप से ऐंटी–रोडेंट उपाय किए गए है।

3.2 शिक्षा :

पोर्ट प्रबंधन द्वारा पोर्ट स्कूलों को धीरे–धीरे बंद करने के निर्णय के कारण, नए प्रवेश रोक दिए गए और स्कूल को 10वीं कक्षा के अंतिम बैच के साथ 31.05.2024 से बंद कर दिया गया।

विवरण निम्नांकित है :

विवरण	शिक्षण स्टाफ	गैर–शिक्षण स्टाफ	विद्यार्थियों की सं.
सालिग्र्रामपुरम			
हाई स्कूल गोदावरी	2	4	6
वीपीए कार्यालय में कर्मचारी	12	1	13
कुल	14	5	19

3.3 आवास

दि 31.3.2025 तक पोर्ट एवं सी एच डी के कर्मियों को आवंटित आवासों की संख्या 188 है। आवंटित आवासों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक–32 में दिया गया है।

3.4 खेलकूदः

वीपीएससी टीमों ने भारोत्तोलन, बॉडी बिल्डिंग, शतरंज, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, शटल बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केट बॉल चौंपियनशिप में भाग लिया और पदक जीते।

विशाखापट्टणम पोर्ट प्राधिकरण ने 28.01.2025 से 30.01.2025 तक विशाखापट्टणम में अखिल भारतीय प्रमुख पोर्ट कैरम चौंपियनशिप 2024–25 का आयोजन किया था और वीपीए ने अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह 2024–2025 कैरम चौंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

3.5 अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ :

पोर्ट ने रू. 25 लाख बजट के साथ कल्याण निधि की व्यवस्था की, इस से निम्न लिखित कल्याण कार्य किए गए हैं :

- ☐ पोर्ट ने कर्मचारी / कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को उच्चस्तरीय जैसे स्नातक और स्नताकोत्तर, पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और व्यवसायिक कोर्स जैसे आईसीडब्ल्यूआई, कंपनी सचिव आदि का अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।
- ☐ इंटरमीडियट तक पब्लिक परीक्षा में पहले तीन रैंक हासिल करने पर और इंटरमीडियट के बाद स्तर में पहले दो रैंक प्राप्त करने वाले पोर्ट कर्मचारी के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति ।
- ☐ श्रामिक शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारी और श्रमिकों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए, प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी पर मानते हुए, टीए और डीए और अन्य स्वीकार्य भत्ते देने के अलावा, औद्यगिक अध्ययन दौरे में भाग लेने के लिए प्रति प्रतिभागी को 9 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश और रू. 2000/– की वसूली योग्य अगिग्रम प्रदान किया जा रहा है ।
- ☐ केंटीन को रसोई गैस, बर्तन उपकरण, बिजली के उपकरण आदि सहित संरचना ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, मुफ्त में बिजली और पानी की आपूर्ती की जाती है । विभिन्न कार्य स्थलों पर लंच–कम–रेस्ट रूम का उपलब्ध कराए गए हैं ।
- ☐ वर्ष 2024–25 के दौरान परिवार विवाद मामले प्राप्त किये गये है और बेहतर जीवन के लिए उनका काऊंसिलिंग किया गया ।
- ☐ वर्तमान में वीपीए के कर्मचारियों को अपने / लड़का एवं लडकी की शादी के लिए / रू. 10,000/– प्रति दिन पर श्री सीतारामा कल्याण मंडपम आबंटित किया जाता है ।

- देहांत हुई सेवारथ कर्मचारियों को पोर्ट द्वारा प्रदान किए गए गृह निर्माण अग्रिम का भारी शेष रकम की बाधा से मुक्त होने के लिए वीपीए ने गृह निर्माण अग्रिम परिवार सुरक्षा पारस्परिक निधि योजना नामक एक योजना का विकसित किया ।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिलों को प्रस्तुत करने पर रू. 1500/– तक चश्मे की लागत प्रतिपूर्ती दी जाती है ।
- मृतक कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा निधि से अंतिम संस्कार व्यय के लिए 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
- कल्याण कोष से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 10,000/– रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया था और इसका उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा है।
- पोर्ट कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लेजर सर्जरी कराने के लिए प्रतिपूर्ति हेतु 50ः (या) 15,000/– रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
- हर साल 8 मार्च को महिला दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें 200 से ज़्यादा महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन और वरिष्ठ महिला कर्मचारियों के सम्मान के लिए पोर्ट राजस्व निधि से 5,00,000/– रुपये की राशि स्वीकृ त की गई।

  कल्याण निधि से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक–33 में दिया गया है ।

सुरक्षा उपाय –

- वीपीए ने दिल्ली में ष्सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारष् सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनएनवायरो सिल्वर अवार्ड 2025 प्राप्त किया।
- वीपीए ने सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रक्रियाओं और खतरों की स्पष्ट समझ के लिए सुरक्षा एनिमेटेड वीडियो लॉन्च किया।
- वीपीए द्वारा शुरू की गई क्यूआर स्कैन प्रणाली सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और इच्छुक पक्षों आदि के लिए एक खुला मंच है, जहाँ वे किसी भी प्रकार की निकट–चूक, घटनाओं, दुर्घटनाओं और असुरक्षित स्थिति की सीधे सुरक्षा विंग को रिपोर्ट कर सकते हैं।
- विशाखापट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के गोदी क्षेत्र, कार्य स्थलों, परिचालन सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा संकेत बोर्ड (अनिवार्य चेतावनी और सूचनात्मक) प्रदान किए गए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मार्च 2025 तक का आयोजन किया गया। सभी पोर्ट कर्मचारियों, पोर्ट उपयोगकर्ताओं, स्टीवडोर और पीपीपी/बीओटी टर्मिनलों को विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए शामिल किया गया।
- आईएमडीजी कोड, प्रासंगिक विनियमों और जांच सूचियों का विधिवत पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार खतरनाक/खतरनाक कार्गो हैंडलिंग की निगरानी की जा रही है, जो

विशेष रूप से पोर्ट संचालन पर उन्नत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई हैं।

- ☐ पोर्ट सुरक्षा समिति की बैठकें डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियमन, 1990 के नियम 114(3) के अनुसार उप–अध्यक्ष / वीपीए (पोर्ट सुरक्षा समिति के अध्यक्ष) की उपस्थिति में समय–समय पर आयोजित की जाती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अतिरिक्त सहायक निदेशक (सुरक्षा), सभी विभागाध्यक्षों सहित यूनियन प्रतिनिधियों और पोर्ट सुरक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विभागीय स्तर के सुरक्षा मुद्दों को हल किया जाता है।
- ☐ कार्यस्थल स्तर में सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए शॉप फ्लोर सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- ☐ डॉक एवं औद्योगिक परिचालनों में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन का मॉनिटरिंग इंस्पेक्टरेट डॉक सेफ्टी, इंस्पेक्टरेट ऑफ फेक्टरीज़ जैसे प्रवर्तित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है ।
- ☐ कर्मियों में निपुणता का विकास हेतु 'कार्य पर सुरक्षा जागरूकता' का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- ☐ कार्य स्थलों में सुरक्षा पद्धतियों पर कर्मकारों को जागृत करने और प्रेरणा देने के लिए विशेष रूप से एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया गया और कार्य स्थलों पर प्रदर्शित किया गया । सुरक्षा प्रशासन में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सुरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं ।
- ☐ वर्ष 2024–25 के दौरान दुर्घटना एवं दुर्घटनाओं में घायल कर्मकार आदि का विवरण अनुलग्नक 35 में दिया गया है ।

दुर्घटना प्रबंधन योजना

एक व्यापक दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना विकसित की गई है, मानक प्रचालन पद्धतियों के साथ दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना और जोख्मि मूल्यांकन अध्ययन शामिल है ।

वीपीए के पास ऑन साईट / ऑफ साईट से संकटों को निपटने के लिए दो समूह हैं अर्थात (i) संकट प्रबंधन समूह जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्ष शामिल हैं और (ii) घटना रिपोर्टिंग टीम (आईआरटी) जिसमें हार्बर मास्टर, फायर आफिसर, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप यातायात प्रबंधक और उप कमांडेंट एवं कें.सु.औ.बल होते हैं ।

एनओएसडीपीसी के तहत वीपीए के पास अलग ऑयल स्पिल का संभाव्यता योजना है ।

वीपीए के पास पोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित फायर ब्रिगेड हैं । वीपीटी के पास प्राकृतिक विपत्त्यिों से निपटने के लिए विकसित कार्यवाही योजना है । इस सिस्टम को आवधिक रूप से लेखापरीक्षा किया जा रहा है ।

वीपीए ने आवधिक रूप से सभी परिदृश्यों के लिए मॉक ड्रिल और वही वृद्धि करने के लिए समीक्षा की जा रही हैं ।

सुरक्षा

- ☐ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण 02–02–2013 से समुद्री सुरक्षा के स्तर–1 में है । आई एस पी एस कार्यकलापों की समीक्षा हेतु जिला समाहर्ता एवं मेजिस्ट्रेट के साथ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, केंद्र एवं राज्य इंटलिजेंस, फिशरीज, सीमाशुल्क के सदस्य सहित सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ।
- ☐ पोर्ट ने वीपीए में आये हुए जहाजों पर सुरक्षित और कुशल नौचालन के लिए वीटीएस (जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली) को स्थापित किया और प्रचालन जुटाया गया ।
- ☐ वीपीए द्वारा बम खोज उपस्कर प्राप्त किया गया और डीफ्यूजिंग स्क्वेड तैयार करने के लिए कार्रवाई की गयी है ।
- ☐ वीपीए द्वारा आंतरिक एवं बाह्य बंदरगाह को संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए क्लोज्ड सरक्यूट टेलिविजन (सीसीटीवी) जैसी आधुनिक गेड्जेट्स लगाया गया । कें.औ.सु.बल द्वारा प्रवेश / निकासी गेटों पर चौबीस घंटे प्रचालन का निगरानी है ।
- ☐ सभी 06 गेट (जीसीबी, डीएम, ईक्यू.डब्ल्यूक्यूएस, डब्ल्यूक्यू5, डब्ल्यूक्यू7 और एनडब्ल्यू सेंटर) पर आरएफआईडी आधारित गेट मैनेजमेंट सिस्टम ।
- ☐ एंकरेज पर चौबीस घंटे निगरानी करने के लिए के. औ. सु. बल कार्मिकों के साथ एक हाईस्पीड पेट्रोल बोट जानवरी, 2023 से किराये पर लिया गया है ।
- ☐ रेडियोएक्टिव सामग्री का स्क्रीनिंग और संदूषण के लिए रेडियो एक्टिव डिटेक्शन उपस्कर प्राप्त किया गया और पूर्व क्वे –7 गेट पर स्थापित किया गया ।
- ☐ आई एस पी एस कोड़ के अनुसार डी जी शिपिंग ने वर्ष 24.05.2024 के लिए आई एस पी एस नवीकरण सत्यापन लेखापरीक्षा का आयोजन किया और वि पो ए को अनुपालन स्टेटमेंट प्रमाण पत्र (एसओसी) दिया, जो दिनांक 20–05–2029 तक वैध है ।
- ☐ आई एस पी एस कोड़ के अनुसार डी जी शिपिंग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा किया गया ।
- ☐ मोबाइल एक्स–रे कंटेनर स्कैनर की स्थापना पूरी हो गई है और इसे चालू कर दिया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन

- ☐ विशाखापट्टणम पोर्ट और उसके आसपास तीन स्थानों पर निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।
- ☐ दोनो फील्ड और कार्यालय के दैनिक कार्यों के लिए मुख्य अभियंता नेतृत्व में एक अधीक्षक अभियंता, 1 कार्यकारी अभियंता, 1 सहायक अभियंता, 1 कनिष्ठ अभियंता के साथ अलग पर्यावरण कक्ष और क्षेत्र और कार्यालय दोनों के दैनिक कार्यों के लिए एक सलाहकार होंगे ।
- ☐ वीपीए एवं पीपीपी टर्मिनल्स और कमांड नियंत्रण केंद्र पर ईएमएस का कार्यान्वियन पर मॉनीटरिंग करने के लिए वीपीए ने 24 X 7 कार्य करने के लिए 25 सदस्यों का आंतरिक टास्क फोर्स टीम को गठित किया और सी.सी. केमेराओं की माध्यम से सभी प्रचालन क्षेत्रों से पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए कमांड नियंत्रण केंद्र है ।

- पर्यावरण मॉनीटरिंग समिति (एपीपीसीबी, वरिष्ठ नागरिक, वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, एनजीओस, पोर्ट उपभोक्ता, जीवीएमसी के अधिकारी, नेवी, सेईल एवं पाठशालाओं के प्रतिनिधियॉ) हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं ।
- वायु एवं जल अधिनियमों के अंतर्गत प्रचालन के लिए एपीपीसीबी का सहमति प्राप्त किया गया और दिनांक 31–12–2026 तक वैध है ।
- आईएसओ 14001 के लिए बाहरी एजेंसियों (आईआरएक्स) द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा (हाल ही में मई 2025 में लेखा परीक्षा किया गया)।
- सभी स्टैक यार्डों को 50.00 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित यांत्रिक धूल दमन प्रणाली प्रदान की गई, जो 4,75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करती है और यह प्रभावी है तथा पानी का छिड़काव चौबीसों घंटे किया जाता है।
- पानी के टैंकरों से पानी का छिड़काव करके कार्गो के ढेर को गीला करना।
- वाहनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली धूलि को दूर करने के लिए पानी के टैंकरों द्वारा लगातार चौबीस घंटे सडकों को गीला किया जाता है । प्रति दिन टेंकरों द्वारा जल 200 ट्रिप्स लगभग (4.0 एमएलडी) का पानी छिडकाव किया जाता है और यांत्रिक धूली दमन पद्धति द्वारा भंडारण क्षेत्रों में 4.0 एमएलडी पानी का छिडकाव किया जाता है ।
- ट्रकों को टारपालिन्स से ढकाते हैं ।
- घाटों पर कार्गो का लदान / उतराई के समय उत्पन्न होने वाली धूली का दमन करने 4 ट्रक माऊंटेड फॉग केनन नियोजित किया और 7 ट्राली माऊंटेड फॉग केनन को नियोजि किया गया ।
- यांत्रिक स्वीपिंग मशीनों के साथ नियमित रूप से सडकों को साफ करते हैं और गैर–स्थाई कर्मकारों के साथ सड़कों को साफ अनुरक्षण करते हैं ।
- वीपीए में स्टैक की ऊँचाई छह मीटर तक सीमित है। पीपीपी ऑपरेटरों (मेसर्स वीजीसीबी और मेसर्स वीएसपीएल) के लिए स्टैक की ऊँचाई 10 मीटर तक की अनुमति है।
- धूली दमन प्रणाली, हाई–राईज़ एनक्लोज़र्स, स्क्रीन आदि सहित आवश्यक पर्यावरण उपाय लिया गया ।
- बर्थों का महत्वपूर्ण यांत्रीकरण किया गया है और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करके सड़क मार्ग से माल की आवाजाही में कमी लाई गई है।
- शहर को जोड़ने वाली पोर्ट सड़कों पर यांत्रिक ट्रक टायर धुलाई की सुविधा उपलब्ध है ताकि शहर की अंतर्देशीय सड़कों को साफ–सुथरा रखा जा सके।
- विशाखापट्टणम पोर्ट पर 3 वर्ष की अवधि (2028 तक) के लिए 10 एमएलडी, 25 केएलडी और 20 केएलडी एसटीपी के कच्चे सीवेज / उपचारित जल, वीपीए के समुद्री जल और समुद्री तलछट का नमूना लेना, विश्लेषण और परीक्षण को मेसर्स एनवायरो लैब्स एंड कंसल्टेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टणम को सौंपा गया है, जो प्रगति पर है।

- ☐ गोल्डन जुबली अस्पताल, विशाखापट्टणम पोर्ट अथॉरिटी में 25 केएलडी के अस्पताली सीवेज के प्रबंधन हेतु एफआरपी आधारित पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन और रखरखाव 5 वर्षों की अवधि (2030 तक) के लिए मेसर्स स्पेक्ट्रा एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टणम को कार्य आदेश जारी किया गया।
- ☐ पोर्ट क्षेत्र में एओबी पर 5 वर्ष (2030 तक) की अवधि के लिए 20 केएलडी सिंगल कम्पोजिट/कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर प्रकार (पीएमटीआर) प्री–फैब्रिकेटेड अपशिष्ट जल उपचार पुनर्चक्रण संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीआरपी) का संचालन और रखरखाव का काम मेसर्स विशाखा एनवायरो लैब्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टणम को कार्य आदेश जारी किया गया।
- ☐ एच–8 जंक्शन से सी हॉर्स जंक्शन और सी हॉर्स जंक्शन से कॉन्वेंट जंक्शन तक शहर के इंटरफेस पर 10 करोड़ रुपये की लागत से 7.5 मीटर ऊंची एक दीवार का निर्माण किया गया।
- ☐ पोर्ट सीमाओं पर 3 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (सीएएक्यूएम) स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

जल प्रदूषण निवारक उपाय :

- ☐ हार्बर बेसिन में बिल्ज या बल्लास्ट वाटर छोडने से रोकने के लिए जहाजों पर नियमों को कडाई से पालन करने के लिए बाध्य किया ।
- ☐ मेसर्स ए यू डी सी द्वारा 9 स्थानों में तिमाही के आधार पर सैको – केमिकल पैरामीटर्स के लिए पोर्ट जल का विश्लेषण ।
- ☐ मेसर्स एस.वी. एन्विरो लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स द्वारा भौतिक दृ रसायनिक और जैविक मापदंडों के लिए समुद्र तल के नमूनों को अर्ध वार्षिक के आधार पर बेड सेंपिल्स प्राप्त करना ।
- ☐ तेल संभलाई प्रचालन के दौरान गिरने वाले तेल को हटाने के लिए फ्लोटिंग ऑयल बूम का प्रावधान किया गया ।
- ☐ प्लोटिंग क्राफ्ट द्वारा मलवा और बहता कूडा कचड़ा इकट्टा करना ।
- ☐ सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा निर्धारित समुद्र के एक स्थल में निकर्षित मिट्टी का निपटारा ।
- ☐ उद्योगों को सख्त अनुदेश दिया गया कि व्यर्थ जल को पोर्ट जल में छोड़ने से पहले कूडा निकाल दे।
- ☐ शहर से पोर्ट जल में आनेवाले सीवेज और सीवेज को संसाधित करने के लिए एक 10 एम एल डी सवीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है । नारियल का खोपरा, प्लास्टिक बैग्स और अन्य ठोस कचरे चीजें आदि को नगर निगम डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है ।
- ☐ प्लावीयानों से आनेवाले तेलीय गंदगी से जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे जल को अलग 'रिसेप्शन टैंक' में इकट्टा किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों को दिया जा रहा है।
- ☐ सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे पानी में कोई भी तैलीय पदार्थ न फेंकें।

- ☐ जल में किसी प्रकार के दुर्घटनात्मक रिसाव से बचने के लिए ऑयल बेरल्स को रखने के लिए ट्रे की व्यवस्था की गयी है ।
- ☐ समुद्री जीवन की वनस्पतियों, जीवों और जैव विविधता तक पहुंचने के लिए ए.यू. के समुद्री विभाग द्वारा समुद्री पारिस्थितिक अध्ययन किए जा रहे हैं।
- ☐ ऑयल ट्रान्सफर करते समय सावधानी बरती गयी है (जैसे कि सेव ऑयल ट्रे को ड्रिप्पिंग प्वाइंट्स के पास रखना) ।
- ☐ ऑयल ट्रान्सफर के लिए प्रयोग करने वाले होसेस बिगडने से बचने के लिए दबाव का आवधिक परीक्षण करना ताकि खराब के कारण फटने से बचा जा सके ।
- ☐ ध्वनि प्रदूषण निवारक उपाय :
- ☐ भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए सड़कों को चौड़ा करना और कार्पेटिंग करना ।
- ☐ ध्वनि के स्तर को मापा और निगरानी की जा रही है।
- ☐ शहर से गुजरने वाले कन्वेयर को आच्छादित किया गया ।
- ☐ निवासियों के पास नो हॉर्न डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था की गई है।
- ☐ भूमि प्रदूषण निवारक उपाय
- ☐ भूमि पर तेल रिसाव से बचने के लिए रखरखाव कार्य करते समय ड्रिप ट्रे और सेव–ऑल ट्रे का उपयोग किया जा रहा है।
- ☐ अनुपयोगी और स्क्रैप सामग्री का समय–समय पर निपटान किया जा रहा है।

तरल अपशिष्टों का निपटान

- ☐ उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट को निपटान से पहले सोडियम हाइपो क्लोराइट घोल और ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित किया जाता है। कैंटीन में उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट को व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाता है, जिसमें बचे हुए खाद्य कणों को अलग कंटेनर में अलग करके रखा जाता है और पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी को नालियों में ही छोड़ दिया जाता है।

खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा :

- ☐ पोर्ट क्षेत्र में खतरनाक अपशिष्टों का उत्पन्न नहीं हुआ , उनका प्रबंधन भी नहीं हुआ
- ☐ एपीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के लिए लोहार की दुकानों में तैलीय कपास के कचरे जैसे कचरे का पुनः उपयोग किया जा रहा है।
- ☐ एपीईएमसीएल वेबसाइट के माध्यम से उपयोग किए गए/अपशिष्ट तेल का निपटान किया जा रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार इस्तेमाल की गई बैटरियों को बायबैक आधार पर खरीदा जा रहा है।
- ☐ बैटरी एसिड तलछट को 6 से 8 के बीच पीएच मान प्राप्त करने के लिए पतला किया जा रहा है और उसके बाद उसका निपटान किया जा रहा है।

ठोस कचरे का निपटान :

- ☐ पोर्ट क्षेत्रों में और उसके आसपास उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को बायोडिग्रेडेबल, गैर–बायोडिग्रेडेबल और खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अलग–अलग रंग कोड वाले डस्टबिन में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए कचरे का निपटान कापुलुप्पाडा में जीवीएमसी द्वारा डंपिंग यार्ड में निपटारा किया जाता है।
- ☐ ठोस अवशिष्ट जौसे कोरोडेड स्टील प्लेट्स, रबड के टुकडे, छांटे गये अतिरिक्तों/उपकरणों आदि का निपटारा नियमित रूप से किया जाता है ।
- ☐ गेड्डा से एकत्र प्लास्टिक कचरे को मेसर्स जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कापुलुप्पाडा को भेजा जाता है । वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, 15 मेगावाट के कचरे से ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 731 टन की मात्रा का निपटान किया गया।

बायो–मेडिकल अवशिष्ट का निपटारा :

- ☐ अस्पतालों और औषधालयों में उत्पन्न जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को अलग–अलग रंग कोडित डिब्बों में एकत्र किया जाता है और इन कूड़ेदानों को सरकारी अधिकृत एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहनों के माध्यम से शहर के बाहर विशाखापत्तनम नगर निगम प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए एक सामान्य भस्मक में उपचारित करने के लिए ले डाल दिया जाता है।
- ☐ सभी इंजेक्शन्स और सिरंजी नीडिल्स को फिर से प्रयुक्त करने से बचने के लिए मानक के अनुसार सभी इंजेक्शन और सिरिंज की सुइयों को इलेक्ट्रिक सुई टर्मिनेटर द्वारा टर्मिनेट किया जा जाता है ।

वीपीए में पर्यावरण प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रगति पर रहे और प्रस्तावित अध्ययन/कार्य इस प्रकार हैं:

- ☐ पोर्ट में 6 बर्थों के प्रस्तावित आधुनिकीकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ईसी एवं सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए ईआईए अध्ययन की तैयारी हेतु परामर्श सेवाएं मेसर्स चोलामंडलम एमएस रिस्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को डब्ल्यू.ओ. जारी किया गया।
- ☐ वीपीए में 4 इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 294,000 टन है। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों द्वारा निर्मित 5 ढके हुए भंडारण शेड भी हैं, जिनकी क्षमता 342,800 टन है। इन शेडों का उपयोग धूल भरे माल के भंडारण के लिए किया जाता है।

वीपीए द्वारा नियोजित हरित पट्टी

- ☐ स्टैक यार्ड के चारों ओर हरित पट्टी विकसित की गई। पोर्ट क्षेत्र और उसके आसपास हरित पट्टी के निरंतर सुधार और विस्तार के लिए वीपीए द्वारा पिछले दो दशकों से निरंतर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- ☐ 1990 के दशक से पोर्ट परिचालन क्षेत्रों, आवासीय और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1327 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए 6,60,000 वृक्षारोपण किए गए।

- ☐ वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, वीपीए ने 60,000 पौधे लगाए। इसके अलावा, वीपीए ने गैर–सरकारी संगठनों, संगठनों, जिला प्राधिकरणों, स्कूलों आदि को वितरण के माध्यम से पोर्ट और उसके आसपास चरणबद्ध तरीके से 10 लाख पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा है।

अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग :

- ☐ पोर्ट के पानी में प्रवेश करने से पहले शहर के सीवेज को एकत्रित करने और उपचारित करने के लिए 10 एमएलडी एसटीपी का संचालन किया जा रहा है, जिससे पोर्ट के पानी की गुणवत्ता बनी रहे।
- ☐ उपचारित जल का उपयोग प्रभावी धूल दमन के लिए किया जाता है, जिससे ताजे जल संसाधनों का संरक्षण होता है।
- ☐ एस4 क्षेत्र में 10 एमएलडी का नवीनीकरण कर उसे 15 एमएलडी किया जाएगा तथा 10 एमएलडी के समीप 5 एमएलडी एसटीपी का निर्माण प्रस्तावित है।

ग्रीन एनर्जी :

- ☐ विशाखपट्टणम पोर्ट ने रू. 52.00 करोड़ की लागत पर 10 एम डब्ल्यू सोलार पावर प्लांट स्थापित करने के साथ ग्रीन इनीशियेटिव्स के अंतर्गत सोलार पावर जेनरेशन का पालन में मार्गदर्शन किया ।
- ☐ सोलार पावर का उत्पादन हेतु छत पर मिलने वाले जगहों का प्रभावि रूप में उपयोग किया । पोर्ट ने रू. 70 लाख की लागत पर गोल्डन जूब्ली अस्पताल में रूफ टॉप पर 190 केडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की और रू. 49.50 लाख की लागत पर प्रचालन भवन के रूफ टॉप पर 90 केडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की ।
- ☐ पोर्ट के कुछ क्षेत्रों में रोशनी के लिए रू. 5,09,940/– की लागत पर ट्राईल के आधार पर सोलार एनर्जी का उपयोग किया जाता है ।
- ☐ विभिन्न केंटीन तथा पोर्ट अतिथि गृह में रू. 9,02,412/– निवेश करते हुए सोलार पावर वाटर हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ।

ग्रीनहाउस गैसों के विकास के विरुद्ध हरित प्रौद्योगिकी क्रांतिः

- ☐ वीपीए ने एक और 5मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव रखा।
- ☐ वीपीए ने दो स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की।

ग्रीनहाउस गैसों का विकासः

- ☐ डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत रेल इंजनों की तैनाती का प्रस्ताव करके जीवाश्म ईंधन की खपत में संभावित कमी लाना, जिससे स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान मिलेगा।
- ☐ रेलवे का विद्युतीकरण।

प्रदूषण के विरुद्ध अवरोध के रूप में हरित पट्टी विकासः

- ☐ संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार वैश्विक प्राथमिकता वाले हरित पट्टी विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी।

स्वच्छ भारत अभियान :

- ☐ सड़कों का नियम रूप से साफ करना और डॉक क्षेत्र की सफाई के लिए यांत्रीकृत सफाई मशीनों का उपयोग किया जाता है ।
- ☐ पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर में 69.80 लाख रुपये की लागत से सभी साइनेज और बोर्डों को एक समान रंग कोड (पोर्ट के लिए विशिष्ट – हरा और सफेद) से रंगने का कार्य शुरू किया गया।
- ☐ सभी सेक्टरों में 90.28 लाख रुपये की लागत से सड़क चिन्हों, ज़ेबरा क्रॉसिंग फुटपाथ के किनारों आदि की रंगाई का कार्य शुरू किया गया।
- ☐ गेड्डा से तैरते पदार्थों को नियमित रूप से हटाना, नालियों की सफाई आदि।
- ☐ एसटीपी इनलेट क्षेत्र में तैरते पदार्थों को हटाना और जीवीएमसी कपुलप्पदा डंपिंग यार्ड में भेजना।
- ☐ गेड्डा से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को मेसर्स जिंदल विशाखापत्तनम शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को भेजा जाता है, ताकि कचरे से बिजली बनाई जा सके।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) 2024–25

उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सीएसआर उपसमिति कार्यरत है। उपाध्यक्ष /वीपीए, सचिव, एफए और सीएओ और सीमा शुल्क विभाग से वीपीए मंडल का एक सदस्य इसके सदस्य हैं।

समिति समय–समय पर सीएसआर प्रस्तावों की समीक्षा करती है और वीपीए मंडल द्वारा अनुशंसित गतिविधियों और पत्तन पोतपरिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर दिशानिर्देशों निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याण और पर्यावरण के लिए 631.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 370.64 लाख रुपये निम्नलिखित पर खर्च किए गए ।

स्वास्थ्यः

किंग जॉर्ज अस्पताल, विशाखापट्टणम में आपातकालीन और ओ पी ब्लॉकों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 60.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

गुरुदेव चौरिटेबल ट्रस्ट, विजयनगरम में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कृत्रिम अंगों पर 10.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कोटा वीधी, विशाखापट्टणम में सामुदायिक विकास के अंतर्गत आयोजित नियमित निःशुल्क सायंकालीन चिकित्सा क्लिनिक पर 18.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

स्नेहा संध्या एज केयर फाउंडेशन, विशाखापट्टणम द्वारा आयोजित वृद्धावस्था एवं उपशामक देखभाल केंद्र के निर्माण पर 5.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

मेसर्स बक्सर के राम, हेरिटेज सिटी, बिहार द्वारा विभिन्न संभावित क्षेत्रों में ष्आरोग्यमष् निवारक स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पेयजल एटीएम इकाइयों की स्थापना हेतु 12.50 लाख रुपये व्यय किए गए।

मेसर्स इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन द्वारा विशेष पेशी शोष (एसएमए) से पीड़ित एक छात्राओं के जीवन रक्षक उपचार हेतु 5.00 लाख रुपये व्यय किए गए।

लायंस क्लब ऑफ विजाग चौरिटेबल ट्रस्ट, विशाखापट्टणम द्वारा क्वीन मैरी सरकारी स्कूल की छठी से नौवीं कक्षा तक की छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाने हेतु 12.00 लाख रुपये व्यय किए गए।

आदिवासी कल्याण पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास–1, कप्पाराडा, विशाखापट्टणम में आरओ प्लांट पर 3.15 लाख रुपये खर्च किए गए।

ताजंगी (लम्बासिंग), चिंतापल्ली मंडल, एएसआर जिला, आंध्र प्रदेश में दो आरओ प्लांट पर 4.01 लाख रुपये खर्च किए गए।

भीमिली सरकारी बालिकाओं पॉलिटेक्निक, विशाखापट्टणम में फर्नीचर सहित डेस्कटॉप और आरओ वाटर प्यूरीफाइड प्लांट पर 5.10 लाख रुपये खर्च किए गए।

विशाखापट्टणम के सरकारी ईएनटी अस्पताल में एडियोलॉजी संबंधी आवश्यकताओं (4 वस्तुओं) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 25.41 लाख रुपये खर्च किए गए।

किंग जॉर्ज अस्पताल, पोर्ट पेरिफेरल एरिया, विशाखापट्टणम में 3 आरओ प्लांट उपलब्ध कराने पर 3.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

टीआईपीकेएआई, दिसापुर, गुवाहाटी, असम द्वारा आयोजित विभिन्न स्थानों पर 3 वाटर फिल्टर यूनिटों पर 21.24 लाख रुपये खर्च किए गए।

कौशल विकासः

समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) के सहयोग से विशाखापट्टणम परिसर में 200 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए 27.94 लाख रुपये खर्च किए गए।

समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) के सहयोग से एएसआर जिले के 60 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए विशाखापट्टणम परिसर में 13.38 लाख रुपये खर्च किए गए।

विजयनगरम जिले के कुष्ठ रोग मिशन व्यावसायिक प्रशिक्षण के 80 गरीब और जरूरतमंद छात्रावासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 10.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

विशाखापट्टणम स्थित श्री नैपुण्य बराथी एजुकेशन सोसाइटी को पोर्ट परिधीय क्षेत्र में सामुदायिक विकास के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित करने के लिए 11.30 लाख रुपये खर्च किए गए।

पश्चिम बंगाल के परगना में मातृ सेना चौरिटेबल ट्रस्ट (एमएससीटी) द्वारा आयोजित सामुदायिक विकास के तहत महिलाओं के लिए सिलाई मशीन और कढ़ाई उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 6.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

कल्याण:

आंध्र प्रदेश में बाढ़ के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष में 54.18 लाख रुपये का योगदान दिया गया।

डिब्रूगढ़, असम के क्रिकेट क्लब के उपयोग के लिए 30 केवीए महिंद्रा पावर साइलेंट सीपीसीबी–प्ट शिकायत डीजी सेट की स्थापना हेतु 9.86 लाख रुपये व्यय किए गए।

विशाखापट्टणम स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु 10. 47 लाख रुपये व्यय किए गए।

एमपीपी स्कूल, जी. मदुगुला जनजातीय क्षेत्र, एएसआर जिले में स्कूल के आधारभूत संरचना, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, बोरवेल आदि उपलब्ध कराने के लिए 4.95 लाख रुपये खर्च किए गए।

श्री वेंकटेश्वर युवजन संगम, रोलुगुंटा, नरसीपट्टनम, अनकापल्ली जिले के वृद्धाश्रम सामुदायिक भवन में आधारभूत संरचना के लिए 1.57 लाख रुपये खर्च किए गए।

तटीय सामुदायिक विकास के अंतर्गत मछुआरा समुदाय की सहायता के लिए दो पृथक मछली परिवहन वाहनों की खरीद पर 6.57 लाख रुपये खर्च किए गए।

पर्यावरण:

केंद्रीय राजस्व क्वार्टरों में लैंडस्केप और वृक्षारोपण कार्य के लिए व्यय किए गए 30.00 लाख रुपये सैंड हिल्स, विशाखापत्तनम स्थित सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के हैं।

अन्य घटनाएं

1. ड्राई डॉकिंग

विवरण	पोर्ट ड्राई डॉक		
	2024—25	2023—24	2022—23
ड्राई डॉक नियोजित करने की दिनों की संख्या	309	183	227
पोर्ट क्राफ्टों की संख्या	4	1	2
बाहरी क्राफ्टों की संख्या	5	9	10
ड्राई डॉक से कुल आमदनी (रूपया लाखों में)	96.85	276.00	414.00

2. कार्यशालाएं

विवरण	पोर्ट कार्यशाला		ड्राइ डॉक		ओ.आर.एस.	
	2024—25	2023—24	2024—25	2023—24	2024—25	2023—24
प्राप्त कार्यों की संख्या	270	295	141	128	748	578
पूरा किये गये कार्यों की संख्या	270	295	141	128	748	578

3. जलापूर्ति

(लाख किलो लीटरों में)

जल के स्त्रोत	निम्न को आपूर्ति		पोर्ट की खपत	कुल
	जहाज	अन्य		
विशाखपट्टणम नगर निगम	——	0.90	3.85	4.75
वी.पी.ए. के अपने साधन				
संतमेट्टा रिजर्वायर	1.63	0.85	0.21	2.69
लोवा गार्डन्स	1.72	1.05	0.95	3.72
सालग्रामपुरम आवासीय कालोनी के.औ.सु.बल				
कालोनी,खेल एवं सांस्कृतिक कांप्लेक्स में खुले कुएं	——	0.10	3.00	3.10
कुल	3.35	2.90	8.01	14.26

4. विद्युतशक्ति की खपत

उपभोक्ता	वर्ष में खपत की गयी विद्युत (लाख युनिट)				
	2024–25	2023–24	2022–23	2021–22	2020–21
पोर्ट (सरकारी विभाग और पोर्ट से संबंधित प्राइवेट फर्म शामिल है)	136.88	106.43	96.02	69.09	73.28
पोर्ट के आवासीय भवन	25.03	26.63	27.65	29.62	30.91
कुल	161.91	133.06	123.67	98.71	104.19

राजभाषा कार्यान्वयन

- ☐ वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई हिंदी शिक्षण योजना वर्ष भर संतोषजनक ढंग से जारी रही। चूंकि वीपीए और सीएचडी के सभी सचिवीय कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षाएं यानी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पूरी हो चुकी हैं ।
- ☐ दि 1 सितंबर से 15 सितम्बर 2024 तक षहिन्दी पखवाड़ाष बड़े पैमाने पर मनाया गया था । विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और सर्वश्रेष्ठ तीन विभागों को और प्रेरक अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए है ।
- ☐ कर्मचारियों में हिंदी पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हिंदी साप्ताहिक, जर्नल और पत्रिकाएं खरीदी जा रही हैं । वीपीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर हिंदी किताबें खरीदी गई ।
- ☐ पोर्ट में स्थित मानव संसाधन विकास केंद्र में "राजभाषा जागरूकता, अनुवाद, पत्र लेखन और नोट लेखन" पर चार एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं और वर्ष 2024–25 के दौरान 73 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
- ☐ राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए, धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ यानी परमिट, लाइसेंस, निविदा प्रपत्रों के नियम और शर्तें, सामान्य आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषी में जारी किए गए थे और विभागाध्यक्षों की बैठक में अध्यक्ष द्वारा उनकी समीक्षा की गई थी ।
- ☐ एक सतत प्रक्रिया के रूप में कर्मचारियों को दिन–प्रतिदिन के कार्यालय कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर पर श्ऑनलाइन हिंदी सेवाश प्रदान की गई ।
- ☐ राजभाषा का उपयोग करने के लिए सभी अनुभागों के नेमी फार्मेट एवं फार्मों को द्विभाषा में व्यवस्था की गई और पोर्ट प्राधिकरण में हिन्दी की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण की जाती है ।
- ☐ दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी सेल के कर्मचारियों ने वीपीए के सभी विभागों का निरीक्षण किया और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शंकाओं का समाधान किया । नियमित कार्यों में हिन्दी कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कर्मचारियों को आकर्षक पुरस्कार दिये गये ।

- प्रगति का आकलन करने के लिए विभागाध्यक्षों की बैठक में मासिक आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है ।
- राष्ट्रीय समुद्री दिवस, गोदी सुरक्षा दिवस, अग्निशमन दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के संबंध में हिंदी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ।
- वीपीए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है ।
- वीपीए की वेबसाइट हिंदी में भी है ।
- हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है । मंत्रालय के पत्र द्विभाषा के रूप में भेजे जा रहे हैं । वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को द्विभाषा के रूप में प्रस्तुत की जाती है ।
- वीपीए हिंदी में व्यावहारिक ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए ष्प्रति दिन हिंदी में एक शब्द सीखने के लिएष उनके समान अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य स्थानों पर व्हाइट बोर्ड प्रदान कर रहा है ।
- विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया उसमें अध्यक्ष ही समिति के अध्यक्ष है, सचिव राजभाषा अधिकारी होंगे और सभी विभागाध्यक्ष सदस्य हैं । वर्ष के दौरान इस समिति का कार्य संतोषजनक है ।
- वर्ष के दौरान हिंदी में पत्राचार/टिप्पण एवं प्रारूपण के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया ।

अन्य पिछड़े जाती एवं शारीरिक रूप से अपंग

दिनांक 31–03–2025 को ओ बी सी तथा शारीरिक रूप से अपंग वर्गों के अंतर्गत कार्मिकों की संख्या अनुलग्नक 31 में दी गई है ।

8. आर टी आई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

संगठन के कार्यचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण में आर टी आई अधिनियम 2005 कार्यान्वयित किया गया । सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट ने 2 सीएपीआईओ, 06 सीपीआईओ और एक अपील प्राधिकरण को नामित किया गया है ।

वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल 87 आरटीआई अनुरोध और 07 प्रथम अपील प्राप्त हुए हैं, और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 6(3) के तहत अन्य संगठनों को स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के सभी विनियम और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत सूचना वीपीटी वेबसाईट अर्थात अप्रंहचवतज.बवउ पर प्रकाशित हो चुका था। आरटीआई अधिनियम के तहत वीपीटी की तिमाही रिर्टन भी वीपीटी वेबसाईट पर अपलोड की जा रही है ।

9. लोक / स्टॉफ शिकायत सुधारने कार्य

प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किये गये कंप्यूटरैज्ड ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा लोक शिकायत ठीक किए जाते हैं ।

10. वर्ष 2024–25 के दौरान पोर्ट में प्रतिष्ठित आगंतुक/प्रतिनिधियॉ का दौरा

आगंतुकों / प्रतिनिधियों का विवरण	दौरे की तिथि
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार कस्सी ने विशाखापट्टणम का दौरा किया और नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की।	04.05.2024
नेपाल प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री श्री ईश्वर राज पौडेल कोलकता में स्थित नेपाल दूतावास के महावाणिज्य दूत ने व्यापार संबंधों में सुधार लाने के लिए वीपीए का दौरा किया।	13.06.2024
वीपीए और भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) ने विशाखापट्टणम में देशीय क्रूज पर्यटन को बढ़ाने पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की।	13.06.2024
श्री परमेश्वर फुंकवाल, आईआरएमएस, महाप्रबंधक, ईस्टकोस्ट. रेलवे ने अन्य अधिकारियों के साथ रेलवे से संबंधित मुद्दों, रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण और उन्नयन के साथ–साथ अधिक वैगनों की तैनाती, कार्गो की मात्रा में अनुमानित वृद्धि और रेलवे के माध्यम से कार्गो की कुशल निकासी पर चर्चा करने के लिए वीपीए का दौरा किया।	02.7.2024
बांग्लादेश की टीम ने पोर्ट की प्रदर्शन गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए नौवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस.एम. मुस्तफा कमाल और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शेख सालेह अहमद तथा अन्य सदस्यों के साथ वीपीए का दौरा किया ।	08.07.2024
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के माननीय सदस्य श्री जतोथु हुसैन ने एनसीएसटी के माननीय सदस्य के निजी सचिव श्री अशोक कुमार लक्करसू और माननीय सदस्य के सलाहकार श्री पी.वी. रमण के साथ वीपीए का दौरा किया।	20.07.2024

नेपाल के प्रतिनिधियों ने व्यापार लाभ बढ़ाने के लिए पोर्ट की वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए वीपीए का दौरा किया।	09.08.2024
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के माननीय सदस्य श्री वड्डेपल्ली रामचंदर ने निदेशक श्री जी. सुनील कुमार बाबू के साथ वीपीए का दौरा किया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।	20.09.2024
चेन्नई स्थित ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास में उप महावाणिज्यदूत श्री डेविड एग्लस्टन और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग की प्रथम सचिव सुश्री ग्रेस विलियम्स ने वीपीए का दौरा किया।	11.10.2024
आईपीआरसीएल के प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार सेमवाल और अन्य अधिकारियों ने वीपीए में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीपीए का दौरा किया।	27.11.2024
संयुक्त राज्य नौसेना के कैप्टन एलन एम बेकर के नेतृत्व में अमेरिकी टीम ने वीपीए का दौरा किया।	29.03.2025

वार्षिक लेखा 2024–25

वार्षिक लेखा

31 मार्च 2025 को तुलनपत्र की अनुसूची		31 मार्च 2025 को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची	
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गो संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋण निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
अनुसूची 1.4	आस्थगित कर	अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 5	कार्गो संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.4	चालू देयतायों एवं प्रावधान	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
		अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
		अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
निधियों का स्त्रोत :							
आरक्षण और अधिशेषरू	1.1						
क. पूँजी आरक्षण			10,265,018,524			10,241,880,523	
ख. राजस्व आरक्षण							
क) सामान्य आरक्षण निधि		16,439,693,814			12,073,948,062		
ख) कर्मचारी कल्याण निधि		0			0		
ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना		96,124,271			96,977,367		
घ) उपस्कर संरक्षा निधि		0			0		
ड़) देयताओं का आरक्षण निधि		0			0		
			16,535,818,084			12,170,925,429	
ग. सांविधिक आरक्षण							
क) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण		11,255,549,321			10,074,348,196		
ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुर्नभुगतान, विकास के लिए आरक्षण		11,212,647,533			10,031,446,408		
			22,468,196,855			20,105,794,604	
				49,269,033,463			42,518,600,556
अनुदान प्राप्तियाँ	1.3			489,617,768			239,617,768
ऋृण निधियॉं :	1.2						
क. सुरक्षा ऋृण			0			0	
ख. सरकारी ऋृण			0			0	
ग. असुरक्षित ऋृण			0			0	
				0			0
आस्थागित कर दायिताएं :				0			0
निधियों के कुल संसाधन				49,758,651,231			42,758,218,324

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
निधियों का स्त्रोत :							
आरक्षण और अधिशेषरू	1.1						
क. पूँजी आरक्षण			10,265,018,524			10,241,880,523	
ख. राजस्व आरक्षण							
क) सामान्य आरक्षण निधि		16,439,693,814			12,073,948,062		
ख) कर्मचारी कल्याण निधि		0			0		
ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना		96,124,271			96,977,367		
घ) उपस्कर संरक्षा निधि		0			0		
ड़) देयताओं का आरक्षण निधि		0			0		
			16,535,818,084			12,170,925,429	
ग. सांविधिक आरक्षण							
क) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण		11,255,549,321			10,074,348,196		
ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुर्नभुगतान, विकास के लिए आरक्षण		11,212,647,533			10,031,446,408		
			22,468,196,855			20,105,794,604	
				49,269,033,463			42,518,600,556
अनुदान प्राप्तियाँ	1.3			489,617,768			239,617,768
ऋृण निधियॉं :	1.2						
क. सुरक्षा ऋृण			0			0	
ख. सरकारी ऋृण			0			0	
ग. असुरक्षित ऋृण			0			0	
				0			0
आस्थागित कर दायिताएं :				0			0
निधियों के कुल संसाधन				49,758,651,231			42,758,218,324

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
निधियों की प्रयुक्ति :							
क. नियत पूँजी परिसंपत्तियॉरू (शुद्ध ब्लाक)	2.1						
क) जमीन		384,900,215			384,900,215		
ख) पट्टा का जमीन		73,881			73,881		
ग) पूँजी निकर्षण		4,696,394,084			4,750,766,848		
घ) भवन, शेड्स एवं अन्य संरचना	.	2,524,294,144			2,360,369,654		
च) गोदाम, सडकें, सीमाएं		2,449,077,647			2,081,639,614		
छ) प्लावीयान		320,202,253			388,992,068		
ज) रेल्वे तथा रोलिंग स्टॉक		1,950,245,812			2,018,175,906		
झ) डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौचालन सहयोग		9,951,116,119			9,686,561,356		
ट) क्रेन एवं वाहन		33,490,270			32,954,723		
ठ) संयंत्र और मशीनरी		763,776,575			799,734,092		
ड) जल, विद्युत, दूर संचार तथा अग्निशमन की संस्थापना		397,567,754	23,471,138,753		374,101,004	22,878,269,361	
ख. प्रगति पर रहे पूँजी कार्य			4,060,708,543			3,357,362,883	
				27,531,847,296			26,235,632,244
निवेश	2.2						
क. सामान्य आरक्षिण निधि का निवेश		294,000,000			294,000,000		
शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉड्स (एन.टी.)		3,320,631,950			3,320,631,950		
सरकारी अथवा न्यासी प्रतिभूतियां		39,703,444			39,703,444		
अन्य निवेश		1,744,384,188	5,398,719,582	5,398,719,582	1,619,634,959	5,273,970,353	5,273,970,353
चालू परिसंपत्तियॉ, ऋृण एवं अग्रिम :	2.3						
क. चालू परिसंपत्तियॉ							
i. निवेशो पर प्रोदभूत ब्याज			812,420,052			397,031,443	
ii. वस्तु सूची			175,570,555			155,221,599	
iii. फुटकर देनदार							
क) सरकारी देय		535,599,899			763,487,714		
ख) गैर सरकारी देय		3,664,441,783	4,200,041,682		3,462,792,709	4,226,280,423	

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
iv. नकद और बैंक शेष							
क) हस्त नगद शेष		1,671,132			1,524,974		
ख) शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैंक शेष		28,734,385,577			21,646,732,808		
ग) अन्य बैंकों के साथ बैंक शेष		0	28,736,056,709		0	21,648,257,782	
			33,924,088,997			26,426,791,247	
ख. ऋण और अग्रिम							
क) सब्सिडरी/पोर्ट/न्यासी के लिए अग्रिम और ऋण		510,000,000			10,000,000		
ख) प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		2,134,867,273			1,454,161,544		
ग) उपदान निधि		7,930,718			20,657,325		
घ) भविष्य निधि		16,458,894,061			14,711,981,656		
घ) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के साथ शेष		121,321,974			120,986,374		
च) जमा			19,233,014,027	53,157,103,024		16,317,786,899	42,744,578,146
घाटाः चालू देयताएं एवं प्रावधान :	2.4						
क. चालू दायिताएं :							
i. भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधियॉं							
क) भविष्य निधि		82,001,037			63,973,627		
ख) पेंशन निधि		219,007,991			241,506,030		
ग) उपदान निधि		0	301,009,028		0	305,479,657	
ii. विविध लेनदार							
क) स्टोर्स के लिए लेनदार		259,686,068	259,686,068		313,231,915	313,231,915	

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
iii. विविध लेनदार और जमा शेष							
क) रेल्वे को देय विलंब / वैगन भाड़ा प्रभार		143,055,620			229,839,688		
ख) सांविधक भुगतान		3,844,867,875			3,435,365,672		
ग) पूँजी व्यय के प्रति दायिताएं		21,272,455			21,272,455		
घ) अन्य		1,327,946,348			1,046,048,945		
ड़) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा		3,122,636,901	8,459,779,199		2,818,879,237	7,551,405,997	
iv. अग्रिम भुगतान तथा असमाप्त रियायतें			9,123,711,567			8,729,805,162	
अभी भी दिये जानेवाले हिस्से के लिए मूल्य							
v. अन्य देयिताएं			4,310,592,607			3,929,506,473	
vi. ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज			350,104,838			350,104,838	
			22,804,883,307			21,179,534,042	
खः प्रावधान							
क) कर के लिए प्रावधान		14,449,987,600			11,016,706,924		
			14,449,987,600	37,254,870,907		11,016,706,924	32,196,240,966
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां :				15,902,232,117			10,548,337,180
आस्थगित कर परिसंपत्तियां :	1.4			925,852,237			700,278,547
निधियों की कुल प्रयुक्ति				49,758,651,231			42,758,218,324

ह/–
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह/–
अध्यक्ष

आरक्षण और अधिशेष

(रूपयों में)

	पूँजी आरक्षण	राजस्व आरक्षण			सांविधक आरक्षण	
		सामान्य आरक्षण निधि	कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	पूँजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षण	विकास, ऋृण तथा आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षण
	₹	₹	₹	₹	₹	₹
01.04.2024 को आदि शेष	10,241,880,523	12,073,948,062	96,977,367	0	10,074,348,196	10,031,446,408
जोडे :						
1. (क) राजस्व लेखा से योगदान	0	0	728,934	0	1,181,201,126	1,181,201,126
(ख) अतिरिक्त मूल्यह्रास	0	0	0	0	0	0
2. राजस्व लेखा से अंतरण	23,138,001	4,368,545,752	0	0	0	0
3. (क) अन्य आरक्षणों से अंतरण	–	0	0	0	0	0
(ख) सामान्य आरक्षण निधि		0	300,000	2,500,000	0	0
4. अन्य अंतरण	0	0	0		0	0
	10,265,018,524	16,442,493,814	98,006,301	2,500,000	11,255,549,321	11,212,647,533
घाटा :						
1.. आरक्षणों से अंतरण						
क) शुद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0
ख) पूँजी आरक्षण से अंतरण	0	0	0	0	0	0
ग) ऋृणों की पुर्न अदायगी	0	0	0	0	0	0
घ) सांविधिक आरक्षणों में अंतरण	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अंतरण						
ए) परिवार सुरक्षा योजना और कल्याण निधि को स्थानांतरण	0	2,800,000	0		0	0
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	1,882,030	2,500,000	0	0
31.03.2025 तक अंत शेष	10,265,018,524	16,439,693,814	96,124,271	0	11,255,549,321	11,212,647,533

ह/–
वि.स.एवं मु.ले.अ.

तुलन पत्र की अनुसूची

ऋण निधियॉ

अनुसूची – 1.2

	सुरक्षित ऋृण	
	ऋृण और अग्रिम	भारत सरकार से व्यवस्थिति निधियां जिका ऋण
01–04–2024 तक शेष	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	0	0
वर्ष के दौरान भुगतान	0	0
31–03–2025 तक शेष	0	0

तुलन पत्र की अनुसूची

ग्रांट की प्राप्ति

अनुसूची – 1.3

विवरण	ग्रांट की प्राप्ति	
क्रूज़ टर्मिनल		
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त अनुदान	0	
वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त अनुदान	0	
वित्तीय वर्ष 2018–22 के दौरान प्राप्त ब्याज	0	
सरकार को खर्च किए गए अनुदान भुगतान पर ब्याज.	0	0
मत्स्य बंदरगाह		
1) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त अनुदान	229,299,300	
वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित ब्याज	10,318,468	
वित्तीय वर्ष 2023–24के दौरान अर्जित ब्याज	0	239,617,768
1) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त अनुदान		250,000,000
31.03.2025 तक शेष		489,617,768

तुलन पत्र की अनुसूची

आस्थगित कर

अनुसूची – 1.4

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर दायिताएं – आदिशेष		
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	312709897	390,029,930
घाटा/जोड़ रू अपफ्रंट ऋृण चुकाना डीटीएल	506428762	531,278,328
घाटा रू आइ.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	1519417206	1,346,970,778
आस्थगित कर दायिताएं / (परिसंपत्तियां)	–700,278,547	–425,662,520
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	279634499	312709897
घाटा/जोड़ रू अपफ्रंट ऋृण चुकाना डीटीएल	506428762	506428762
घाटा रू आई.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) डीटीए के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	1711915498	1519417206
आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ – अंत शेष	–925,852,237	–700,278,547
शुद्व भन्न कर को पी एवं एल खाते में बदल दिया गया	–225,573,690	–274,616,027

ह/–
वि.स.एवं मु.ले.अ.

नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ

(रूपयों में)

	परसिंपत्तियों की श्रेणी	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2024 से	जोड़	विलोपन	31 मार्च 2025 से	1 अप्रैल 2024 से	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	मूल्यह्रास समायोजन	31/03/2025 को मूल्यह्रास	1 अप्रैल 2024 से	1 अप्रैल 2025 से
1	जमीन	384,900,215	0	0	384,900,215	0	0	0	0	384,900,215	384,900,215
	पट्टे पर जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0	0	0	73,881	73,881
2	पूँजी ड्रेजिंग	5,615,130,059	0	0	5,615,130,059	864,363,210	54,372,764	0	918,735,975	4,750,766,848	4,696,394,084
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	2,900,883,337	275,051,289	39,481,613	3,136,453,014	540,513,682	71,716,680	71,493	612,158,870	2,360,369,654	2,524,294,144
4	वार्फ, सडक सीमाएं	3,024,311,850	505,372,848	55,515,633	3,474,169,064	942,672,236	82,419,180	0	1,025,091,417	2,081,639,614	2,449,077,647
5	प्लवीयान	1,902,183,572	0	214,183,961	1,687,999,611	1,513,191,504	68,484,458	213,878,604	1,367,797,358	388,992,068	320,202,253
6	रेलवे और रोलिंग स्टॉक	3,173,408,272	13,240,675	44,586,152	3,142,062,795	1,155,232,367	81,170,770	44,586,152	1,191,816,984	2,018,175,906	1,950,245,812
7	डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स और नौवहन सहायता	11,520,163,319	432,276,809	5,638,973	11,946,801,155	1,833,601,963	162,083,074	0	1,995,685,036	9,686,561,356	9,951,116,119
8	क्रेन और वाहन	208,444,470	3,423,798	6,087,056	205,781,212	175,489,747	2,888,251	6,087,056	172,290,942	32,954,723	33,490,270
9	प्लांट एंड मिशनरी	1,929,085,868	73,317,130	48,297,879	1,954,105,118	1,129,351,776	60,976,767	0	1,190,328,543	799,734,092	763,776,575
10	पानी, विद्युत, टेलीकम एवं अग्नि शमन के लिए स्थापना	1,802,227,287	74,599,640	0	1,876,826,926	1,428,126,283	51,132,889	0	1,479,259,173	374,101,004	397,567,754
	कुल	32,460,812,131	1,377,282,188	413,791,267	33,424,303,052	9,582,542,768	635,244,833	264,623,305	9,953,164,297	22,878,269,363	23,471,138,753
11	पूँजी कार्यों में प्रगति	3,357,362,883	2,400,617,491	1,697,271,832	4,060,708,543					3,357,362,883	4,060,708,543
	कुल स्थिर परिसंपत्तियाँ	35,818,175,016	3,777,899,680	2,111,063,098	37,485,011,596					26,235,632,245	27,531,847,295

ह/–
वि.स.एवं मु.ले.अ.

तुलनपत्र की अनुसूची अनुसूची – 2.2

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 से		31 मार्च 2024 तक	
गैर व्यापार योग्य निवेश	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
क. सामान्य आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां एनटी				
2. शेयर्स, डिबेंयर्स या बोंड्स (एन.टी.)				
वीपीआरसीएल शेयर्स	186,000,000	186,000,000	186,000,000	186,000,000
सेतु समद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड घटाव के लिए प्रावधान	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
सेतु समद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड घटाव के लिए प्रावधान	–300,000,000	–300,000,000	–300,000,000	–300,000,000
इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
कुल (क)	294,000,000	294,000,000	294,000,000	294,000,000
ख. सांविधक आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
सीजी 2034 / 7.50% (एन.टी.)	20,170,333	20,000,000	20,170,333	20,000,000
सीजी 2035 / 7.40% (एन.टी.)	19,533,111	20,000,000	19,533,111	20,000,000
कुल(1)	39,703,444	40,000,000	39,703,444	40,000,000
2. शेयर्स, डिबेंयर्स या बोंड्स				
डीसीआई शेयर्स (@रू.10/–प्रति शेयर 5451710 शेयर्स अंकित	2,780,372,100	54,517,100	2,780,372,100	54,517,100
विशाखपट्टणम पोर्ट लॉजिस्टक्स पार्क लि.,	540,259,850	540,259,850	540,259,850	540,259,850
कुल(2)	3,320,631,950	594,776,950	3,320,631,950	594,776,950
कुल (बी = 1+2)	3,360,335,394	634,776,950	3,360,335,394	634,776,950
कुल(ए+बी)	3,654,335,394	928,776,950	3,654,335,394	928,776,950

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 से		31 मार्च 2024 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
सी. अन्य निधियाँ				
एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	1,680,380,562	1,154,846,973	1,559,258,715	1,154,846,973
बजाज एलियन्ज़ के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	1,252,882	1,252,882	1,111,180	42,736,924
बजाज़ एलियन्ज के अंतर्गत परिवार सुरक्षा योजना	1,370,018	1,370,018	2,187,952	79,197,513
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	61,380,726	49,989,482	57,077,112	49,989,482
कुल (ग)	1,744,384,188	1,207,459,354	1,619,634,959	1,326,770,892
कुल निवेश रू (क+ख+ग)	5,398,719,582	2,136,236,304	5,273,970,353	2,255,547,842

एन.टी. – गैर व्यापार योग्य

टी – व्यापार योग्यरू 28.03.2025 से प्रति शेयर का मूल्य रू. 544.25 है।

ह/–

वि.स.एवं मु.ले.अ.

चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	रू.	रू.	रू.	रू.
चालू परिसंपत्तियां				
i. निवेशों पर संचित ब्याज		812,420,052		397,031,443
ii. संपत्ती सूची				
सर्वीस स्टॉक एवं स्पेयर्स				
2 वर्ष से कम की सामान सूची	174,059,907		153,251,856	
2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची	1,218,437		1,189,357	
3 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची	425,686		111,629	
10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची	25,598		726,437	
15 वर्ष से अधिक की सामान सूची	0		0	
	175,729,628		155,279,279	
घाटाः नॉन मूविंग संपत्ति सूची पर मूल्यह्रास	159,073	175,570,555	57,680	155,221,599
iii. विविध देनदार				
क) शोध्य समझे जानेवाला अशोध्य ऋृण :				
क. कार्गो संबंधी देय	425,903,857		176,806,725	
ख. जहाज संबंधी देय	5,696,826		7,044,673	
ग. संपदा देय	3,402,452,117		3,744,286,462	
घ. रेल्वे देय	180,985,572		166,165,638	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	142,129,413		89,086,508	
छ. अन्य विविध देय	42,873,897		42,890,417	
		4,200,041,682		4,226,280,423
ख) संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ऋृण :				
क. कार्गो संबंधी देय	22,927,786		22,927,786	
ख. जहाज संबंधी देय	2,377		2,377	
ग. संपदा देय	4,259,566		4,259,566	
घ. रेल्वे देय	40,879,049		40,879,049	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	5,026,643	73,095,421	5,026,643	73,095,421
		4,273,137,103		4,299,375,844
घाटा : संदिग्ध ऋृणो के लिए प्रावधान		73,095,421		73,095,421
		4,200,041,682		4,226,280,423
iv. रोकड और बैंक शेष				
क. हस्तगत रोकड		1,671,132		1,524,974

चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	रू.	रू.	रू.	रू.
ख. बैंकों में शेष :				
ग. चालु / बचत बैंक खातों में :				
आंध्रा बैंक – पोर्ट शाखा	1,746,165		20,912,043	
केनरा बैंक	1,540		3,712	
स्टेट बैंक आफ इंडिया – सूर्याबाग शाखा	104,786		103,471	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मुख्य शाखा (ऐस्को खाता)	1,814,401		1,766,328	
स्टेट बैंक आफ इंडिया – पोर्ट शाखा	136,958,562		93,508,016	
एसबीआई अग्रदाय	4,845		149,417	
आईडीबीआई–पीसीएस(0) – 15010300	45,753,812		15,730,067	
एचडीएफसी–पीसीएस खाता (0) –5003	4,853,944		0	
एसबीआई – आरएफआईडी	1,935,689		603,267	
आईसीआईसीआई–पीसीएस खाता–(1)–600	33,434,820		13,177,306	
विविध बैंक	10,531,125		109,147,099	
		237,139,689		255,100,726
घ. जमा खाते में (टीडीआर खाता एवं सीएलटीडी खाता):				
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (आंध्रा बैंक)	1,800,000,000		1,160,000,000	
केनरा बैंक	1,700,000,000		5,890,000,000	
एलआईसी ऑफ इंडिया	8,402,745,888		7,779,132,082	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – पोर्ट शाखा	6,664,500,000		3,372,500,000	
पंजाब और सिंधु बैंक	300,000,000		0	
पंजाब नेशनल बैंक	1,900,000,000		240,000,000	
बैंक आफ महाराष्ट्रा	3,430,000,000		1,250,000,000	
बैंक आफ बैडौदा	1,350,000,000		0	
इंडियन बैंक	1,100,000,000		820,000,000	
इंडियन ओवरसीस बैंक	100,000,000		0	
यको बैंक	1,050,000,000		880,000,000	
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	700,000,000		0	
		28,497,245,888		21,391,632,082
		28,736,056,709		21,648,257,782
कुल चालू परिसंपत्तियं		33,924,088,997		26,426,791,247

चालू परिसंपत्तियां, ॠण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	रू.	रू.	रू.	रू.
ॠण एवं अग्रिम*				
1. सबसिडरी / पोर्ट / न्यासियों को ॠण एवं अग्रिम				
इंटरकार्पोरेट ॠण (डीसीआई)	500,000,000		0	
विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ॠण	10,000,000		10,000,000	
		510,000,000		10,000,000
2. नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेके कार्यों के लिए अग्रिम	1,563,830,786		757,657,798	
भंडार के खरीद के लिए अग्रिम	85,216,975		86,846,740	
कंप्यूटर अग्रिम	0		127,237	
गृह निर्माण अग्रिम	378,206		432,407	
मोटार कॉर / साईकिल अग्रिम	163,328		225,999	
यात्रा / छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	5,678,772		5,584,726	
उपदान निधि	7,930,718		20,657,325	
अन्य	480,203,605		603,891,035	
		2,143,402,390		1,475,423,268
घाटा : संदिग्ध ॠणों के लिए प्रावधान		604,399		604,399
		2,142,797,991		1,474,818,869
3. सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष				
संचार निगम विभाग के पास स्वैच्छिक जमा .	30,550		30,550	
आयकर – टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर	16,458,863,511		14,711,951,106	
		16,458,894,061		14,711,981,656
4. जमा				
एपीट्रान्स्को के साथ जमा	67,828,314		67,492,714	
जीवीएमसी के साथ जमा	53,493,660		53,493,660	
		121,321,974		120,986,374
' ॠण एवं अग्रिम उपयोगी और असुरक्षित समझा गया				
कुल ॠण एवं अग्रिम		19,233,014,027		16,317,786,899

ह/–

वि.स.एवं मु.ले.अ.

तुलनपत्र की अनुसूची अनुसूची – 2.4

चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	रू.	रू.	रू.	रू.
i. भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं उपदान निधियां				
क) भविष्य निधि	82,001,037		63,973,627	
ख) पेंशन निधि	219,007,991		241,506,030	
ब) उपादान निधि	0		0	
301,009,028		305,479,657		
ii. विविध लेनदार				
क) भंडार के लिए लेनदार	259,686,068		313,231,915	
ख) अदाया वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
		259,686,068		313,231,915
iii. फुटकर लेनदार एवं जमा शेष				
क) रेल्वे को देय विलंब शुल्क / वैगन भाड़ा प्रभार	143,055,620		229,839,688	
ख) सांविधिक भुगमान	3,844,867,875		3,435,365,672	
ग) पूँजी व्यय के लिए दायिताएं	21,272,455		21,272,455	
घ) अन्य	1,327,946,348		1,046,048,946	
च) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	3,122,636,901		2,818,879,237	
		8,459,779,199		7,551,405,998
iv. अग्रिम भुगतान एवं असमापन छूट उस भाग के लिए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गयी आय	273,586,913		641,632,289	
ख) परिशोध्य किये जानेवाले अपफ्रंट प्रीमियम	8,850,124,654		8,088,172,873	
		9,123,711,567		8,729,805,162
v. अन्य देयतायें		4,310,592,607		3,929,506,473
vi. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋृणों पर देय नहीं		350,104,838		350,104,838
कुल चालू देयतायें		22,804,883,307		21,179,534,044
ख. प्रावधान रू				
i. कर के लिए प्रावधान	14,449,987,600		11,016,706,924	
ii. अन्य प्रावधान	0		0	
कुल प्रावधान		14,449,987,600		11,016,706,924
कुल चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम		37,254,870,907		32,196,240,968

ह/–

वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

विवरण	अनुसूची	अवधि के अंत तक	
		31 मार्च 2025 से	31 मार्च 2024 से
आय :			
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	आर.1	7,386,862,689	7,271,628,921
पोर्ट एवं डॉक शुल्क	आर.2	9,593,978,572	9,282,732,106
रेल्वे की कमाई	आर.3	1,504,110,911	1,731,111,046
संपत्ति किराया	आर.4	2,667,718,057	2,462,033,848
कुल परिचालन आय		21,152,670,229	20,747,505,921
व्यय :			
कार्गो संभलाई एवं भंडारण	आर.5	1,723,620,670	1,730,674,724
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	आर.6	1,866,270,460	1,986,767,164
रेल्वे कार्यचलन	आर.7	1,372,645,591	1,175,781,382
किराये योग्य भूमि एवं भवन	आर.8	671,518,554	553,063,220
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग व्यय	आर.9	2,383,206,342	2,757,863,613
कुल परिचालन व्यय		8,017,261,618	8,204,150,103
प्रचालन अधिशेष :		13,135,408,611	12,543,355,818
जोड : वित्त एवं विविध आय	आर.10	3,375,588,353	3,594,384,168
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	आर.11	6,549,203,974	5,602,642,561
कर से पहले लाभ		9,961,792,990	10,535,097,425
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान :			
पिछले वर्ष		0	0
चालू वर्ष		3,433,280,676	3,567,043,794
अस्थगित कर		(225,573,690)	−274,616,027
कर के बाद लाभ		6,754,086,005	7,242,669,657
घाटाः पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ को पूँजी आरक्षण को स्थानांतरण		23,138,001	46,793,293
विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम		6,730,948,004	7,195,876,364
घाटाः विनियोजन			
विकास, ॠणों का पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि		1,181,201,126	1,002,798,196
पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापना, पुनर्नियुक्ति और आधुनिकीकरण के लिए निधि		1,181,201,126	1,002,798,196
कुल विनियोजन		2,362,402,251	2,005,596,392
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष		4,368,545,752	5,190,279,972

ह/—
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह/—
अध्यक्ष

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुसूची – आर.1		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :		
सामान्य कार्गो पर संभलाई और भंडारण प्रभार	3,500,536,150	3,672,797,317
वेयर हाऊसों में सामग्री का भंडारण	167,161,516	34,490,620
क्रेनेज	2,243,236	1,720,309
पीओएल तेल और लुब्रिकेंट्स की संभलाई	1,629,822,004	1,455,406,880
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	68,392,638	54,878,777
बी ओ टी ठेके से रॉयल्टी	1,818,003,317	1,841,048,288
विविध प्रभार	200,703,827	211,286,730
कुल	**7,386,862,689**	**7,271,628,921**
अनुसूची – आर.2		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :		
टोविंग एवं मूरिंग शुल्क	82,012,129	79,706,510
डॉक देय	2,082,300,229	1,849,138,989
पोर्ट देय	2,460,839,824	2,428,288,102
पाईलटेज़ शुल्क	4,931,744,486	4,837,969,537
ड्राई डॉकिंग प्रभार	11,110,637	37,678,833
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	4,993,640	4,900,650
साल्वेज़ और जलगत मरम्मत	8,896,680	6,965,704
विविध प्रभार	12,080,946	38,083,781
कुल	**9,593,978,572**	**9,282,732,106**
अनुसूची – आर.3		
रेल्वे आमदनी		
वैगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	220,735,627	249,895,195
साईडिंग प्रभार	293,510,890	318,260,880
टर्मिनल प्रभार	784,116,083	924,910,468
विविध प्रभार	205,748,311	238,044,503
कुल	**1,504,110,911**	**1,731,111,046**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुसूची – आर 4		
संपदा किराया	2,401,314,450	2,313,762,406
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	4,227,735	10,536,674
कलावाणी ऑडिटोरियम	1,614,000	4,064,534
पोर्ट ट्रस्ट क्वाटरों से किराया	732,562	1,683,872
वसूली योग्य प्रभार	81,695,599	114,211,733
विविध आय	178,133,711	17,774,629
कुल	**2,667,718,057**	**2,462,033,848**
अनुसूची – आर 5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण :		
शेडों और वेयरहाऊसों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	1,316,120,516	1,423,638,643
ओएसटीटी का प्रचालन और अनुरक्षण	19,700,185	13,902,550
वार्फ क्रेन और क्रेन जहाजों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	50,571,056	20,882,578
डॉक में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	34,446,882	26,795,117
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	245,889,693	184,083,464
मूल्यह्रास	56,892,338	61,372,372
कुल	**1,723,620,670**	**1,730,674,724**
अनुसूची – आर.6		
पोर्ट एवं डॉक सुविधाएं :		
टोविंग, बर्थिंग एवं मूरिंग शुल्क	650,816,183	711,153,183
पाईलटेज़	564,630,350	472,476,829
ड्राई डाकिंग व्यय	48,268,558	32,977,886
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	8,809,134	7,682,931
अग्नि शमन	96,106,173	78,369,919
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	116,570,929	268,746,022
नेविगेशनल सहायता का संचालन और रखरखाव	22,087,554	16,320,904
साल्वेज और जलगत मरम्मत	1,714,663	640,979
डॉक एवं पोर्ट की दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का रखरखाव।	13,143,007	11,885,283
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	4,679,696	60,095,263
मूल्यह्रास	339,444,213	326,417,965
कुल	**1,866,270,460**	**1,986,767,164**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुसूची – आर.7		
रेल्वे कार्यचालन :		
लोकोमोटिव्स, वैगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	388,236,966	332,470,424
स्थाई वे सिग्नल और इंटर लॉकिंग सिस्टम का अनुरक्षण	320,783,742	184,302,468
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	579,807,350	575,106,128
मूल्यह्रास	83,817,533	83,902,362
कुल	**1,372,645,591**	**1,175,781,382**
अनुसूची – आर.8		
किराये योग्य भूमि और भवन :		
संपदा अनुरक्षण	536,967,925	441,966,630
भूमि मरम्मत और उद्धार	1,121,423	3,757,145
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	88,058	0
मूल्यह्रास	133,341,148	107,339,445
कुल	**671,518,554**	**553,063,220**
अनुसूची – आर .9		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन :		
प्रबंधन और सचिवालीय प्रशासन	119,078,593	241,672,856
पोर्ट सुरक्षा (कें.औ.सु.ब)	461,922,240	484,548,480
कानूनी व्यय	10,676,125	16,832,290
श्रम और कल्याण व्यय	38,201,918	65,934,502
अनुसंधान एवं योजना एकक	82,312,533	94,960,870
चिकित्सा व्यय	457,323,182	542,325,439
भंडार पालन	96,483,964	72,595,165
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	182,073,901	172,042,518
दूरभाष	4,590,772	9,913,514

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
इंजीनियरिंग और कर्याशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	814,441,551	955,109,196
विविध व्यय	94,351,962	69,618,949
मूल्यह्रास	21,749,601	32,309,834
कुल	**2,383,206,342**	**2,757,863,613**
अनुसूची – आर .10		
वत्ति और विविध आय :		
आवधिक निक्षेप एवं नकद शेष पर व्याज	2,214,154,862	1,526,491,306
राजस्व लेखा पर ब्याज	61,599,842	30,838,943
जमा लेखा पर ब्याज	4,728,446	3,292,139
आयकर रिफंड पर ब्याज	846,136,004	1,273,309,861
विविध आय	191,684,099	551,848,608
आरएफआईडी आय	43,662,528	38,557,863
विविध प्राप्तियां	18,631,690	35,605,674
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	23,138,001	46,793,293
सेंटेज़ प्रभार	14,445	33,929
निविदा दस्तावेज़ों की बिक्री	685,047	1,298,112
स्टोर समायोजन (अतिरिक्त)	13,249,745	33,544,257
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	–42,096,355	52,770,183
कुल	**3,375,588,353**	**3,594,384,168**
अनुसूची – आर.11		
वित्त एवं विविध व्यय :		
बेक प्रभार	10,863	380,413
देय ब्याज :		
सिक्का समायोजना	0	35,520
संपत्ति कर	951,942,170	935,901,545

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आयकर अपील आदि पर व्यय	30,000	40,000
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	55,354	180,606
भंडारण समायोजन	21,744,791	0
बाहरी उत्पादन मूल्य भिननता से हानि	0	10,381,262
i) सेवानिवृत्ति उपदान	215,400,000	197,256,533
उपदान व्यय	4,868,108	12,015,606
ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	236,500	118,894,999
कोविड अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0	40,000,000
iii) क) पेंशन भुगतान	4,351,495,436	3,283,671,607
ख) नए पेंशन (टाईर–I) योजना के लिए अंशदान	81,654,622	65,588,212
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	588,500,000	578,300,000
घ) पेंशन का कमुटेशन	184,650,466	181,758,249
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि के लिए अंशदान	144,853,393	114,212,475
विविध व्यय	0	63,895,090
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	3,762,271	130,444
कुल	**6,549,203,974**	**5,602,642,561**

ह/–
वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :		
1. i. वेतन और मज़दूरी	3,581,611,762	3,832,445,240
ii. बोनस	34,883,205	26,047,846
	3,616,494,967	3,858,493,086
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
i. पेंशन निधि के अंशदान	588,500,000	578,300,000
ii. कम्युटेशन सहित पेंशन भुगतान	4,597,541,450	3,514,520,368
iii. पूल खलासियों को ईपीएफ वीपीटी और सीएचडी का अंशदान	20,259,074	16,497,700
	5,206,300,524	4,109,318,068
उपादान	220,268,108	209,272,139
4. वर्कमेन और स्टॉक कल्याण व्यय		
i. छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	1,086,434	1,335,481
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	224,393,757	238,003,720
iii. आंतरिक रोगियों को पौष्टिकता	234,296	232,502
iv. भंडार (चिकित्सा)	60,877,717	69,045,906
v. भंडार (सर्जिकल)	696,988	463,095
vi. कामगार काम्पनशेषन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान	1,530,675	0
vii. छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं अवार्ड	109,500	54,570
viii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	236,500	118,894,999
ix. कोविड 19 – अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0	40,000,000
	289,165,868	468,030,273
कुल(क)	9,332,229,467	8,645,113,566
ख. प्रचालन व्यय :		
1. भंडाप और अतिरिक्त पुर्जों आदि का उपभोग	274,565,283	177,800,993
2. संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत (यांत्रिक)	369,849,177	328,260,833
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	340,253,201	286,966,156
4. अन्य मरम्मत		
i. विशेष मरम्मत	0	0
ii. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	47,127,633	29,024,547
iii. आफीस मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	58,313,131	67,006,490
	105,440,764	96,031,037

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
5. उपयुक्त भंडार		
i. सामान्य भंडार	33,484,328	36,147,294
	33,484,328	36,147,294
6. विद्युत, प्यूयल,लूब्रिकेट्स आदि		
i. भंडार (प्रचालन)	388,218,230	490,187,342
ii. विद्युत शक्ति	137,771,849	115,437,920
	525,990,079	605,625,262
7. नए लघु कार्य	0	0
8. अन्य परिचालन व्यय		
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	17,209,693	43,521,037
ii. वैगन किराये प्रभार	0	0
iii. प्लोटिंग क्राफ्टस के लिए किराया प्रभार	74,066,317	35,352,968
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	117,334,105	127,311,056
v. प्राईवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	277,250,185	269,565,089
vi. संभलाई प्रभार	413,633,534	286,155,766
vii. विविध व्यय परिचालन	9,162,703	38,606,345
viii. माल ढुलाई और संभलाई शुल्क	0	0
ix. सुरक्षा	0	0
x. सुरक्षा प्रभार	459,963,554	482,546,480
xi. प्राईवेट सुरक्षा	36,887,982	29,113,904
xii. निकर्षण प्रभार	43,040,508	208,994,826
xiii. मूल्यह्रास	635,244,833	611,341,978
कुल(ख)	3,733,376,246	3,663,341,023
ग. सामान्य व्यय :		
i. किराया, दर एवं कर	221,347	198,933
ii. लेखापरीक्षा शुल्क	5,500,000	6,253,638
iii. जल प्रभार	37,354,426	37,098,110
iv. संचार व्यय	137,999	190,142
v. बीमा	102,829,721	93,760,049
vi. यात्रा व्यय	8,754,881	6,695,250
vii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	0	0
viii. विविध व्यय	54,759,548	41,098,816
ix. स्टीवडोरिंग व्यय	0	0
x. पोर्ट चिकित्सा	0	0
xi. विज्ञापन एवं प्रचार	10,900,949	5,960,647

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
xii. न्यासियों के शुल्क	0	0
xiii. मनोरंजन	18,516,669	15,360,511
xiv. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	1,046,087	689,399
xv. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	61,896,313	92,405,735
xvi. मुद्रण एवं प्रकाशन	129,300	27,690
xvii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	3,903,564	1,178,610
xviii. लाईसेंस शुल्क	386,090	4,526,214
xix. दूरभाष	4,110,087	4,446,197
xx. अनुसंधान एवं विकास	45,693,599	56,828,778
xxi. सदस्यता	0	0
xxii. अंशदान	22,320,458	6,462,000
कुल(ग)	378,461,038	373,180,719
घ. वित्तीय व्यय :		
1. ब्याज व्यय		
i. बैंक प्रभार	10,863	380,413
ii. सरकारी ऋृणों पर ब्याज	0	0
iii. अन्य ऋृणों पर ब्याज	0	0
	10,863	380,413
2. संपत्ति कर	951,942,170	935,901,545
कुल (घ)	951,953,033	936,281,958
च. सामान्यतरू पोर्ट द्वारा नहीं किये जानेवाले वस्घ्तु के ट्रान्घ्सेक्घ्शन्घ्स या अपवादी परिस्थितियों वापस नहीं होनेवाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि –		
i. बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋृण	0	0
ii. पूँजी परिसंपत्तियों की निपटाने पर हानि	55,354	180,606
iii. भंडार समायोजन	21,744,791	0
iv. पिछली अवधि के व्यय	3,762,271	130,444
v. कर अपील पर व्यय	30,000	40,000
vi. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि	144,853,393	114,212,475
vii. घाटा बाहरी उत्पाद्य मूल्यों से भिन्नता	0	10,381,262
viii. विविध व्यय	0	63,895,090
सिक्का समायोजन	0	35,520
कुल (च)	170,445,809	188,875,397
कुल व्यय	14,566,465,593	13,806,792,665

वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखा

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणी

(क). लेखा नीतियां :

1. लेखाकरण के मर्कैंटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई । मूलभूत लेखा धारण को संबद्ध और सामंजस्य जाने की पालन किया जाता है । वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया यदि कोई शुद्ध (सेवा कर) / जीएसटी एवं छूट / प्रोत्साहन आदि प्रस्तुत किया गया ।

2. नियत पूँजी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

   सभी परिसंपत्तियॉ मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं ।

   सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं रू.1,00,000/– लागत से कम की परिसंपत्तियॉ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी ।

   मूल्यह्रास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया ।

   सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और छः माह की अवधि से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया ।

   निपटाने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियॉ शामिल नहीं किए गए हैं । महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया ।

   निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

   पूँजी परिसंपत्तियों के निपटाने पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया । बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिग्रहीत लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया जा रहा है ।

3. निवेश

   एक वर्ष से अधिकतम के निवेशों को दीर्घकालीन निवेशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अवधि के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया ।

   निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया । मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए ह्रास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया गया ।

4. माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया ।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया । पोर्ट में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे । तदनुसार वार्फेंज़ आय का गणन किया गया । घाट / सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को अग्रिम आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया ।

6. उधार लागत

अधिग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरेप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करने की तिथि तक पूँजीकृत किया गया । पूँजीकरण के बाद ऋृण पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया ।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचौंज दर पर रिकार्ड की गई । अब तक पोर्ट को पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋृण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया । जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा ।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे राजस्व है, जो यू एस डालरों में डिनामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रूपयों में वसूल किया जाता है । यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

8. आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया। ए एस 22 के अनुसार मुख्यतरू मूल्ह्रास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है । आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्यों कि पिछले मामलों के रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है ।

9. पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन के लिए एलआईसी / एसबीआई द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकित मूल्यांकन किया जाता है ।

बी. लेखा पर टिप्पणी

1. पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार देखें दिनांक 19.11.2018 को पत्र संख्या एस एस –28036/18/2016–डीसीआई–भाग–VI अनुमोदन, वीपीटी मंडल ने भारत सरकार से डीसीआई लिमिटेड के 54,51,710 समान शेयरों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में रू. 278.04 करोड़ की लागत पर अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 21.02.2019 को दीर्घकालिक निवेश के तहत शेयर एवं ऋणपत्र के तहत अनुसूची 2.2 में दिखाया गया है ।

2. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित निधियॉ भी शामिल है ।

3. इस संबंध में रखा गया नीति और पद्धति के अनुसार स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की जा रही है । स्थिर संपत्ति का भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठित किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया । रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित विभागों को पुष्टि के लिए पत्र जारी किये गये थे । विभागों से पुष्टि प्राप्त होने पर, परिसंपत्तियां जो पुस्तकों में शून्य / एक पैसे के मूल्य के साथ मौजूद है और समिति द्वारा पहचान किए उन्हें परिसंपत्ति मास्टर से हटा दिया गया था। संबंधित अन्य मदों के लिए जो वर्तमान पुस्तकों में मूल्य, और एक बार सत्यापित करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए विभागों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। वहीं प्राप्त होने पर, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

4. वर्ष 2024–25 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन भी किया गया है और नगण्य मूल्य विनमेय भिन्नता नोटिस किया गया है ।

5. मंत्रलय की पत्र सं. पीजीएफ–15/76, दिनांक 22–09–1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3ः और आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिकताओं के लिए 3ः आरक्षण हर वर्ष किया जाना है।

विवरण	2024–25
पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण	रू. 116.23 करोड़
विकास और ऋृणों एवं आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण	रू. 116.23 करोड़

6. क्रूज़ बर्थ के निर्माण हेतु 29.91 करोड़ रुपये और मत्स्य बंदरगाह टर्मिनल हेतु 22.93 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। । वर्ष 2024–25 के दौरान 7.34 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। दोनों अनुदानों का पूर्ण उपयोग हो चुका है ।

7. विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण को आय कर अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002–03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001–02)। वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003–04 (वित्तीय वर्ष 2002–03) के बाद पोर्टों को स्थानीय प्राधिकार के रूप में मिलने वाला छूट हटाया गया। अतरू वीपीटी, निर्धारण वर्ष 2003–04 के बाद से आयकर चुकाना होगा। खैर, आयकर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि पो र्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निर्धारण वर्ष 2003–04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, देखें आवेदन दि. 20–03–2008ए परिणाम

रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया । आयकर विभाग से देय वापस निधि का शेष निर्धारण वर्षवार निम्नानुसार है :

निर्धारण वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
वापसी बकाया (रू. करोड़ों में)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है । निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए आयकर विभाग ने रू. 16.85 करोड़ ब्याज सहित रू. 43.99 (01–04–2013) करोड़ वापस किया और ब्याज, 2012–13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया । आयकर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008–09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईल किया गया और शेष भुगतान रू. 5.61 करोड़ सहित यह पिटीशन, पालन के अंतर्गत है ।उपरोक्त के अतिरिक्त, वीपीए ने आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए और अंततः 26.03.2025 को परिणामी आदेश जारी किया गया, जिसमें कुल 6,26,38,047/– रुपए की वापसी की गई।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009–10 के बाद पोर्ट्स, आयकर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनर्हक है और 1 अप्रैल 2008 से वी.पी.ए. को अयकर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया । निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2023–24 तक की गई कर भुगतान / दावा किए गए टीडीएस / वीपीए लेखों में किए गए प्रावधान / कर दायित्व / फाईल किए गए रिटर्नों के अनुसार दावा किया गया शुद्ध वापसी और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
1	वित्तीय वर्ष: 2008–09 निर्धारण वर्ष: 2009–10 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस: 77.72 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान: 67.24 वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व: 54.45 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान: 23.27	ए. मार्च 2010 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू. 23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रू.70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू.176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देनेवोले शुद्ध रकम रू.6.68 करोड़ है। सी. इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपीलस विशाखपट्टणम के पास

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है। सी आई टी (एपीलस) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है। डी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (30–12–2016) की धारा 154 के तहत रू. 0.72 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। ई. आयकर अधिनियम धारा 143(3) के तहत (ई) सीआईटी (अपील) ने दिनांक 15.05.2023 के तहत डिन और आदेश संख्या आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023–24/1052849528 (1) आंशिक रूप से आदेश के लिए अपील की अनुमति दी है और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। एफ. सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (ई) के अनुसार परिणाम स्वरूप रू. 31.63 लाख और रू. 6.79 करोड़ का वापस प्राप्त किया, जिसे उप सीआईटी द्वारा दिनांक 15.6.2023 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई। थी। पहले दि. 30.12.2011 को रू. 6.68 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था, अब रू.10.74 लाख का शेष रिफंड वापसी योग्य था। धारा 244ए के तहत रू.8.86 लाख का ब्याज जारी किया गया, जिससे अंतिम रिफंड रू.19.61 लाख हो गया। जी. वीपीए को 19.61 लाख रुपए का रिफंड मिला, जिसमें धारा 244ए के तहत 8.86 लाख रुपए का ब्याज शामिल है और ब्याज का हिसाब वर्ष 2023–24 के लिए लगाया गया। 19.61 लाख रुपए का रिफंड वित्तीय वर्ष 2017–18 की मांग के रूप में समायोजित किया गया।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>एच. वीपीए ने सीआईटी (अपील) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों और 25.03.2024 को प्राप्त आईटीएटी अपील के संयुक्त आदेश के खिलाफ 07.07.2023 को आईटीएटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(आई) वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम द्वारा जारी की गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

(जे) 25.03.2024 को पारित आईटीएटी आदेश को प्रभावी करते हुए, 10.06.2024 को कुल 18.48 करोड़ रुपये की वापसी के साथ परिणामी आदेश जारी किया गया और उसी राशि को निर्धारण वर्ष 2022–23 की बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया।</td></tr>
<tr><td>2</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2009–10</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2010–11</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>76.41</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>37.50</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>25.09</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>51.32</td></tr>
</table></td><td>ए. मार्च 2012 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू.51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।

बी. संवीक्षा एवं विभिनन प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर, 2012) कर दायित्व रू.58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योगय आय रू. 190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस ध्ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देने वाले शुद्ध रकम रूय 37.02 करोड़ है । वीपीए ने सीआईटी–एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया।

सी. पुनः निर्धारण करते समय (27–05–14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रू.130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू.40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		पर विचार करते हुए वीपीए को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया। डी. तत्पश्चात आयकर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल–1, विशाखपट्टणम ने आय को रू.135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू.41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीए को रू.22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू.7.54 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया। एफ. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रू.0.89 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25–04–2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया। जी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (30–12–2016) की धारा 154 के तहत रू. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआइटी (ए), वीएसपी, नं.0266 / 12–13 / एडिशनल.आईआईटी / आर–1 / वीएसपी / 2013–14, दि.28–03–2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (13–06–2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है। आई. सीआईटी–1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रू. 5.09 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21–11–2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		और वीपीटी ने आइर्दटीएटी, विशाखपट.टणम बेंच (27–01–2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है। जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2010–11 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रू.4.71 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015–16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है । के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14–05–2015 से 31–03–2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रू. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017–18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है। एल. आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत उपरोक्त (आई) के अनुसार सीआईटी (अपील) ने दि.15.05. 2023 को, डिन और आदेश संख्या आईटीबीए / एनएफएसी / एस / 250 / 2023–24 / 1052850064(1) तहत मूल्यांकन के संशोधन पर आंशिक रूप से आदेश के लिए अपील की अनुमति दी है और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) फाईल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। एम. सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (एल) के अनुसार, परिणाम स्वरूप रू.4.21 लाख रिलीफ और रू.62.14 करोड़ की वापसी योग्य था और धारा 234 डी के तहत रू.97.52 लाख देय था और रू. 61.17 करोड़ का रिफंड वापसी योग्य ब्याज था और धारा 244ए के तहत रू.6.07 करोड़ की वापसी योग्य राशि थी, जिससे रू. 67.24 करोड़ का अंतिम रिफंड प्राप्त हुआ, जिसे उप सीआईटी द्वारा दि. 15.06.2023 के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। पहले रू. 67.22 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था और अब अंतिम रिफंड

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		रू.2.60 लाख हो गया है। एन. वीपीए को निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए 2.60 लाख रुपए का रिफंड प्राप्त हुआ और इस रिफंड को निर्धारण वर्ष 2017–18 की मांग के लिए समायोजित किया गया। ओ. आईटीए संख्या 25/अर्थात/2014 दिनांक 27.9.2023 (धारा 263 के तहत आदेश के खिलाफ) और आईटीएटी, विशाखापत्तनम आदेश के आईटीए संख्या 396/विज/2014 दिनांक 27.9.2023 (आदेश के तहत आदेश के खिलाफ) दिनांक 30.11.2012 और 29.1.2015 के आदेश के खिलाफ आईटीएटी, विशाखापत्तनम आदेश के आदेशों के परिणामस्वरूप संशोधित किए गए थे। परिणामी आदेश दिनांक 15.6.2023 के अनुसार आकलित आय 135.20 करोड़ रुपये है, आईटीएटी में आईटीए संख्या 256/विज/2014 और आईटीए संख्या 396/विज/2014 के माध्यम से आईटीएटी में दी गई राहत पर विचार करने के बाद संशोधित कुल आय 86.43 करोड़ रुपये है। देय कर 26.70 करोड़ रुपये हैं और 103.92 करोड़ रुपये के टीडीएस, अग्रिम कर और नियमित करों को समायोजित करने के बाद 77.21 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त हुआ। धारा 244क के तहत 17.15 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ जिससे वीपीए को कुल प्रतिदाय 94.37 करोड़ रुपए का रिफंड मिला। पी. पिछले आदेशों के अनुसार वीपीए को पहले ही जारी किए गए 67.24 करोड़ रुपये के रिफंड को ध्यान में रखते हुए, वीपीए को अब कुल वापसी योग्य राशि 27.12 करोड़ रुपये है। 27.12 करोड़ रुपये की राशि अभी भी विभाग से प्राप्त होनी बाकी है। इसे किसी भी कर निर्धारण वर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है। क्यू) वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम बेंच द्वारा बरकरार रखी गई छूटों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>याचिका दायर की। बिंदु (पी) में उल्लिखित रिफंड में से, 4.30 करोड़ रुपये की राशि को निर्धारण वर्ष 2020–21 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया। और शेष 22.81 करोड़ रुपये 21.11.2024 को वीपीए खाते में जमा कर दिए गए।</td></tr>
<tr><td>3</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2010–11</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2011–12</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>85.66</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>70.00</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>65.14</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>20.52</td></tr>
</table></td><td>ए. सितंबर 2011 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू. 20.52 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।

बी. संवीक्षा एवं विभिनन प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी, 2013) कर दायित्व रू.101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योगय आय रू. 329.93 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देने वाले शुद्ध रकम रूय 42.40 करोड़ है। वीपीए ने सीआईटी–एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (25–2–13) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया।

सी. तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय (28–02–14) को रू. 338.44 करोड के रूप में, कर दायित्व को रू.104.58 करोड़ में संशोधित किया गया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर शेष कर रू. 5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीए को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वीपीए ने दि. 05–03–14 को सीआईटी (ए) के पास अपील फाईल किया।

डी. एसीआईटी, सकर्मल1, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत दृ देखें आदेश दि. 14–5–2015 रू. 86.48 करोड़ दायित्व सहित कर लगाने योग्य आय को रू. 279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर/टीडीएस/रिफंड्स/ब्याज पर विचार करने</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		पर निर्धारण किया कि वीपीए को पुर्नभुगतान करने वाले शुद्ध रकम रू. 21.14 करोड़ है अंत में पुर्नभुगतान करने वाले रकम को रू.21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.13.99 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू.7.43 करोड़ (6 अप्रैल 2016) वापस किया। एफ. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में से रू.1.35 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25–4–2016) की धारा 154 के अंतर्गत पिटीशन फाईल किया। जी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (20–01–2017) की धारा 154 के अंतर्गत रू.1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं.0362 / 12–13 / एसीआईटी / सी–1 / वीएसपी / 2013–14, दिनांक 28–03–2014 द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22–12–2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी–1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत रू. 8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21–11–2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2011–12 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रू. 0.29 करोड़ कर वापसी

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015–16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है। के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14–05–2015 से 31–03–2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रू. 0.37 करोड़ वापसी योग्य और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017–18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है । एल. आईटीएटी, विशाखापत्तनम के आदेशों के परिणामस्वरूप आईटीए संख्या 26/विज/2014 दिनांक 27.9.2023 (धारा 263 के तहत आदेश के विरुद्ध) और आईटीएटी, विशाखापत्तनम के आदेश आईटीए संख्या 397/विज/2014 दिनांक 27.9.2023 (धारा 143(3) दिनांक 25.2. 2013 और 28.02.2014 के तहत आदेश के विरुद्ध) को संशोधित किया गया। धारा 154 दिनांक 16.6.2016 के आदेश के अनुसार निर्धारित आय 279.85 करोड़ रुपये है, आईटीएटी संख्या 26/विज/2014 और आईटीए संख्या 397/विज/2014 के तहत आईटीएटी में दी गई राहत पर विचार करने के बाद संशोधित कुल आय 212.69 करोड़ रुपये है। देय राशि 65.72 करोड़ रुपये है और 127.84 करोड़ रुपये के टीडीएस, अग्रिम कर और नियमित करों को समायोजित करने के बाद 62. 12 करोड़ रुपये का रिफंड हुआ। धारा 244ए के तहत 18.27 करोड़ रुपये का ब्याज हुआ जिससे वीपीए को कुल रिफंड 80.40 करोड़ रुपये हो गया। एम. पिछले आदेशों के अनुसार वीपीए को पहले ही जारी किए गए 42.31 करोड़ रुपये के रिफंड को ध्यान में रखते हुए, वीपीए को अब कुल 38.08 करोड़ रुपये वापस किए जाने हैं। विभाग से 38.08 करोड़ रुपये की राशि अभी भी प्राप्त होनी है। इसे किसी भी कर निधारण वर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है। एन. वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम बेंच द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td>4</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2011–12</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2012–13</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>81.37</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>53.00</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>14.12</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>67.25</td></tr>
</table></td><td>ए. सितंबर 2012 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू.67.25 करोड़ कर वापस करने का दावा किया ।

बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23–03–2015 कर दायित्व रू. 41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय. 134.30 करोड़ के रूप में गणन किया। चुकया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीए द्वारा चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रू. 0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया।

सी. इससे असंतुष्ट होकर वीपीए ने (दि. 15–4–15) सीआईटी (एपील्स) के पास अपील फाईल किया।

डी. एसीआईटी, सर्किल –1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लिए किया गया रू. 30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रू.164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू. 50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रू. 3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25–6–15) किया। चुकाया गया अग्रिम कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीए को आदेश दिया कि शेष कर रू.13.99 करोड़ चुका। वीपीए ने (दि. 16–7–15) सीआईटीह (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

ई. इस बीच में, आयकर विभाग ने रू. 13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6–4–2016) किया और निधारिण वर्ष 2011–12 के लिए करने वाले रू. 21.42 करोड़ पुर्नभुगतान आदेश में से रू. 7.43 करोड़, वीपीए को रिलीज किया।

एफ. उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एनील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (30–03–2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीएटी</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है। जी. उपर्युक्त (घ) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलीयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (13–03–2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है। एच. उपर्युक्त (च) और (छ) के लिए आईटीएटी सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी (ए)–1 के दिनांक 30–03–2017 आदेश को लागू करते हुए देखें दिनांक 09–05–2017 के एसीआइटी पत्र के माध्यम से कुल आय संशोधित रूप से 160.34 करोड़ से बढ़कर रू. 164.47 करोड़ हो गये और 32.62 करोड़ की वापसी योग्य है जिसमें आयकर अधिनियम 244ए के अंतर्गत रू. 8.41 करोड़ की ब्याज शामिल थे । जे. वीपीए को दिनांक 05–01–2018 को वापसी योग्य रू. 32.62 करोड़ और 244ए के अंतर्गत रू.8.41 करोड़ढ ब्याज के रूप में जारी किया गया था, वर्ष 2017–18 ब्याज आय के रूप में पहचाना गया था । के. निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए, वापसी योग्य रू.21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31–03–2016 को आनुषंगिक आदेश जारी किया गया था। कुल वापसी योग्य रकम में से, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जो कि बकाया मांग के लिए रू.13.99 करोड़ समायोजित किया गया था और वीपीए को बाकी रकम जारी किया। बाद में निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए दिनांक 09–05–2017 को आनुषंगिक आदेश जारी करते हुए, वीपीए को रू.13.99 करोड़ का जमा नहीं दिया गया । एल. उप सीआईटी (1)–1 विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम 154 के अंतर्गत दिनांक 101–03–2019 को

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज सहित वापसी योग्य रकम रू. 13.99 करोड़ (कुल रकम रू. 15.53) और निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए बकाया मांग के विरूद्ध वापसी योग्य .रू. 15.53 करोड़ रकम समायोजित (कुल मांग रू. 46.92 करोड़) किया गया । एम. धारा 244ए के तहत निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए रू. 1.54 करोड़ ब्याज को वर्ष 2018–19 का आय के रूप में मान्यता दी गई थी। एन. एसीआईटी, सर्कल–1(1), विशाखपट्टणम ने ई–कार्यवाही डीआईएन और पत्र सं.आईटीबीए/सीओएम/एफ/17/2021/1030949(1), दि.24.2.2021 को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत दि. 8.2.2021 और धारा 244 के तहत (संशोधित आदेश, दि.15.12.2020), वापसी योग्य रू.11.58 करोड और ब्याज सहित रू.3.99 करोड़ और (फरवरी, 2021), रू.0.076 करोड़ का संशोधित आदेश जारी किया। धारा 244ए के तहत वर्ष 2020–21 के लिए रू. 4.07 करोड़ ब्याज को आय के रूप में मान्यता दी गई थी। ओ. आईटीए संख्या 324/वाई/2014 दिनांक 27.9.2023 के तहत आईटीएटी, विशाखापत्तनम आदेश के आदेशों के परिणामस्वरूप (आईटीए संख्या 143(3) और आईटीएटी, विशाखापत्तनम आदेश के तहत आईटीए संख्या 325/विज/2017 दिनांक 27.9.2023 (धारा 154 के तहत आदेश के खिलाफ) के आदेश के परिणामस्वरूप, मूल्यांकन आदेश और सुधार आदेश को संशोधित किया जाता है। धारा 154 दिनांक 8.2.2021 के तहत आदेश के अनुसार मूल्यांकित आय 160.34 करोड़ रुपये है, आईटीएटी में आईटीए संख्या 324/विज/2017 दिनांक 27.9.2023 और आईटीए संख्या 325/विज/2017 दिनांक 27.9.2023 के माध्यम से आईटीएटी में दी गई राहत पर विचार करने के बाद संशोधित कुल आय 125.91 करोड़ रुपये है।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		देय कर 38.90 करोड़ रुपये हैं और 95.34 करोड़ रुपये के टीडीएस, अग्रिम कर और नियमित करों को समायोजित करने के बाद 56.43 करोड़ रुपये की वापसी हुई। धारा 244ए के तहत 17.59 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ जिससे वीपीए को कुल प्रतिदाय 74.03 करोड़ का रिफंड मिला। पी. पिछले आदेशों के अनुसार वीपीए को पहले ही जारी किए गए 59.81 करोड़ रुपये के रिफंड को ध्यान में रखते हुए, वीपीए को अब कुल 14.21 करोड़ रुपये वापस किए जाने हैं। विभाग से 14.21 करोड़ रुपये की राशि अभी प्राप्त होनी बाकी है। इसे किसी भी कर निर्धारण वर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है। क्यू. वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम पीठ द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
5	वित्तीय वर्ष: 2012–13 निर्धारण वर्ष: 2013–14 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस: 82.69 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान: 15.00 वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व: 0.00 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान: 82.69	ए. सितंबर 2013 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू. 53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 69.48 करोड़ वापस देने का दावा किया। मार्च 2015 में रू. 82.69 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिर्टन फाईल किया गया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सर्किल–1(1), विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश दिनांक 31–03–2016 में रू. 356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीए द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार, रू. 53.65 करोड़ हानि को कम करने के बाद कर लगाने व्यापार योग्य कर आय रू. 302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रू. 97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया। सी. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010–11 के लिए रू. 22. 48 करोड़ का पुर्नभुगतान आदेश पर कार्रवाई करते

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रू. 82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रू. 14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रू. 7.54 करोड़ वापस किया गया। डी. इससे असंतुष्ट होकर, वीपीए ने (18 अप्रैल, 2016) सीआईटी (एनहज), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील सीआईटी (अपील) के साथ लंबित है और सीआईटी (अपील्स) के साथ सुनवाई प्रारंभ नहीं किया गया। ई. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रू. 3. 53 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25–4–2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया और रू. 0.05 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया । एफ. ऊपर (डी) के खिलाफ सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल–1/2020–21/1029229691(1) के तहत अधिनियम की धारा 250 के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2013–14 के लिए अपील सं.1/10059/2016–17 और वीपीए ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि..6.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टयाँ प्रस्तुत कीं। जी. अधिनियम की धारा 250 के तहत उपरोक्त (डी) के विरुद्ध दि. 15.05.2023 के आदेश के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएन नं.आईटीबीए,/एनएफएसी/एस/250/2023–24/1052850617(1) आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है। वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। एच. सीआईटी (अपील) ने उपरोक्त (जी) के विरूद्ध, जिसे उप द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। सीआईटी

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ने परिणामी आदेश दिनांक 15.06.2023 के तहत रू. 251.03 करोड़ की रिलीफ और रू. 81.52 करोड़ का रिफंड वापसी योग्य था और धारा 244ए के तहत रू. 47.44 करोड़ का वापसी योग्य ब्याज था, जिससे कुल रिफंड रू. 128.97 करोड़ हो गया, जिसे उप सीआईटी द्वारा दि. 15.06.2023 के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी । आई. वीपीए को रिफंड के रूप में 62.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और इस राशि को निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए 2.77 करोड़ रुपये और 55.43 करोड़ रुपये तथा निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए 4.56 करोड़ रुपये की मांग के रूप में समायोजित किया गया। जे. वीपीए ने सीआईटी (अपील) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों और 25.03.2024 को प्राप्त आईटीएटी अपील के संयुक्त आदेश के खिलाफ 07.07.2023 को आईटीएटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई। के. उपर्युक्त (एच) के सापेक्ष कुल 128.97 करोड़ रुपये की रिफंड राशि में से 62.76 करोड़ रुपये की राशि उपर्युक्त (आई) में संदर्भित मांग के विरूद्ध समायोजित की गई तथा 66.21 करोड़ रुपये की रिफंड राशि की शेष राशि, जिसमें धारा 244ए के तहत 47.44 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है, 26.04.2024 को वीपीए को जारी की गई तथा इसे 2023–24 की ब्याज आय के रूप में मान्यता दी गई। (एल) वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (एम) 25.03.2024 को पारित आईटीएटी आदेश को प्रभावी करते हुए, 10.06.2024 को कुल 25.92 करोड़ रुपये की वापसी के साथ परिणामी आदेश जारी किया गया और उसी राशि को निर्धारण वर्ष 2022–23 की बकाया मांग के विरूद्ध समायोजित किया गया।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td>6</td><td>
<table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2013–14</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2014–15</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>56.33</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>7.29</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>56.33</td></tr>
</table>
</td><td>
ए. मार्च 2016 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू. 35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 56.33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।

बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल–1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31–12–2016 को अनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रूय 169.49 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार रू. 35.40 करोड़ हानि घटाते हुए व्यापारी योग्य कर आय को रू. 134.09 करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रू. 41.43 करोड़ रहा ।

सी. प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रू. 56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रू. 14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आयकर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रू. 17.06 करोड़ रहा ।

डी. आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आयकर विभाग ने (04–02–2017) रू. 17.06 करोड़ रकम वापस किया, जिसमें रूय2.42 करोड़ ब्याज भी शामिल है और वही वर्ष 2016–17 के आय ब्याज के रूप में पहचाना गया ।

ई. उपर्युक्त (बी) में रू. 169.49 करोड1 अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीए ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (08–02–2017) एक ई–पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (अपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ ।

एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (08–02–2017) वीपीए ने रू. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु पिटीशन फाईल किया ।
</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		जी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02–03–2017) रू. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीए ने पिटीशन फाईल किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज चुकाने के बावजूद केवल रू.2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31–12–2016 तक स्वीकार किया । एच. दिनांक 31–12–2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर/10% की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम धारा 154 / 155 के तहत नोटिस जारी किया । आई. उपर्युक्त (एच) में रू. 6.73 करोड़ की मॉग को निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए वापस जारी करते हुए समायोजित किया गया और निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए शेष रकम रू. 1.90 करोड़ को वापस कर दी गई थी । जे. ऊपर (ई) के खिलाफ अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएन दिनांक 29.12.2020 के सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल–1/2021/–/2021/102329391 (1) के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2014–15 के लिए अपील सं. 1/10477/2016–17 और वीपीटी ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि..11.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टयाँ प्रस्तुत कीं। के. आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत वीपीए को दि. 25.12.2018 को डीआईएन 2018201437046539324 टी के माध्यम से रू. 38,61,688/– की मांग जारी की गई थी। निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए रू. 43.14 करोड़ का रिफंड जारी करते समय आयकर विभाग द्वारा रू.38,61,688/– की मांग को समायोजित किया गया था ।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		एल. अधिनियम की धारा 250 के तहत उपरोक्त (जे) के विरूद्ध दि.15.05.2023 को सीआईटी (अपील) ने डीआईएन नं. आईटीबीए./एनएफएसी/एस/250/2023–24/1052850996(1) के आदेश के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है . वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है । एम. सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (एल) के विरुद्ध, परिणाम स्वरूप रू. 142.26 करोड़ की रिलीफ दी और रू. 61.29 करोड़ रिफंड वापस किया गया और धारा 244ए के तहत रू. 26.12 करोड़ का ब्याज वापस किया गया, जिससे कुल रू. 87.41 करोड़ रिफंड हो गया, जिसे उप सीआईटी ने दि. 15.06.2023 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। दि. 31.12.2016 को रू. 17.06 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था और वापसी योग्य अंतिम राशि रू. 70.35 करोड़ थी । एन. वीपीए ने सीआईटी (अपील) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों और 25.03.2024 को प्राप्त आईटीएटी अपील के संयुक्त आदेश के खिलाफ 07.07.2023 को आईटीएटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई। ओ. निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए 70.35 करोड़ रुपए का रिफंड प्राप्त हुआ, जिसमें 26.12 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। उपरोक्त (घ) के अनुसार 17.2.2017 को 2.42 करोड़ रुपए का ब्याज दर्ज किया गया और इसलिए वर्ष 2023–24 के लिए पुस्तकों में 23.71 करोड़ रुपए का शेष ब्याज और 46.64 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड मान्यता दी गई थी।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td>7</td><td><table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2014–15</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2015–16</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>48.11</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>25.18</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>48.11</td></tr></table></td><td>मार्च 2017 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 48. 11 करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।

संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल–1(1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31–12–2017 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में रू. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीए द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार रू. 123.34 करोड़ व्यापार कर योग्य आय के रूप में निर्धारण किया और निर्धरित कर योग्य कुल दायित्व रू. 41.92 करोड़ रहा। रू. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद अग्रिम कर प्राप्त किया गया और 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रू. 42.70 करोड़ टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी तथा आयर विभाग द्वारा कुल वापसी योग्य रू. 6.73 करोड़ रहा।

ए. वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते समय गैर लेवी के /10% सरचार्ज के लिए आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए रू. 4.82 मांग को समायोजित करते हुए (19–01–2018) रू. 6.73 करोड़ की रकम वापस किया गया और आयकर अधिनियम 244ए के तहत जिसमें शुद्ध वापसी रू. 1.90 ब्याज सहित वापसी योग्य रू. 0.95 करोड़ लगाया गया था।

बी. उपर्युक्त (ख) में रू. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (02–02–2018) को ई–पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ।

सी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02–02–2018) को वीपीए ने रू. 0.41 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट अनुदाने करने हे पिटीशन फाईल किया ।</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		डी. उपरोक्त (बी) पर वर्ष 2015–16 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2015–16 आईटीए सं.10251/2017–18 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टयॉ प्रस्तुत किया। दिनांक 22–09–2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं.10251ध 2017–18/सीआईटी(ए) 1/वीएसपी/2019–20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है । ई. निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी, एसीआईटी, सर्कल–1(1) ने दि. 27–11–2020 को एक अनुवर्ती आदेश जारी की और रू.3.88 करोड़ की रिलीफ का अनुदान दी तथा रू.1.54 करोड़ ब्याज सहित रू.2.32 करोड़ की वापसी जारी की । एफ. धारा 244ए के तहत वर्ष 2015–16 के लिए रू.1.54 करोड़ ब्याज को 2020–21 के आय के रूप में मान्यता दी गई थी। जी. उक्त (ई) पर निर्धारित वर्ष 2015–16 के लिए वापसी रू. 2.32 करोड़ को निर्धारित वर्ष 2017–18 के लिए मांग के विरूद्ध समायोजित किया गया था । एच. वीपीटी ने निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया। आई. आईटीएटी, विशाखापत्तनम के आदेश के परिणामस्वरूप आईटीए संख्या 235/विज/2020 दिनांक 27.9.2023 (धारा 143(3) के विरुद्ध और आईटीएटी, विशाखापत्तनम आदेश सीआईटी(ए)–1 दिनांक 21.9.2023 (धारा 143(3) के विरुद्ध) मूल्यांकन आदेश दिनांक 31.12.2017 को संशोधित किया गया है। धारा 143(3) दिनांक 31.12. 2017 के आदेश के अनुसार मूल्यांकन की गई आय 123.34 करोड़ रुपये है, आईटीएटी द्वारा आईटीए संख्या 235/विज/2020 दिनांक 27.9.2023 के

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		माध्यम से आईटीएटी में दी गई राहत और आईटी (ए)–1 के आईटीए आदेश पर विचार करने के बाद संशोधित कुल आय 88.50 करोड़ रुपये है। देय राशि 30.08 करोड़ रुपये है और टीडीएस, 47.40 करोड़ रुपये के अग्रिम कर को समायोजित करने के बाद 17.61 करोड़ रुपये का रिफंड हुआ। धारा 244ए के तहत 6.82 करोड़ रुपये का ब्याज हुआ जिससे वीपीए को कुल रिफंड 24.44 करोड़ रुपये हो गया। जे. पिछले आदेशों के अनुसार वीपीए को पहले ही जारी किए गए 6.73 करोड़ रुपये के रिफंड को ध्यान में रखते हुए, वीपीए को अब कुल वापसी योग्य राशि 17.71 करोड़ रुपये है। विभाग से 14.21 करोड़ रुपये की राशि अभी प्राप्त होनी बाकी है। इसे किसी भी कर निर्धारण वर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है। के. वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम बेंच द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
8	वित्तीय वर्ष — 2015–16 निर्धारण वर्ष — 2016–17 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस — 47.01 वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान — 0.00 वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व — 0.00 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान — 47.01	ए. मार्च 2018 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू.11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 47.01 करोड़ कर वापस देने का दावा किया। बी. संवीक्षा और ऑन लाईन की माध्यम से कई बार पूछने के बाद, दिनांक 25–12–2018 को धारा 143 (3) के तहत एसीआईटी, सर्कल–1 (1), विशाखपट्टणम ने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में रू. 351.95 करोड़ का अनुमति न देने का आदेश और व्यापार योग्य आय रू. 237.78 करोड़ के रूप में और रू. 93.93 करोड़ की आयकर देयता पर पहूँचा । सी. अग्रिम कर प्राप्त के संदर्भ में रू. 5.00 करोड़ढ समायोजित करने के बाद और रू. 42.01 का टीडीएस जमा का अनुमोदित करने तथा अधिनियम धारा 156 के तहत

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		दिनांक 25–12–2018 के आयकर विभाग को वीपीए द्वारा कुल मांग रू. 46.92 करोड़ चुकाना है । डी. वीपीए ने (बी) में अपमानित रू. 351.95 करोड़ के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष पिटीशन फाईल करने को कहा गया । ई. वीपीए ने दिनांक 23–01–2019 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई–फाईल का अपील किया। सीआईटी (अपील) के पास अपील लंबित है। सीआईटी अपील पर सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है। एफ. लेखापरीक्षा अधिकारी ने ई–कार्यवाही को दंडात्मक कार्यवाही जारी की और आयकर अधिनियम 156 के तहत रू. 46.92 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 25–12–2018 को डिमांड नोटिस जारी किया । जी. आयकर अधिनियम 156 के तहत डिमांड नोटिस विरूद्ध रू. 46.92 करोड़ की विववादित मांग के वसूली पर रोक लगाने के लिए अपील करने के लिए, वीपीए को रू. 46.92 करोड निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए विवादित मांग 20: होने के लिए रू. 9.38 करोड़ भुगतान करना होगा । एच. निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए, वापसी योग्य रू.21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31–03–2016 को अनुवर्ती आदेश पारित किया। कुल वापसी योग्य रकम में से निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए बकाया मांग के लिए रू. 13.99 करोड़ का समायोजन किया गया और वीपीए को बाकी रकम जारी किया गया। बाद में, निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए दिनांक 09–05–2017 को अनुवर्ती आदेश पारित किया गया, वीपीए को रू. 13.99 करोड़ जमा नहीं दिया गया । आई. वीपीए ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए मांग वसूली की रोक के लिए दिनांक 24–01–2019 को डीसीआईटी,

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		सर्कल–1 (1), विशाखपट्टणम के समक्ष स्टे पिटिशन दी, और लेखापरीक्षा अधिकारी से अधिनियम की धारा 244ए के तहत रू. 13.99 करोड़ जमा सहित ब्याज के लिए निर्धारण वर्ष 2012–13 वापसी के विरूद्ध 20% मांग को समायोजित करने का अनुरोध किया । जे. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत उप सीआईटी, सर्कल–1(1), विशाखपट्टणम ने रू. 13.99 करोड़ वापसी योग्य रकम धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रू. 1.54 करोड़ (कुल रकम 15.53 करोड़) को और निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए बकाया मांग के विरूद्ध रू. 15.53 करोड वापसी योग्य रकम (कुल मांग रू. 46.92 करोड़) को समायोजित करने को दिनांक 01–03–2019 के आदेश देखें । के. आयकर–1 के मुख्य आयुक्त, विशाखपट्टण ने निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए विवादित मांग के वसूली का रोक के लिए आवेदन पर आदेश, रू. 10.00 करोड़ की भुगतान दिनांक 22–03–2019 के पहले या करने के लिए दिनांक 18–03–2019 को सूचित आदेश और लेखापरीक्षा अधिकारी को निदेश दिया कि कुछ नियम एवं शर्तों पर सीआईटी (ए) द्वारा 1 अपील निपटाने तक विवादित मांग का शेष वसूली को अस्थगित रखने या दिनांक 31–12–2019 जो पहले हो । एल. वीपीए ने रू. 46.92 करोड़ का विवादित मांग के विरूत्र दिनांक 20–03–2019 को रू.10.00 करोड़ रकम भुगतान किया गया। मांग के विरूद्ध रू. 25.53 करोड़ (उक्त (एच) में रू. 15.53 और रू. 10.00 करोड़) और शेष रू. 21.39 करोड़ भुगतान किया जाना है । एम. वीपीए द्वारा विवादित डिमांग के रू. 21.39 करोड़ की शेष देय भुगतान के लिए दिनांक 31–01–2020 को वीपीए ने आयकर विभाग द्वारा ई–पद्धति में नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दिनांक 06–02–2020 को पिटिशन फाईल किया कि विभाग द्वारा निपटाने

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		के लिए वीपीए के कारण अभी तक लंबित वापसी के लिए मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोधि किया तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए विवादित डिमांड शेष से अधिक है । एन. उपरोक्त (डी) पर वर्ष 2016–17 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2016–17 आईटीए सं.10269/2018–19 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टयॉ प्रस्तुत किया। दिनांक 22–09–2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं.10251ध 2017–18/सीआईटी(ए) 1/वीएसपी/2019–20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है। ओ. वीपीए ने एसीआईटी (19.11.2020) के साथ एक पिटिशन फाईल की जिसमें सीआईटी (ए)–1 द्वारा निर्धारित वर्ष 2016–17 के लिए पारित आदेश को जारी करने के लिए अनुवर्ती आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था। पी. वीपीए ने निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया। क्यू. 143(3) दि. 31.12.2017 को निर्धारण वर्ष 2016–17 मूल्यांकन के लिए आदेश पर, सीआईटी(ए) दि.21.09. 2020 में आईटीए सं.10269/2018–19/ सीआईटी(ए)–1/वीएसपी/2020–21 और उसके बाद दि. 17.12.2020 का शुद्धिपत्र और आय पर दि.25.12. 2018 को मूल्यांकन आदेश के अनुसार सीआईटी (ए) –1 द्वारा रू. 237.77 करोड़ की दी गई कुल रिलीफ अनुदान रू.130.83 करोड़ है और संशोधित मूल्यांकन आय के बाद रिलीफ रू.106.93 करोड़ है। देय कर रू. 37.00 करोड़ है। करों को समायोजित करने के बाद रू.72.54 करोड़ के भुगतान किए गए, रू. 35.53 करोड़ कर वापसी योग्य राशि थी और धारा 244ए के

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		तहत ब्याज रू.5.70 करोड़ था और आयकर विभाग द्वारा कुल रू.41.24 करोड़ वापस किया गया था। और वर्ष 2022–23 के लिए ब्याज और कर वापसी को पुस्तकों में मान्यता दी गई है । आर. आईटीएटी, विशाखापत्तनम के आदेशों के परिणामस्वरूप आईटीए संख्या 236धविजध2020 दिनांक 27.9.2023 (आदेश यूध्एस 143(3) के विरुद्ध) और आईटीएटी, विशाखापत्तनम के आदेश आईटीए संख्या 67 / विज / 2021 दिनांक 27.9.2023 (आदेश यू / एस 143(3) के विरुद्ध) के परिणामस्वरूप धारा 254 दिनांक 8.12. 2023 के तहत परिणामी आदेश संशोधित किया जाता है। संशोधित आयकर रिटर्न के अनुसार निर्धारित आय रु.(–)114.16 करोड़ है, आईटीएटी द्वारा आईटीए संख्या 236 / विज / 2020 दिनांक 27.9.2023 और आईटीए संख्या 67 / विज / 2021 दिनांक 27.9.2023 के माध्यम से आईटीए में दी गई राहत पर विचार करने के बाद संशोधित कुल आय रु.(–)103.42 करोड़ है। देय कर 0 करोड़ रुपये हैं और टीडीएस, अग्रिम कर और नियमित कर 72.54 करोड़ रुपये समायोजित करने के बाद 72.54 करोड़ रुपये का रिफंड हुआ। धारा 244ए के तहत 21.91 करोड़ रुपये का ब्याज लगने से वीपीए को कुल 94.46 करोड़ रुपये का रिफंड मिला। एस. पिछले आदेशों के अनुसार वीपीए को पहले ही जारी किए गए 41.24 करोड़ रुपये के रिफंड को ध्यान में रखते हुए, वीपीए को अब कुल 53.21 करोड़ रुपये वापस किए जाने हैं। 53.21 करोड़ रुपये की राशि अभी भी विभाग से प्राप्त होनी है। इसे किसी भी कर निर्धारण वर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है। टी. वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम पीठ द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td>9</td><td>
<table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2016–17</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2017–18</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>56.13</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>13.09</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>56.13</td></tr>
</table>
</td><td>
ए. मार्च 2019 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीए ने रू.56.13 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।

बी. प्राथामिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत जारी ई–कार्यवाही नोटिस देखें दिनांक 14–08–2018, 27–09–2018 और 27–09–2019 और धारा 142 (1) के तहत नोटिस दिनांक 19–09–2019 और धारा 143 (3) के तहत जो नोटिस दिनांक 29–11–2019, 18–12–2019, 21–12–2019 जारी शोकॉस नोटिस।

सी. ऑनलाईन मोड़ की माध्यम से जॉच और पूछने के बाद धारा 143(3) दिनांक 28–12–2019 के तहत एसीआईओ, सर्कल–1 (1), विशाखपट्टणम के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश में रू. 169.83 करोड़ की अनुमति नहीं दिया और रू. 169.83 करोड़ को व्यापार कर योग्य आय पर तथा कुल मिलाकर रू. 59.65 करोड़ की देयता आयकर पर पहुंचे।

डी. टीडीएस जमा को समायोजित करने के बाद रू. 56.12 करोड़ का अनुमति दिया और वीपीए द्वारा कुल रू. 3.52 करोड़ देय का मांग दिया ।

ई. आयकर अधिनियम धारा 156 के तहत वीपीटी को रू. 3.52 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 28–12–2019 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दिनांक 07–01–2020 के अपने पिटिशन के विरूद्ध मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया कि सीआईटी (अपील) के समक्ष वीपीटी अपील फाईल कर रहा है तथा कहा कि वर्ष 2016–17 के लिए आयकर अधिनियम धारा 154 के तहत वीपीए द्वारा रू. 3.52 करोड़ की विवादित मांग 20% होने के रूप में रू. 0.70 करोड़ रकम वीपीए द्वारा वापसी प्राप्त करने के विरूद्ध वीपीटी ने पिटीशन फाईल किया गया था।
</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		एफ. रू. 3.52 करोड़ की अनुमोदित नहीं देने पर पहुंचा (डी) में वीपीए का कहना है कि सीआईटी(अपीलस्) के समक्ष पिटिशन फाईल किया । जी. वीपीए ने दिनांक 10–01–2020 को सीआईओ (अपीलस) के समक्ष ई–फाईल अपील किया था। सीआईटी (अपील) के साथ अपील लंबित है। सीआईटी (अपील) पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। एच. वीपीए द्वारा रू. 3.52 करोड़ की भुगतान के लिए डिमांड आयकर विभाग द्वारा ई–पद्धति में वीपीए ने दिनांक 31–01–2020 को नोटिस जारी किया गया और वीपीए ने रू. 3.52 करोड़ की विवादित डिमांड की नियमित मूल्यांकन कर 20% रकम रू. 0.70 करोड़ चुकाया गया था । आई. उक्त (एफ) के अनुसार, अधिनियम की धारा 250 के तहत वर्ष 2017–18 के लिए सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए / एनएफएसी / एफ / एपीएल –1 / 2020–21 / 102973 4733(1) दि. 13.1.2021 के अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम सं. 1 / 10413 / 2019–20 के लिए नोटिस जारी किया और वीपीए ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.19.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टयाँ प्रस्तुत कीं। सीआईटी (अपील) प्रगति पर है । जे. एसीआईटी, सर्कल 1 (1) विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस (12.3.2021 को जारी किया जिसमें कहा गया कि निर्धारित वर्ष 2017–18 के लिए दि. 28.12.2019 को पारित धारा 143 (3) आदेश में संशोधन की आवश्यकता है । के. वीपीए ने दि. 16.3.2021 के उत्तर की माध्यम से सीआईटी (अपील) और आईटीएटी के पहले फाईल किये गये अपीलों को निपटाने तक अधिनियम की

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		धारा 154 के तहत प्रस्तावित संशोधन को स्थगित करने का अनुरोध किया । एल. निर्धारित वर्ष 2015–16 के लिए रू. 2.32 करोड़ की वापसी को निर्धारित वर्ष 2017–18 की मांग के विरूद्ध समायोजित किया गया था । एम. उक्त (आई) और (जे) पर, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के दि. 28. 12.2019 के आदेश गलत पारित कर दी गई और निर्धारित वर्ष 2017–18 के लिए अधिनियम की धारा 154 पठित 143 (3) के तहत रू. 51,97,27,909/– घाटा सामने लाते हुए एक आदेश पारित किया गया । कुल आय रू. 2,21,80,53,397/– विचार करते हुए और रू. 26,73,90,440/– की देय मांग पर पहुँची । वीपीटी कर सलाहकारों को उनकी सलाह/अपील फाईल करने के लिए मांग नोटिस भेजा गया था। धारा 154 पठित 143 (3) के तहत नोटिस पर सीआईटी (अपील) के साथ अपील दि. 21.10.2021 को फाईल की गई थी । (एन) सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम के समक्ष दायर अपील पर, अपील आदेश 26.12.2024 को आंशिक रूप से वीपीए के पक्ष में जारी किया गया था। (ओ) बिंदु (एन) में उपरोक्त सीआईटी (ए) आदेश को प्रभावी करते हुए, परिणामी आदेश दिनांक 07.02.2025 को जारी किया गया था, जिसमें कुल 95.41 करोड़ रुपये की वापसी की घोषणा की गई थी, जिसमें से 27.86 करोड़ रुपये रिफंड पर ब्याज है और इसे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए की पुस्तकों में मान्यता दी गई थी। (पी) वीपीए ने सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम द्वारा जारी की गई अस्वीकृतियों पर आईटीएटी (ए), विशाखापत्तनम में अपील दायर की।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
10	वित्तीय वर्ष: 2017–18 निर्धारण वर्ष: 2018–19 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस: 56.46 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान: 57.77 वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व: 27.29 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान: 29.17	ए. वीपीए ने मार्च 2020 में संशोधित रिर्टन फाईल करते रू. 29.17 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत ई–कार्यवाही दिनांक 22–09–2019 और 29–09–2019 के तहत नोटिस जारी किया गया है । सी. धारा 142 (1) के तहत नोटिस के अंतर्गत ई–प्रोसीडिंग्स प्रगति पर है । डी. वीपीए के घाटा ध् मूल्यह्रास को समायोजित करने से पहले आय की वापसी के अनुसार सकल कुल आय रू. 172,28,55,086 / – है । ई. धारा 143 (3) के तहत ई.कार्यवाही आदेश दि. 24.9. 2021 की अस्वीकृति रू. 175,20,10,588 / – के साथ सकल कुल आय के रू. 347,48,65,674 / – को निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया गया था । आयकर अधिनियम के धारा 801ए के तहत दावे की कटौती के बाद रू. 27,81,92,328 / – और रू. 319,66,73,350 / – की कुल आय पर पहूँचे । एफ. उक्त (ई) में अस्वीकृत करते हुए और वीपीए द्वारा रू. 175,20,10,588 / – की देय मांग है । वीपीए ने सीआईटी (अपील) के साथ अपील करना चाहती है और दि. 21.10.2021 को सीआईटी के साथ अपील फाईल किया गया । जी. आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) ने दि. 24.9.2021 को एक आदेश पारित किया और आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और रू.77.46 करोड़ मांग की भुगतान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत एक नोटिस जारी किया। एच. निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए रू. 77.46 करोड़ मांग की खिन्न होकर, वीपीए ने दि. 09.02.2023 को आईटीएटी के साथ अपील दाखिल की ।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>आई. उपरोक्त (एच) के विरूद्ध सीआईटी (अपील) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियां और आईटीएटी अपील का संयुक्त आदेश 25.03.2024 को प्राप्त हुआ जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(जे) आईटीएटी के 25.03.2024 के आदेश को प्रभावी करते हुए, 07.06.2024 को परिणामी आदेश जारी किया गया, जिसमें कुल 75.22 करोड़ रुपये की वापसी की घोषणा की गई, जिसमें से 45.85 करोड़ रुपये को निर्धारण वर्ष 2022–23 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया और शेष 29.36 करोड़ रुपये 20.03.2025 को वीपीए खाते में जमा कर दिए गए।

(के) वीपीए ने आईटीएटी विशाखापत्तनम पीठ द्वारा बरकरार रखी गई छूट पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की ।</td></tr>
<tr><td>11</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2018–19</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2019–20</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>65.35</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>36.26</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>23.49</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>41.85</td></tr>
</table></td><td>ए. वीपीए ने मार्च 2020 में संशोधित रिर्टन फाईल करते रू. 41.85 करोड़ कर वापस करने का दावा किया ।

बी. सीपीसी ने दि. 20.03.2020 को आय पर वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारण आय की रिटर्न संसाधित करते समय रू. 101.29 करोड़ की सकल कुल और टीडीएस समायोजित करने के बाद रू. 65.35 करोड़ का भुगतान किया गया। अधिनियम की धारा 244ए के तहत रू.1. 67 करोड़ के ब्याज सहित रू. 41.85 करोड़ का कुल रिफंड रू. 43.52 करोड़ हो गया। जब रू.43.52 करोड़ का रिफंड जारी करते समय और रू.38.61 लाख की राशि निर्धारण वर्ष 2014–15 की मांग के लिए समायोजित की गई। वर्ष 2022–23 के लिए मान्यता प्राप्त पुस्तकों में रू. 43.14 करोड़ आईटी रिफंड है जिसमें 244ए के तहत रू.1.67 करोड़ में ब्याज शामिल है।

सी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ।</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
12	वित्तीय वर्ष: 2019–20 निर्धारण वर्ष: 2020–21 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस: 88.96 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान: 36.26 वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व: 74.00 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान: 14.95	ए. वीपीए ने मार्च 2021 में कुल आय के रू.211.39 करोड़ का संशोधित रिर्टन फाईल करते हुए और रू.14.95 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ और धारा 143 (2) के तहत दि. 29.06.2021 को नोटिस जारी किया गया है और वीपीए ने दि.12.07.2021 को जवाब दाखिल किया है । सी. धारा 142(1) के तहत दि. 21.11.2021 को ई–कार्यवाही नोटिस जारी किया गया है और वीपीए ने दि.16.12. 2021 को जवाब दाखिल किया गया था। डी. धारा 142(1) के तहत फिर से दि. 16.03.2022 को ई–कार्यवाही नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दि.21.03.2022 को जवाब दाखिल किया गया था । ई. अंततरू दि. 15.03.2022 को धारा 143(3) के तहत नोटिस जारी किया गया और दि. 25.03.2022 को मूल्यंकान आदेश की मसौदा जारी किया गया तथा रू. 109.00 करोड़ की अनुमति नहीं दी गई और व्यापार कर योग्य आय रू. 321.39 करोड़ पहुंच गई तथा जवाब की नियत तिथि दि. 28.03.2022 निर्धारित की गई। वीपीए ने दि. 10.04.2022 तक स्थगित करने का अनुरोध किया। मूल्यांकन अधिकारी से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। एफ. दि. 26.9.2022 को लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था और रू.321.39 करोड़ का आय का कुल मूल्यांकन की गई, हालांकि गणना शीट में व्यवसाय से आय के लिए रू.371.00 करोड़ का अंतर दिखाए गए और जिसमें कुल अस्वीकृति रू.109.99 करोड़ थी।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		इस प्रकार आय रू.371.00 करोड़ विचार की गई और रू. 54.33 करोड़ की मांग जारी की गई । जी. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा रू.109.99 करोड़ की मूल्यांकन में की गई अस्वीकृतियों से खिन्न हुआ, वीपीए ने रू.54.33 करोड़ के बजाय रू.21.48 करोड़ की सही मांग पर दि.18.10.2022 को सीआईटी (ए) के साथ अपील दाखिल की। एच. उक्त (एफ) के अनुसार मूल्यांकन की गई कुल आय पर, वीपीए ने लेखापरीक्षा अधिकारी को सुधार के लिए आवेदन किया और लेखापरीक्षा अधिकारी ने तहत दि. 30.3.2023 के आईटी अधिनियम धारा 143(3) के 154 आर.डब्ल्यू.एस. के तहत कटौती के बाद कुल आय रू. 321.39 करोड़ दिखाई गई है और रू. करोड़ की मांग की सुधार आदेश जारी की गउई । (आई) सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम के समक्ष दायर अपील पर, अपील आदेश 26.12.2024 को आंशिक रूप से वीपीए के पक्ष में जारी किया गया था। (जे) बिंदु (एन) में उपरोक्त सीआईटी (ए) आदेश को प्रभावी करते हुए, परिणामी आदेश दिनांक 17.02.2025 को जारी किया गया था जिसमें 67.71 करोड़ रुपये की कुल वापसी की घोषणा की गई थी, जिसमें से 3.55 करोड़ रुपये रिफंड पर ब्याज है और इसे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए की पुस्तकों में मान्यता दी गई थी। (के) वीपीए ने सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम द्वारा जारी की गई अस्वीकृतियों पर आईटीएटी (ए), विशाखापत्तनम में अपील दायर की।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td>13</td><td>
<table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2020–21</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2021–22</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>97.95</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>97.95</td></tr>
</table>
</td><td>
ए. वीपीए ने मार्च 2022 में संशोधित रिर्टन फाईल करते रू.97.95 करोड़ कर वापस करने का दावा किया ।

बी. वीपीए ने अपनी आय का रिटर्न रू. (176.27) करोड़ दाखिल किया और रू.661.46 करोड़ की अस्वीकृति की गई और रू.485.18 करोड़ की निर्धारित आय हुई।

सी. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा रू. 188.16 करोड़ का कुल आयकर देयताओं पर पहुंची, पूर्व भुगतान करों को समायोजित करने के बाद रू.97.92 करोड़ को 90.23 करोड़ रुपये की मांग की गई।

डी. रू.90.23 करोड़ की मांग से खिन्न होकर, वीपीए ने दि. 25.01.2023 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की।

ई. आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएनआईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल–1/2023–24/1054303510 (1) दि. 12.07.2023 में नोटिस के माध्यम से 27.07.2023 तक लिखित प्रस्तुतियाँ और दि.10.08.2023 तक उत्तर देने को कहा है।

(एफ) सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम के समक्ष दायर अपील पर, अपील आदेश 05.02.2025 को आंशिक रूप से वीपीए के पक्ष में जारी किया गया था।

(जी) बिंदु (एन) में उपरोक्त सीआईटी (ए) आदेश को प्रभावी करते हुए, परिणामी आदेश दिनांक 17.02.2025 को जारी किया गया था, जिसमें 214.29 करोड़ रुपये की कुल वापसी की घोषणा की गई थी, जिसमें से 24.32 करोड़ रुपये रिफंड पर ब्याज है और इसे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए की पुस्तकों में मान्यता दी गई थी।

(हेच) वीपीए ने सीआईटी (ए), विशाखापत्तनम द्वारा जारी की गई अस्वीकृतियों पर आईटीएटी (ए), विशाखापत्तनम में अपील दायर की।
</td></tr>
</table>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
14	वित्तीय वर्ष — 2021–22 निर्धारण वर्ष — 2022–23 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस — 127.52 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान — 121.01 वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व — 17.98 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान — 109.55	ए. वीपीए ने दिसंबर 2022 में संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय रू.109.55 करोड़ के कर रिफंड का दावा किया। बी. वीपीए ने अपनी आय का रिटर्न 51.44 करोड़ रुपए दर्ज किया तथा 169.21 करोड़ रुपए की अस्वीकृतियां के रूप में दायर कीं और 220.65 करोड़ रुपए की आय का आकलन किया। सी. 127.48 करोड़ रुपये के पूर्वदत्त करों (मूल्यांकन आदेश में 0.04 करोड़ नहीं दर्शाए गए) को समायोजित करने के बाद कुल आयकर देयता 161.18 करोड़ रुपये पर पहुंची, 98.78 करोड़ रुपये की वापसी को जोड़ने के बाद ए.ओ. द्वारा 132.47 करोड़ रुपये की मांग की गई। डी. कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष याचिका संख्या 154 उन मुद्दों के संबंध में दायर की गई थी जिन पर कर निर्धारण आदेश में विचार नहीं किया गया था। ई. 132.47 करोड़ रुपये की मांग से व्यथित होकर, वीपीए ने 25.04.2024 को सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की।
15	वित्तीय वर्ष — 2022–23 निर्धारण वर्ष — 2023–24 चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस — 220.30 वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान — 171.44 वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व — 93.32 आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान — 126.98	(ए) वीपीए ने 28.12.2023 को 267.06 करोड़ रुपये की कुल आय के साथ संशोधित रिटर्न दाखिल किया और 126. 98 करोड़ रुपये के कर की वापसी का दावा किया। (बी)) सीपीसी ने निर्धारण वर्ष 2023–24 के लिए दिनांक 12.01.2024 को 267.06 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर रिटर्न संसाधित करते समय और 220.30 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए टीडीएस को समायोजित करने के बाद, अधिनियम की धारा 244ए के तहत 6.34 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 126.98 करोड़ रुपये का रिफंड किया, जिससे कुल रिफंड 133.33 करोड़ रुपये हो गया। 133.33 करोड़ रुपये का कुल रिफंड 30.04.2024 को वीपीए खाते में जमा कर दिया गया।

(रूपये करोड़ों में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>समय समय पर निर्धारण की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत 28.03.2025 को मूल्यांकन पूरा किया गया और कुल मूल्यांकित आय 425,81,33,668/– रुपए निर्धारित की गई, जिसमें निर्धारण वर्ष 2023–24 के लिए पारित मूल्यांकन आदेश में 55,65,76,719/– रुपए की मांग की गई।

(डी) वीपीए ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आदेश में अस्वीकृत आधारों पर सीआईटी(ए) के समक्ष दिनांक 25.04.2025 को अपील दायर की है।</td></tr>
<tr><td>16</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2023–24</td></tr>
<tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2024–25</td></tr>
<tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>280.49</td></tr>
<tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>356.70</td></tr>
<tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व</td><td>257.77</td></tr>
<tr><td>आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>22.71</td></tr>
</table></td><td>(ए) वीपीए ने 30.12.2024 को कुल 731.56 करोड़ रुपये की आय के साथ संशोधित रिटर्न दाखिल किया और 22.71 करोड़ रुपये के कर की वापसी का दावा किया।</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">वित्तीय वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) के लिए, 194.59 करोड़ का अग्रिम कर चुकाया गया और फॉर्म 26ै के अनुसार 74.95 करोड़ का टीडीएस जमा किया गया। आयकर के लिए प्रावधान 347.00 करोड़ है। कर रिटर्न समय सीमा के अनुसार दाखिल किए जाएँगे।</td></tr>
</table>

वीपीए सीईएसटीएटी मामले

क्र.सं.	विवरण	अपील की स्थिति
1	अपीलकर्ता का नाम: विशाखपट्टणम –1 प्रतिवादी का नाम: विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट शामिल मुद्दे: रेलवे साइडिंग के स्टाफ़ शुल्क पर सेवा कर जारी करने की अवधि: अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 शामिल राशि: 54,65,181 डायरी संख्या/वर्ष: 02227/2012 दायर करने की तिथि: 04/07/2012 मामला संख्या: एसटी/1854/2012 आक्षेप संख्या: विज–एसटीएक्स 001 सीओएम 001–066–2012 स्थिति: बंद किया हुआ अंतिम आदेश संख्या: 30067/2025 अंतिम आदेश की तिथि: 03–03–2025	1. एचपीसीएल और अन्य पार्टियों की रेलवे साइडिंग पर वीपीए कर्मियों की तैनाती पर सेवा कर का भुगतान न करने और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के खिलाफ प्राप्त एससीएन संख्या वि/15/240/2011 दिनांक 19.10.2011 2. मूल आदेश संख्या वीआईजेड–एसटीएक्स 001 सीओएम 001–066–2012 दिनांक 30.04.2012 वीपीए के पक्ष में पारित किया गया। 3. समीक्षा आदेश संख्या 33 के आधार पर विभाग ने पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक 04/07/2012 को अपील संख्या एसटी/1854/2012 दायर की। 4. अपील की अंतिम सुनवाई 3 मार्च 2025 को हुई। 5. अंतिम आदेश 30067/2025 3 मार्च 2025 को पारित किया गया, जिससे सीईएसटीएटी में मामला बंद हो गया।
2	अपीलकर्ता का नाम: विशाखापत्तनम–1 प्रतिवादी का नाम: विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट शामिल मुद्दे: रेलवे साइडिंग के स्टाफ चार्ज पर सेवा कर और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ जारी करने की अवधि: अक्तूबर 2005– मार्च 2010 और अप्रैल 2006– सितंबर 2007 शामिल राशि: 4,17,75,141 डायरी संख्याध्वर्ष: 02228/2012 दायर करने की तिथि: 04/07/2012 मामला संख्या: एसटी/1855/2012 आक्षेप संख्या: विज–एसटीएक्स 001 सीओएम 001–043–2012 आक्षेप संख्या: विज–एसटीएक्स 001 सीओएम 001–043–2012 स्थिति: खुला अंतिम सुनवाई की तारीख: 02–04–2025	1. एससीएन संख्या वी/15/64/2011 दिनांक 20.04.2011 और वी/15/ 238 /2011 दिनांक 19.10.2011 एचपीसीएल और अन्य पार्टियों की रेलवे साइडिंग पर वीपीए कर्मियों की तैनाती पर सेवा कर का भुगतान न करने और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के विरुद्ध प्राप्त हुई। 2. मूल आदेश संख्या विज–एसटी 001 सीओएम 001–043–2012 दिनांक 12. 03.2012 को वीपीए के पक्ष में पारित किया गया था, जिसमें 1,59,928/– रुपये के सेनवैट क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया गया था। 3. समीक्षा आदेश संख्या 34 के आधार पर विभाग ने पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>04/07/2012 को अपील संख्या एसटी/1855/2012 दायर की।
4. अपील की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को हुई।
5. अपील की सुनवाई 9 मई 2025 को निर्धारित की गई।</td></tr>
<tr><td>3</td><td><table>
<tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम–1</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अक्तूबर 2005– मार्च 2010 और अप्रैल 2006– सितम्बर 2007</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>1,59,928</td></tr>
<tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>02722/2012</td></tr>
<tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>01/10/2012</td></tr>
<tr><td>मामला संख्या</td><td>एसटी/2685/2012</td></tr>
<tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>विज–एसटीएक्स 001 सीओएम 001–043–2012</td></tr>
<tr><td>स्थिति</td><td>खुला</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>02–04–2025</td></tr>
</table></td><td>1. एचपीसीएल और अन्य पार्टियों की रेलवे साइडिंग पर वीपीए कर्मियों की तैनाती पर सेवा कर का भुगतान न करने और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के खिलाफ एससीएन संख्या वी/15/64/2011 दिनांक 20.04.2011 और वी/15/238/ 2011 दिनांक 19.10.2011 प्राप्त हुई।
2. मूल आदेश संख्या विज–एसटी 001 सीओएम 001–043–2012 दिनांक 12.03.2012 को वीपीए के पक्ष में 1,59,928/– रुपये के सेनवैट क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए पारित किया गया था
3. 1,59,928/– रुपये के अस्वीकृत सेनवैट क्रेडिट के खिलाफ वीपीए द्वारा 01/10/2012 को अपील संख्या एसटी/2685/2012 दायर की गई थी।
4. अपील की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को हुई।
5. अपील की सुनवाई 9 मई 2025 को निर्धारित की गई।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	विवरण	अपील की स्थिति
4	<table><tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr><tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम–1</td></tr><tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>पूंजीगत वस्तुओं, रेल प्लेट स्लीपरों आदि पर सैनवेट क्रेडिट की पात्रता।</td></tr><tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अक्तूबर 2008 – सितम्बर 2012</td></tr><tr><td>शामिल राशि</td><td>2,77,40,143</td></tr><tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>22027 / 2015</td></tr><tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>15 / 09 / 2015</td></tr><tr><td>मामला संख्या</td><td>एसटी / 21965 / 2015</td></tr><tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>वीएसपी–ईएक्ससीयूएस–001–सीओएम–15–16</td></tr><tr><td>स्थिति</td><td>खुला</td></tr><tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>02–04–2025</td></tr></table>	1. पूंजीगत वस्तुओं, रेल प्लेट स्लीपर आदि पर सेनवैट क्रेडिट की पात्रता के विरुद्ध एससीएन संख्या वी / 15 / 115 / 2013–एडजन दिनांक 16.04.2014 प्राप्त हुई। 2. विभाग द्वारा मूल आदेश संख्या वीएसपी–ईएक्ससीयूएस–001–सीओएम–005–15–16 दिनांक 08.06.2015 पारित किया गया। 3. मूल आदेश के विरुद्ध वीपीए द्वारा 15 / 09 / 2015 को अपील संख्या एसटी / 21965 / 2015 दायर की गई। 4. अपील की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को हुई।
5	<table><tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr><tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम – जीएसटी</td></tr><tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती पर सेवा कर</td></tr><tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अक्तूबर 2013 – मार्च 2015</td></tr><tr><td>शामिल राशि</td><td>9,26,879</td></tr><tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>30174 / 2019</td></tr><tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>05 / 03 / 2019</td></tr><tr><td>मामला संख्या</td><td>एसटी / 30219 / 2019</td></tr><tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी–192–18–19</td></tr><tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>11–11–1111</td></tr></table>	1. प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती पर सेवा कर के विरुद्ध एससीएन संख्या वी / 15 / 128 / 2015 एडज दिनांक 27.07.2015 प्राप्त हुई। 2. अपील संख्या विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी–192–18–19 दिनांक 31. 10.2018 में विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया। 3. मूल आदेश के विरुद्ध वीपीए द्वारा 15 / 09 / 2015 को अपील संख्या एसटी / 21965 / 2015 दायर की गई। 4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td>6</td><td>
<table>
<tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>केंद्रीय कर आयुक्त–विशाखापत्तनम – जी एस टी</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>सीआईएसएफ 15–16 पर सेवा कर का कम भुगतान</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2015 से मार्च श्2016</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>90,00,518</td></tr>
<tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>30366 / 2020</td></tr>
<tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>18 / 11 / 2020</td></tr>
<tr><td>मामला संख्या</td><td>एसटी / 30053 / 2022</td></tr>
<tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी 079–20–21</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>04–03–2022</td></tr>
</table>
</td><td>
1. वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए सीआईएसएफ पर सेवा कर के कम भुगतान के विरुद्ध एससीएन संख्या वीध 15 / 34 / 2018–एडीजे. दिनांक 12.03. 2019 प्राप्त हुई।
2. अपील संख्या विज–ईएक्ससीयूएस–001–एपीपी–079–20–21 दिनांक 30.07.2020 में विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया।
3. मूल आदेश के विरुद्ध वीपीए द्वारा 18 / 11 / 2020 को अपील संख्या एसटी / 30053 / 2022 दायर की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>
<table>
<tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम–जीएसटी</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>घोषित सेवा के अंतर्गत परिसमाप्त क्षतिध्दण्ड पर सेवा कर का भुगतान न करना</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>जुलाई 2012 – मार्चश्2015</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>1,73,70,606</td></tr>
<tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>30631 / 2019</td></tr>
<tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>15 / 10 / 2019</td></tr>
<tr><td>मामला संख्या</td><td>एसटी / 30358 / 2020</td></tr>
<tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी –044–19–20</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>10–12–2020</td></tr>
</table>
</td><td>
1. वर्ष 2012–2015 की अवधि के लिए ष्घोषित सेवाष के तहत परिसमाप्त क्षतिध्दंड पर सेवा कर का भुगतान न करने के विरुद्ध एससीएन संख्या वी / 1 / 87 / 2017–दिनांक 27.04.2017 प्राप्त हुई।
2. अपील संख्या विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी–044–19–20 दिनांक 29. 06.2019 में विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया।
3. मूल आदेश के विरुद्ध वीपीए द्वारा 15.10. 2019 को अपील संख्या एसटी / 30358 / 2020 दायर की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td>8</td><td>

अपीलकर्ता का नाम	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
प्रतिवादी का नाम	विशाखापत्तनम– 1
शामिल मुद्दे	डब्लूसीएस, लीगल और कैब रेंट जैसी सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर का भुगतान न करना
जारी करने की अवधि	जुलाई 2012– मार्चश2013
शामिल राशि	62,92,908
डायरी संख्याध्वर्ष	30672 / 2016
दायर करने की तिथि	22 / 04 / 2016
मामला संख्या	एसटी / 30237 / 2016
आक्षेप संख्या	वीएसपी–ईएक्ससीयूएस–001–सीओएम––042–15–16
अंतिम सुनवाई की तारीख	11–11–1111

</td><td>

1. सेवाओं जैसे डब्ल्यूसीएस, लीगल और रेंट ए कैब सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर का भुगतान न करने के लिए एससीएन नंबर वी / 15 / 209 / 2014–एडजंक्शन प्राप्त हुआ।
2. विभाग द्वारा मूल आदेश संख्या वीएसपी–एक्सकस–001–कॉम–042–15–16दिनांक 18.01.2016 पारित किया गया।
3. मूल आदेश के खिलाफ वीपीए द्वारा 22. 04.2016 को अपील संख्या एसटी / 30237 / 2016 दायर की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

</td></tr>
<tr><td>9</td><td>

अपीलकर्ता का नाम	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
प्रतिवादी का नाम	विशाखापत्तनम– जीएसटी
शामिल मुद्दे	प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती
जारी करने की अवधि	जुलाईश2012– सितंबरश2013
शामिल राशि	9,92,419
डायरी संख्याध्वर्ष	30676 / 2018
दायर करने की तिथि	15 / 06 / 2018
मामला संख्या	एसटी / 30648 / 2018
आक्षेप संख्या	विज–ईएक्ससीयूएस –001–एपीपी –246–17–18
अंतिम सुनवाई की तारीख	11–11–1111

</td><td>

1. प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती के लिए एससीएन संख्या वी / 15 / 237 / 2014 दिनांक 13 / 3 / 2015 प्राप्त हुई।
2. अपील संख्या विज–ईएक्ससीयूएस–001–एपीपी–246–17–18 दिनांक 26.02. 2018 में विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया।
3. मूल आदेश के विरुद्ध 15 / 06 / 2018 को अपील संख्या एसटी / 30648 / 2018 दायर की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td>10</td><td>
<table>
<tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम– जीएसटी</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>बर्थ निर्माण पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>2015–2017</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>9,35,50,900</td></tr>
<tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>30094 / 2024</td></tr>
<tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>02 / 02 / 2024</td></tr>
<tr><td>मामला संख्या</td><td>अभी तक सौंपा नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>वीएसपी– ईएक्ससीयूएस –सीओएम –014–23–24</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>लागू नहीं है ।</td></tr>
</table>
</td><td>
1. बर्थ के निर्माण पर सेनवैट क्रेडिट के लाभ के विरुद्ध एससीएन संख्या 01 / 2022 दिनांक 19.04.2022 प्राप्त हुई।
2. विभाग द्वारा मूल आदेश संख्या वीएसपी–ईक्ससीयूएस–सीओएम–014–23–24 दिनांक 31.10.2023 पारित किया गया।
3. 02.02.2024 को अपील दायर की गई। अपील संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>
<table>
<tr><td>अपीलकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>विशाखापत्तनम– जीएसटी</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>सेवा कर का कम भुगतान</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>2005–2007</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>2,49,12,861</td></tr>
<tr><td>डायरी संख्याध्वर्ष</td><td>30095 / 2024</td></tr>
<tr><td>दायर करने की तिथि</td><td>02 / 02 / 2024</td></tr>
<tr><td>मामला संख्या</td><td>अभी तक सौंपा नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>आक्षेप संख्या</td><td>वीएसपी– ईएक्ससीयूएस –सीओएम 013–23–24</td></tr>
</table>
</td><td>
1. सेवा कर के कम भुगतान के विरुद्ध एससीएन संख्या वी / 15 / 129 / 2010–एडज दिनांक 29.09.2010 प्राप्त हुई।
2. विभाग द्वारा मूल आदेश संख्या वीएसपी –ईक्ससीयूएस–सीओएम –013–23–24 दिनांक 31.10.2023 पारित किया गया।
3. दि. 02.02.2024 को अपील दायर की गई। अपील संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई।
4. सुनवाई की नवीनतम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है
</td></tr>
</table>

वीपीए उच्च न्यायालय के मामले

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><td>केस का प्रकार/संख्या/वर्ष</td><td>सीईए /05/2020</td></tr>
<tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /497/2008</td></tr>
<tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2002– मार्च 2007</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>18,35,40,762</td></tr>
<tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>01–10–2019</td></tr>
<tr><td>सीएनआर संख्या</td><td>एपीएचसीओ 1–033286–2019</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>27–02–2025</td></tr>
<tr><td>नवीनतम सुनवाई तिथि</td><td>अगली तारीख नहीं दी गई है</td></tr>
</table>
</td><td>
1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा एससीएन संख्या वी/15/152/ 2007–एडीजे दिनांक 22.07.2008 प्राप्त की गई।
2. अपील संख्या 05–08 दिनांक 22.07.2008 में विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया।
3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध 14.10. 2008 को अपील संख्या एसटी/497/ 2008 दायर की गई।
4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी /497/2008 के विरुद्ध अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/2019 दिनांक 14.03.2019 पारित किया गया।
5. अंतिम आदेश के विरुद्ध वीपीए ने 01–10–2019 को अपील संख्या सीईए /05/2020 दायर की।
6. अपील की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी।
7. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
<table>
<tr><td>केस का प्रकार/संख्या/वर्ष</td><td>सीईए /06/2020</td></tr>
<tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /22285/2015</td></tr>
<tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2012 से मार्च 2013</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>1,71,42,054</td></tr>
<tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>01–10–2019</td></tr>
<tr><td>सीएनआर संख्या
अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>एपीएचसीओ 1–033289–2019
21–10–2024</td></tr>
<tr><td>स्थिति</td><td>निपटान</td></tr>
</table>
</td><td>
1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा दिनांक 09/05/2014 को एससीएन संख्या वी/15/21/2014 एडज प्राप्त हुआ।
2. विभाग द्वारा मूल संख्या विआईजेड –एसटीएक्स–001–सीओएम– 009–15–16 दिनांक 31.07.2015 में एक आदेश जारी किया गया था।
3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध दिनांक 16.11.2015 को अपील संख्या एसटी/ 22285/2015 दायर की गई थी।
4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी/22285/2015 के विरुद्ध दिनांक 14. 03.2019 को अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/2019 पारित किया गया था।
5. अंतिम आदेश के खिलाफ, वीपीए ने 01–10–2019 को अपील संख्या सीईए/06/2020 दायर की।
6. अपील की नवीनतम सुनवाई
</td></tr>
</table>

क्र.सं.	विवरण	अपील की स्थिति
3	<table><tr><td>केस का प्रकारध्संख्याध्वर्ष</td><td>सीईए /07/2020</td></tr><tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /30322/2017</td></tr><tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr><tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त</td></tr><tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना</td></tr><tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2014– मार्च 2015</td></tr><tr><td>शामिल राशि</td><td>4,07,64,041</td></tr><tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>01–10–2019</td></tr><tr><td>सीएनआर संख्या</td><td>एपीएचसीओ 1–033277–2019</td></tr><tr><td>अंतिम सुनवाई की तारीख</td><td>27–02–2025</td></tr><tr><td>नवीनतम सुनवाई तिथि</td><td>अगली तारीख नहीं दी गई है</td></tr><tr><td>अंतिम सुनवाई तिथि</td><td>27–02–2025</td></tr><tr><td>नवीनतम सुनवाई तिथि</td><td>अगली तारीख नहीं दी गई है</td></tr></table>	1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा दिनांक 18.04.2016 को एससीएन संख्या वी/15 /51/2016 प्राप्त हुई। 2. विभाग द्वारा मूल संख्या वीएसपी–ईएक्ससीयूएस–001–सीओएम –022–16–17 दिनांक 05.12.2016 में एक आदेश जारी किया गया था। 3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध दिनांक 10.03. 2017 को अपील संख्या एसटी/30322 /2017 दायर की गई थी। 4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी/ 30322/2017 के विरुद्ध दिनांक 14.03.2019 को अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/ 2019 पारित किया गया था। 5. अंतिम आदेश के खिलाफ, वीपीए ने 01–10–2019 को अपील संख्या सीईए/07/ 2020 दायर की। 6. अपील की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी। 7. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
4	<table><tr><td>केस का प्रकार/संख्या/वर्ष</td><td>सीईए /09/2020</td></tr><tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /20896/2014</td></tr><tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr><tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त</td></tr><tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>पूंजीगत वस्तुओं, रेल प्लेट स्लीपरों आदि पर सेनवैट क्रेडिट की पात्रता।</td></tr><tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2011– मार्च 2012</td></tr><tr><td>शामिल राशि</td><td>1,51,54,118</td></tr><tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>01–10–2019</td></tr><tr><td>सीएनआर संख्या</td><td>एपीएचसीओ 1–033288–2019</td></tr><tr><td>अंतिम सुनवाई तिथि</td><td>21–10–2024</td></tr><tr><td>स्थिति</td><td>निपटान</td></tr></table>	1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा दिनांक 22.10.2012 को एससीएन संख्या वी/15/198/2012 प्राप्त हुई। 2. विभाग द्वारा मूल संख्या वीआईजेड– एसटीएक्स –001–सीओएम–022–13 दिनांक 30.10.2013 में एक आदेश जारी किया गया था। 3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध दिनांक 14.03. 2014 को अपील संख्या एसटी/20896/2014 दायर की गई थी। 4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी/ 20896/2014 के विरुद्ध दिनांक 14.03.2019 को अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/ 2019 पारित किया गया था। 5. अंतिम आदेश के खिलाफ, वीपीए ने 01–10–2019 को अपील संख्या सीईए/09/ 2020 दायर की। 6. अपील की नवीनतम सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को हुई। 7. अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>अपील की स्थिति</th></tr>
<tr><td>5</td><td>
<table>
<tr><td>केस का प्रकारध्संख्याध्वर्ष</td><td>सीईए /10/2020</td></tr>
<tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /419/2012</td></tr>
<tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती पर सेवा कर</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2007 से सितंबर 2007</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>2,59,82,650</td></tr>
<tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>01–10–2019</td></tr>
<tr><td>सीएनआर संख्या</td><td>एपीएचसीओ 1–033287–2019</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई तिथि</td><td>27–02–2025</td></tr>
<tr><td>नवीनतम सुनवाई तिथि</td><td>अगली तारीख नहीं दी गई है</td></tr>
</table>
</td><td>
1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा एससीएन संख्या वी/15/108/2008–एडीजे दिनांक 29.11.2011 प्राप्त की गई।
2. अपील संख्या 56–2011 दिनांक 29.11.2011 में विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया।
3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध 23.02.2012 को अपील संख्या एसटी /419/2012 दायर की गई।
4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी/419/2012 के विरुद्ध अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/2019 दिनांक 14.03.2019 पारित किया गया।
5. अंतिम आदेश के विरुद्ध, वीपीए ने 01–10–2019 को अपील संख्या सीईए/ 10/2020 दायर की।
6. अपील की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी।
7. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>
<table>
<tr><td>केस का प्रकारध्संख्याध्वर्ष</td><td>सीईए 18/2020</td></tr>
<tr><td>अपील संख्या के विरुद्ध</td><td>एसटी /31039/2016</td></tr>
<tr><td>याचिकाकर्ता का नाम</td><td>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</td></tr>
<tr><td>प्रतिवादी का नाम</td><td>प्रधान आयुक्त</td></tr>
<tr><td>शामिल मुद्दे</td><td>रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना</td></tr>
<tr><td>जारी करने की अवधि</td><td>अप्रैल 2013 से मार्च 2014</td></tr>
<tr><td>शामिल राशि</td><td>7,40,50,898</td></tr>
<tr><td>दाखिल करने की तिथि</td><td>02–11–2020</td></tr>
<tr><td>सीएनआर संख्या</td><td>एपीएचसीओ 1–030581–2020</td></tr>
<tr><td>अंतिम सुनवाई तिथि</td><td>27–02–2025</td></tr>
<tr><td>नवीनतम सुनवाई तिथि</td><td>अगली तारीख नहीं दी गई है</td></tr>
</table>
</td><td>
1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा दिनांक 09.04.2015 को एससीएन संख्या वी/15/56/2015–एडज प्राप्त हुआ।
2. विभाग द्वारा मूल संख्या वीएसपी–ईएक्ससीयूएस–001–सीओएम –010–16–17 दिनांक 12.08.2016 में एक आदेश जारी किया गया था।
3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध दिनांक 16.11.2016 को अपील संख्या एसटी/31039/2016 दायर की गई थी।
4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी /31039/2016 के विरुद्ध दिनांक 14.03. 2019 को अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/2019 पारित किया गया था।
5. अंतिम आदेश के खिलाफ, वीपीए ने 02–11–2020 को अपील संख्या सीईए/18/2020 दायर की।
6. अपील की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी।
7. अगली सुनवाई की तारीख अभी तक नहीं दी गई है।
</td></tr>
</table>

क्र.सं.	विवरण	अपील की स्थिति
7	केस का प्रकारध्संख्याध्वर्ष: सीईए /19/2020 अपील संख्या के विरुद्ध: एसटी /497/2008 याचिकाकर्ता का नाम: विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट प्रतिवादी का नाम: प्रधान आयुक्त शामिल मुद्दे: रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना जारी करने की अवधि: अप्रैल 2002– मार्च 2007 शामिल राशि: 18,35,40,762 दाखिल करने की तिथि: 02–11–2020 सीएनआर संख्या: एपीएचसीओ 1–030582–2020 अंतिम सुनवाई तिथि: 27–02–2025 नवीनतम सुनवाई तिथि: अगली तारीख नहीं दी गई है	1. रॉयल्टी और विलंब शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए वीपीए द्वारा एससीएन संख्या वी/15/152/2007–एडीजे दिनांक 22.07.2008 प्राप्त की गई। 2. अपील संख्या 05–08 दिनांक 22.07.2008 में विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। 3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध 14.10.2008 को अपील संख्या एसटी/497/2008 दायर की गई। 4. सीईएसटीएटी द्वारा अपील संख्या एसटी/ 497/2008 के विरुद्ध अंतिम आदेश संख्या 30357–30362/2019 दिनांक 14.03.2019 पारित किया गया। 5. अंतिम आदेश के विरुद्ध वीपीए ने 02–11–2020 को अपील संख्या सीईए/ 19/2020 दायर की। 6. अपील की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी। 7. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

वीपीए मामले – अपील के आयुक्त

क्र.सं.	विवरण	अपील की स्थिति
1	अपीलकर्ता का नाम: विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: अधीक्षक, वीपीए जीएसटी रेंज वीपीए उपस्थिति: एसएआरसी एंड एसोसिएट्स संबंधित मुद्दे: निष्क्रिय जीएसटीआईएन के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जारी करने की अवधि: 2019–2020 आक्षेप संख्या: ओआईओ–वीएसपी– जीएसटी – एसयूपीडीटी–01/24–25 संबंधित राशि: 6,21,262 केस आईडी: एडी 371124003900 एल दाखिल करने की तिथि: 13–11–2024	1. एससीएन संख्या 2/2024–25/जीएसटी/एसयूपी दिनांक 31.05.2024 जीएसटीआर–3बी में चालान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल नहीं किए जाने पर आईटीसी का लाभ उठाने के लिए वीपीए दाखिल नहीं किया गया 2. विभाग द्वारा मूल आदेश संख्या वीएसपी–जीएसटी–/एसयूपीडीटी–01/24–25दिनांक 20/08/2024 जारी किया गया था। 3. वीपीए द्वारा व्यथित आदेश के विरुद्ध 13.11.2024 को अपील संख्या एडी 371124003900 एल दायर की गई थी। 4. अपील की नवीनतम सुनवाई 27 फरवरी 2025 को हुई थी। 5. अभी तक सुनवाई के लिए पोस्ट नहीं किया गया है।

8. निम्न मदों में आकस्मिक दायित्व शामिल है : (रूपये करोड़ों में)

क)	पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ दावा के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमें	630.24
बी)	एनआईटीआई आयोजन के मार्गदर्शन के अनुसार आकस्मित देयता खाते पर 75% रकम का भुगतान न करने के कारण मेसर्स एवीआर इंफ्रा प्राईवेट लिमिटेड पीपीपी प्रचालक द्वारा उत्पदन न होने के कारण आवश्यक कागजात जैसे बीसी और एसक्रो खाता खोला ।	16.23
ग)	वर्ष 86–87 से 98–99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावें	27.98
	कुल :	674.45

9. उपरोक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एसईडब्ल्यू दृ वैजाग कोल टर्मिनल ने रिआयत करारनामे समाप्त करने के विरूद्ध रू. 1685.74 करोड़ के लिए दावा फाईल किया और वीपीटी ने भी मेसर्स एसईडब्ल्यू – वैजाग कोल टर्मिनल प्रा. लि., के विरूद्ध ईक्यू–1 पूरा नहीं करने के कारण रू. 2951.24 करोड़ राजस्व का घाटा का काऊंटर फाईल किया ।

10. पेंशन निधि, उपदान निधि और भविष्य निधि के लिए अलग ट्रस्ट खाते का अनुरक्षण किए गए हैं ।ग्रूप छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं है लेकिन जीएलईएस के लिएअलग से निधि रखा जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान छुट्टी नकदीकरण का भुगतान राजस्व के नामे डाला गया है और 31.03.2025 को छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन रु. 123.18 करोड़ और यह पूरी तरह से वित्त पोषित है ।

11. बीमांकिक दायित्व, सृजित / अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.03.2025 को पेंशन, उपदान एवं जीएलईएस निधियों की स्थिति		
विवरण	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट
बीमांकिक मूल्यांकन (ए) के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी	5761.48	272.15
दिनांक 31.3.2024 के अंत तक उपलब्ध निधि	5653.78	187.69
वर्ष 2024–25 के दौरान की गई निवेश	58.85	21.54
वर्ष 2024–25 के दौरान अर्जित ब्याज	423.55	13.58
वर्ष 2024–25 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	0	––26.58
घटाएँ: मूल्यांकन के अनुसार अंतर	0	0
दिनांक 31.3.2025 के अंत तक की गई कुल निवेश (बी)	6136.18	196.22
निधियों में (शार्टफॉल) / अधिकतम (बी–ए)	374.70	–75.93

12. एलआईसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई लाइफ़ से कुछ पेंशनभोगियों के लिए खरीदी गई वार्षिकियाँ समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में कमी की भरपाई भविष्य में अधिशेष निधि की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

13. मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र बिलिमोरिया रिपोर्ट) के अनुसार परीक्षण शेष सेप में उत्पादन होता है और वित्तीय ब्यौरा एक्सेल में तैयार किए जाते हैं, लाभ एवं हानी खाता और तुलनपत्र दोनों अनुसूची के साथ एसएपी में उपलब्ध नहीं है ।

14. वर्ष 2024–25 के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीएलआर का प्रावधान रू. 3.84 करोड़ का है।

15. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्रप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राध्किारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया ।

16. सभी विविध देनदारों को अच्छा समझा जाता है और बुरे ॠणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और इसके लिए मंत्रालय से एक समान नीति की प्रतीक्षा कर रहा है ।

17. वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि आय या व्यय एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वित्त, और विविध आय या व्यय के अंतर्गत शामिल है ।

18. मंत्रालय के पत्र सं.25021/1/2011–पीडी–प्, दिनांक 02–12–2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रू. 14.49 करोड कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सृजित किया गया है ।

19. बिन काड्स के साथ स्टोर्स प्राईज़ड लेड्जरों की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए ।

20. जहॉ चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहॉ पिछले वर्ष के आंकडों को पीग्रूप किया गया है ।

21. डीबीएफओटी के आधार पर ड्राई बल्क कार्गो संभलाई के लिए आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी आर्म में वेस्ट्रन क्वे दृ 6 (डब्ल्यूक्यू–6) घाट को मेसर्स वेस्ट क्वे मल्टि पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कियागया था जो रिआयत करारनामे (जुलाई 2010) के अनुसार 30 वर्ष की अवधि (2 वर्ष निर्माण सहित) के लिए वैध था, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 116.50 करोड़ रुपये के ऋण के साथ वित्तपोषित किया गया था। 3 वर्ष 10 महीने तक बर्थ का संचालन करने के बाद, कंसेशनेयर ने मार्च 2019 में परिचालन निलंबित कर दिया और रॉयल्टी भुगतान (नवंबर 2017–फरवरी 2019) में चूक की। बार–बार परामर्श और विस्तार के बावजूद, न तो रियायतग्राही और न ही ऋणदाताओं ने अपने दायित्वों को पूरा किया। वीपीए ने 31.05.2020 को परियोजना को समाप्त कर दिया, 08.02.2021 को साइट का अधिग्रहण कर लिया और परिचालन फिर से शुरू कर दिया।

    बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिनांक 22.04.2024 अपने के पत्र के माध्यम से, ब्याज, हर्जाना और मध्यस्थता लागत सहित बकाया ऋण 419.87 करोड़ की राशि के लिए दावा करते हुए मध्यस्थता का आह्वान किया है। उक्त कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ज्ञापन दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि वीपीए केवल एक प्रोफार्मा पक्ष है और उससे कोई राहत नहीं मांगी गई है। उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने वीपीए के विरुद्ध दावा खारिज कर दिया। यह वही दावा है जो डीआरटी के समक्ष खारिज हो गया था,

जिसका दावा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया गया था और जिसके लिए ऊपर बताए अनुसार मध्यस्थता का आह्वान किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वीपीए ने मौजूदा डब्ल्यूक्यू–6 बर्थ के पुनरुद्धार के लिए पीपीपी मोड पर आईसीटीपीएल (इंटीग्रल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड) को बर्थ प्रदान किया है, जिसका विधिवत खुलासा रियायत समझौते के भाग के रूप में एक अलग अनुलग्नक में किया गया है।

24. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्ध्य स्घ्पष्टीकरण ।

क्र.सं.	विवरण	2024–25	2023–24	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा ।	शून्य	शून्य	शून्य जब इसे अनुपयुक्त समझा जाता तब परिसंपत्तियों को निपटान किया जाता था और संबंधित वर्षों में बिक्री पद्धति राजस्व में बुक / चार्ज की जाती है ।
2.	वित्तीय वर्ष (रूपया करोड़ों में) को समाप्त होने के लिए पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई।	468.78	342.27	वीपीए की नीति के अनुसार वास्तविक के आधार पर राजस्व को पहचानते हुए, मार्च 2024–25 के अंत तक प्रक्कलित पूँजीगत व्यय 31–03–2025 के अंत तक प्रावधान किया गया।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी।	674.45	674.48	
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य; भंडारण एवं पुर्जें, पूँजी वस्तु / पुर्जें (रूपये करोडों में)	1.60	3.45	
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय ।	1.60	3.45	
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जों का : सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय (रूपये करोड़ों में)	4.57	5.37	

क्र.सं.	विवरण	2024—25	2023—24	टिप्पणी
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत शून्य	शून्य	शून्य	
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य	
11.	वीपीए की कुल क्षमता (मिलियन टन	136.39	136.39	
12.	वर्ष के दौरान संचालित जहाजों की वास्तविक संख्या (संख्या	2110	2225	
13.	वर्ष के दौरान संचालित टन भार (मिलियन टन)	82.62	81.09	
14.	सीएचडी सहित वर्गवार कर्मचारियों की संख्या (संख्या) इस प्रकार हैः	सीएचडी वीपीटी श्रेणी I 0 96 श्रेणी II 0 77 श्रेणी III 28 1202 श्रेणी IV 402 437 कुल 430 1812	सीएचडी वीपीटी श्रेणी I 1 92 श्रेणी II 0 96 श्रेणी III 28 1266 श्रेणी IV 419 486 कुल 447 1940	

ह/—
वि.स.एवं मु.ले.अ. वीपीए

ह/—
अध्यक्ष

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

विचार

हमने नियंत्रक एलं लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम , 1971 की धारा 19 (2) के साथ महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 2021 की धारा 44 के तरहत 31 मार्च 2025 तक विशाखापत्तनम पोर्ट की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर ऑडिट टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है

हमारी राय में विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के साथ संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर नोट्स और अलग–अलग ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़ें, जो 31 मार्च, 2025 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। , और (का) इसका वित्तीय प्रदर्शन और वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण पर लागू प्रारूप के अनुसार उस समय समाप्त वर्ष के लिए उसके वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देती है ।

विचार का आधार

हमने सीएजी के लेखा परीक्षा विनियम/मानक/मैनुअल/दिशानिर्देश/मार्गदर्शन–नोट/आदेश/परिपत्र आदि के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन किया गया है। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण का शासी निकाय भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए क्योंकि प्रबंधन वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम करने के लिए आवश्यक निर्धारित करता है जो भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो ।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें सीएजी के लेखा परीक्षा विनियम/मानक/मैनुअल/दिशानिर्देश/मार्गदर्शन–नोट/आदेश/परिपत्र आदि के अनुसार हमारी राय शामिल है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

स्थानः हैदराबाद **(वी. एम. वी. नवल किशोर)**
दिनांकः 03 दिसंबर 2025 **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक**

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ए. तुलन पत्र

टिप्पणी ए.1

निधियों का उपयोग

फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स (अनुसुची **2.1) (नेट ब्लॉक)रू 2347.11 करोड़**

(i) वीपीए ने 1 अप्रैल 2022 को 75 वर्षों के लिए रू 155.00 करोड़ की राशि के साथ ईस्ट क्वो–1 (ईक्यू–1) बर्थ को पूंजीकृत किया और 31 मार्च 2025 तक रू 6.20 करोड़ का मूल्यह्रास किया। रू 155.00 करोड़ के परिसंपत्ति ब्लॉक में 40 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ सिविल कार्य, 20 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ यांत्रिक उपकरण लागत और 75 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ बर्थ सुविधाएं शामिल थीं। टीएएमपी ने परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर अग्रिम टैरिफ तय किया है जिसमें नागरिक लागत, उपकरण लागत और बर्थ सुविधाओं की लागत शामिल है। परियोजना की लागत 316.04 करोड़ रुपये है, जिसमें सिविल लागत 13.57 करोड़ रुपये (4.29 प्रतिशत) है, उपकरण लागत 241.36 करोड़ रुपये (76.37 प्रतिशत) है और बर्थिंग सेवा लागत 61.11 करोड़ रुपये (19.34 प्रतिशत) है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीपीए ने घटककरण के बिना पूरे परिसंपत्ति ब्लॉक के लिए 75 वर्ष के उपयोगी जीवन पर विचार किया। इसके अलावा, ईक्यू –1 बर्थ ने अक्टूबर 2014 के महीने में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया और परियोजना को सौंपते समय 7.5 साल पूरे किए। 31 मार्च 2022 तक। इसलिए, अचल संपत्ति का पूंजीकरण करते समय शेष उपयोगी जीवन पर विचार करने के लिए वीपीए की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने सिविल कार्यों, उपकरण लागत और बर्थ सुविधाओं के लिए रू 155.00 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए टीएएमपी के समान सिद्धांत को लागू किया, जो क्रमशः रू 6.66 करोड़, 118.37 करोड़ और रू 29.97 करोड़ आता है। मूल्यह्रास दरों को लागू करके, 31 मार्च 2025 तक रू 30.36 करोड़ का मूल्यह्रास प्रदान किया जाना चाहिए था। हालांकि, वीपीए ने रू 6.20 करोड़ का मूल्यह्रास प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप शफिक्स्ड एसेट्स (नेट ब्लॉक)श का ओवरस्टेटमेंट और मूल्यह्रास का कम विवरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स से पहले लाभ का प्रत्येक 24.16 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से वीपीए को इस मुद्दे के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, वीपीए द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ii) ओआर–I और ओआर–II बर्थ की क्षमता उपयोग में सुधार के हिस्से के रूप में 31 मार्च 2025 को रू 3.63 करोड़ के शुद्ध ब्लॉक के साथ ओआर–I और ओआर–II बर्थ की पुरानी एकाश्मक संरचना को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि, रू 3.63 करोड़ का परिसंपत्ति मूल्य अचल संपत्तियों में इसे मान्यता

दिए बिना दिखाया जाना जारी रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप श्फिक्स्ड एसेट्स (नेट ब्लॉक)श का ओवरस्टेटमेंट और श्अन्य खर्चोंश का अंडरस्टेटमेंट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप श्टैक्स से पहले लाभश में प्रत्येक रू 3.63 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ।

टिप्पणी ए.2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर (अनुसूची 2.1)रू 406.07 रू करोड़

ष्वीपीए ने ष्ओआर–I और ओआर–II बर्थ के क्षमता उपयोग में सुधारष् शुरू किया है। चरण–I और II कार्य चालू किए गए थे और वाणिज्यिक संचालन क्रमशः 20 जनवरी 2021 और मई 2023 से शुरू किए गए थे। चरण–I के लिए किया गया व्यय रू 43.75 करोड़ था और चरण–II के लिए रू 59.66 करोड़ था जिसे पूंजीगत कार्य–प्रगति के तहत दिखाया जाता रहा। इसके परिणामस्वरूप 98.90 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (नेट ब्लॉक) का कम विवरण, 4.51 करोड़ रुपये की मूल्यह्रास का कम विवरण और 103.41 करोड़ रुपये की पूंजीगत कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) का अधिक विवरण हुआ है। नतीजतन, कर से पहले लाभ रू 4.51 करोड़ से अधिक हो गया था।

टिप्पणी ए.3

वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विविध देनदार (अनुसूची 2.3)रू 420.00 रू करोड़

उपरोक्त में 31 मार्च 2025 को रू 237.97 करोड़ (रू 420.00 करोड़ के कुल बकाया का 56.66 प्रतिशत) की राशि शामिल है, जो पांच साल से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। इसके परिणामस्वरूप श्अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (अनुसूची आर.11) और रू 237.97 करोड़ प्रत्येक द्वारा लाभ का अधिक विवरण हुआ है।

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के लिए वीपीए के वार्षिक खातों पर समान टिप्पणियां जारी किए जाने के बावजूद, वीपीए द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

ए) लाभ और हानि खाता – शून्य

बी) रसीदें और भुगतान खाता – शून्य

सी) प्राप्तियां और भुगतान खाता – शून्य

डी) लेखांकन नीतियां – शून्य

इ) सामान्य

टिप्पणी ई.1

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण ने इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रभावी करने के लिए अपने वार्षिक खातों को संशोधित किया। नतीजतन ।

क) कर से पहले लाभ में रू 10.99 करोड़ की कमी आई अर्थात रू 1,007.17 करोड़ से रू 996.18 करोड़ तक।

बी) कर के बाद लाभ में रू 9.75 करोड़ की कमी आई अर्थात रू 685.16 करोड़ से रू 675.41 करोड़ तक।

टिप्पणी इ .2

खातों के नोट्स के नोट नंबर 11 में 31 मार्च 2025 को रू 5,761.53 करोड़ की बीमांकिक देयता (रू 572.31 करोड़ की वार्षिकी सहित) के मुकाबले पेंशन फंड ट्रस्ट में उपलब्ध रू 6,136.18 करोड़ की राशि दिखाई गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रू 572.31 करोड़ की वार्षिकी में किए गए निवेश के लिए पुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं। लेखापरीक्षा सहायक दस्तावेजों के अभाव में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट में रू 572.31 करोड़ के निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान जारी टिप्पणियों के बावजूद, प्रबंधन 2024–25 के दौरान पुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सका।

टिप्पणी ई.3

वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान

प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड (अनुसूची 2.4) रू 30.10 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, उपदान के लिए रू 272.15 करोड़ की आवश्यकता थी। हालांकि, वीपीए ने 31 मार्च 2025 तक उपरोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए रू 196.22 करोड़ की राशि का बंटवारा किया और ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में राशि का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में निवेश के लिए रू 75.93 करोड़ की कमी आई है। इसके अलावा, एएस–15 के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण वीपीए द्वारा उनके खातों में नहीं दिए गए थे।

टिप्पणी ई.4

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों पर शिपिंग मंत्रालय (पत्र संख्या पीआर–20021/2/98–पीजी दिनांक 06 नवंबर 2002 के माध्यम से) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का गैर–अनुपालन देखा।

- विविध देनदारों का आयुवार विश्लेषण,
- खराब और संदिग्ध ऋणों और पुरानी इन्वेंट्री के लिए प्रावधान,
- विविध देनदारों में ऋण और अग्रिम शामिल करना
- सरकारी बकाया राशि और गैर–सरकारी बकाया का अलग से खुलासा करना

पिछले वर्षों में प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

टिप्पणी ई.5

ग्राहकों से प्राप्य देय राशि का गैर–समाधान

मत्स्य बंदरगाह बकाया (अनुसूची 2.3) रू 14.21 करोड़

(i) उपरोक्त में 2002–03 से 2019–20 तक सरकारी और निजी ग्राहकों से बकाया रू 10.91 करोड़ की राशि शामिल है जैसा कि नीचे दिया गया है ।

(करोड़ रुपये में)

पार्टियाँ	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	31.03.2025 तक समापन शेष
सरकार	13,73,89,931	2,84,78,915	10,89,11,016
प्राइवेट	2,73,034	13,236	2,59,708
कुल	13,76,62,965	2,84,92,151	10,91,70,724

(ii) उपरोक्त में सरकारी ग्राहकों से प्राप्य 3.80 करोड़ की राशि शामिल है ।

(करोड़ रुपये में)

पार्टियाँ	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	31.03.2025 तक समापन शेष
सरकार	17,07,26,786	13,27,41,454	3,79,85,332

(iii) नीचे दिए गए विविध देनदारों की समीक्षा पर, यह देखा गया कि ग्राहकों की नकारात्मक शेष राशि 232.78 करोड़ के रूप में है ।

(राशि रू में)

क्रम संख्या	बकाया राशि का नाम	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	कुल
1	कार्गो से संबंधित शुल्क	43,12,99,520	–25,88,73,415	17,24,26,105
2	जहाजों से संबंधित शुल्क	1,09,26,130	–52,26,927	56,99,203
3	संपत्ति किराये	2,94,19,41,963	–21,63,15,316	2,72,56,26,647
4	मत्सय बंदरगाह	17,56,48,207	–2,84,92,152	14,71,56,055
5	पानी और बिजली शुल्क	1,62,26,04,004	–74,58,83,843	87,67,20,161

6	विलंब शुल्क और अन्य विविध शुल्क	4,40,44,529	–11,70,627	4,28,73,902
7	रेलवे टर्मिनल और अन्य शुल्क	1,43,19,41,244	–1,07,18,76,623	36,00,64,621
	कुल	6,65,84,05,597	–2,32,78,38,903	4,33,05,66,694

नकारात्मक ग्राहक शेष को कम करने/समाप्त करने के लिए ग्राहक वार शेष राशि के समाधान के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

टिप्पणी ई.6

नकदी और बैंक बैलेंस

चालू/बचत बैंक खातों में (अनुसूची 2.3) रू 23.71 करोड़

(i) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक समाधान विवरण (वीपीए) की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

(करोड़ रुपये में)

असंगति की प्रकृति	मात्रा
बैंक खातों में जमा/प्राप्त राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में हिसाब नहीं है।	73.76
बैंक खातों से डेबिट/भुगतान की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में हिसाब नहीं है।	12.63
वास्तव में बैंक खातों में जमा / प्राप्त नहीं की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में प्राप्त के रूप में दिखाई गई है।	29.89
बैंक खातों से डेबिट / भुगतान नहीं की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में भुगतान के रूप में दिखाई गई है।	20.79

(i) इसके अलावा, बैंक समाधान विवरण की समीक्षा करते समय, यह पाया जाता है कि, तीन (3) एसबीआई पोर्ट शाखा खातों का संचयी नकद और बैंक शेष (अर्थात सं 10723861806, 10723859116, 30387186900) को रू 35,99,515 के रूप में दिखाया गया है। जांच करते समय, यह पाया गया कि उपरोक्त तीन खातों की वास्तविक नकदी और बैंक शेष रू –2,37,62,316 थे।

(ii) उपरोक्त राशियों को वीपीए द्वारा मिलान करने की आवश्यकता है।

एफ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

जी. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(प) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। अनुपालन के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से देनदारों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत/बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिसे विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है। एसएआर में पहले से बताए गए मुद्दों के अलावा कुछ प्रमुख मुद्दें इस प्रकार हैं ।

- सभी पोर्ट उपयोगकर्ता वीपीए के साथ अपने परिक्रामी जमा खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखेंगे। वीपीए में रखे गए कुल 1,831 जमा खातों में से, 612 ग्राहक अपेक्षित न्यूनतम शेष राशि बनाए रख रहे हैं और 1,219 ग्राहक न्यूनतम शेष राशि नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा, 258 जमा ग्राहकों के मुकाबले 99.32 करोड़ रुपये की नकारात्मक शेष राशि परिलक्षित हो रही है। यह निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता को इंगित करता है।

- आयकर विभाग के विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष आकलन वर्ष 2017–18 से 2023–24 (निर्धारण वर्ष 2018–19 को छोड़कर) के लिए आयकर (आईटी) मूल्यांकन आदेश लंबित हैं। प्रबंधन को लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

  (नोटरू आईटी अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, वीपीए स्रोत पर अग्रिम कर और कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करता है (जिसके लिए वीपीए को ग्राहक द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में फॉर्म 26 के अनुसार क्रेडिट मिलता है) आयकर अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिमों से आईटी अधिकारियों से रिफंड प्राप्त करने के लिए, वीपीए लागू कर मूल्यांकन के साथ हर साल रिटर्न दाखिल करता है। हालांकि, नि.व. 2009–10 से नि.व. 2024–25 तक आईटीआर में वीपीए द्वारा जमा की गई राशि के गैर–समायोजन के कारण, वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में रू 1,645.89 करोड़ और वर्तमान देयता के रूप में रू 1,445.00 करोड़ की राशि दिखाई दे रही थी और यह वीपीए के वर्तमान अनुपात को बढ़ा रहा है।

- वर्ष 2024–25 के दौरान, मूल्यांकन वर्ष 2009–10 से 2016–17 और 2018–19 के लिए अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) और वीपीए द्वारा दायर रिटर्न के अनुपालन में आईटी विभाग द्वारा स्वीकार की गई कर देयता में अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि, उन वर्षों के लिए बनाए गए अग्रिमों और प्रावधानों को बैलेंस शीट में समायोजित नहीं किया गया था।

- वीपीए के पास एसएपी में देनदारों की उम्र बढ़ने के लिए कोई मानक रिपोर्ट नहीं है। वित्त विभाग ने 2024–25 के लिए एसएपी डेटा डाउनलोड किया है और एजिंग स्टेटमेंट के शुरुआती शेष में जोड़ा है, जो मैन्युअल रूप से किया जाता है।

- आंतरिक लेखा परीक्षक ने बताया कि वित्तीय प्रणाली में बैंक डेबिट और क्रेडिट दर्ज करने में विफलता के परिणामस्वरूप वीपीए के वित्तीय रिकॉर्ड में विसंगतियां हो सकती हैं। यह नकदी

प्रवाह ट्रैकिंग, सुलह प्रक्रिया और वित्तीय संचालन की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। यह आंतरिक नियंत्रण और निर्णय लेने की दक्षता को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया गया था ताकि उन छोटी त्रुटियों की पहचान और सुधार किया जा सके जो लेनदेन पर लागू छूट वाली राशि के बजाय गैर–छूट वाली राशियों पर जीएसटी की गणना करती हैं।

- वीपीए के मंडल के अनुमोदन के बिना आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए के आंतरिक लेखा परीक्षक को विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के मंडल के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था जो महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियम के उल्लंघन में है। इसके अलावा, क्यू 3 और क्यू 4 रिपोर्ट सत्यापन के लिए ऑडिट को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण (वीपीए) की आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स को सौंपी गई (13 मार्च 2023)। राव एंड कुमार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए और इसे दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षक ने 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए एफए एंड सीएओ/वीपीए को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश में ड्राफ्ट लाभ और हानि खाते, तुलनपत्र, अनुसूची, खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के सत्यापन सहित विभिन्न जांच का प्रावधान है, कमियां अभी भी बनी हुई हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सी एंड एएमपी; एजी ने वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान 67 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इंगित किया, जिनमें से वीपीए के प्रबंधन ने 40 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित कीं। यह आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के और सुधार और प्रभावशीलता की आवश्यकता को इंगित करता है।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वीपीए अचल संपत्तियों का वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन करता है। 2023 में देय अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 25 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि रू 50.61 करोड़ मूल्य की 12 संपत्तियां 2018 की रिपोर्ट के साथ–साथ 2023 की रिपोर्ट में भी उपलब्ध नहीं थीं। चूंकि ये परिसंपत्तियां मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्रबंधन को उन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि, वीपीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में दिखाया जाना जारी है।

(iv) इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन वीपीए द्वारा और आंतरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से नियमित अंतराल पर किया जाता है। वर्ष 2024–25 के लिए सामान्य दुकानों को छोड़कर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पोर्ट प्राधिकरण ने एसएआर में बताए गए मुद्दों को छोड़कर नियत तारीखों के भीतर संबंधित संगठनों को वैधानिक भुगतान भेज दिया है।

एच. सहायता अनुदान – शून्य

आई. प्रतिक्रिया की कमी – शून्य

(वि,एम,नी, नावल किशोर)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों पर कार्रवाई नोट्स

ए. तुलन पत्र

टिप्पणी ए.1

निधियों का उपयोग

फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स (अनुसुची **2.1**) **(नेट ब्लॉक) रू 2347.11 करोड़**

(i) वीपीए ने 1 अप्रैल 2022 को 75 वर्षों के लिए रू 155.00 करोड़ की राशि के साथ ईस्ट क्वोय–1 (ईक्यू–1) बर्थ को पूंजीकृत किया और 31 मार्च 2025 तक रू 6.20 करोड़ का मूल्यह्रास किया। रू 155.00 करोड़ के परिसंपत्ति ब्लॉक में 40 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ सिविल कार्य, 20 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ यांत्रिक उपकरण लागत और 75 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ बर्थ सुविधाएं शामिल थीं। टीएएमपी ने परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर अग्रिम टैरिफ तय किया है जिसमें नागरिक लागत, उपकरण लागत और बर्थ सुविधाओं की लागत शामिल है। परियोजना की लागत 316.04 करोड़ रुपये है, जिसमें सिविल लागत 13.57 करोड़ रुपये (4.29 प्रतिशत) है, उपकरण लागत 241.36 करोड़ रुपये (76.37 प्रतिशत) है और बर्थिंग सेवा लागत 61.11 करोड़ रुपये (19.34 प्रतिशत) है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीपीए ने घटककरण के बिना पूरे परिसंपत्ति ब्लॉक के लिए 75 वर्ष के उपयोगी जीवन पर विचार किया। इसके अलावा, ईक्यू –1 बर्थ ने अक्टूबर 2014 के महीने में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया और परियोजना को सौंपते समय 7.5 साल पूरे किए। 31 मार्च 2022 तक। इसलिए, अचल संपत्ति का पूंजीकरण करते समय शेष उपयोगी जीवन पर विचार करने के लिए वीपीए की आवश्यकता थी।

(i) यह कहा गया था कि ईक्यू–1ए बर्थ के लिए कुल परियोजना लागत 316.04 करोड़ रुपये थी, जिसमें सिविल और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं। इस संबंध में, यह बताना है कि इस परियोजना को समग्र रूप से देखा जाना है, लेकिन आंशिक रूप से या यांत्रिक आदि नहीं। जब भी किसी मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो परियोजना को समग्र रूप से सुनिश्चित करने के लिए इसे लिया जाएगा। इसके अलावा कन्वेयर आदि जैसे उपकरण। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिस्थापित किया जाना है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के लिए मदवार मूल्यह्रास पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए परियोजना के जीवन को ध्यान में रखते हुए, जो बर्थ से जुड़ा हुआ है जिसके आधार पर परियोजना जीवन निर्धारित किया जाता है। इसलिए परियोजना को समग्र रूप से देखते हुए मूल्यह्रास चार्ज करना घाट वार चार्ज करने की तुलना में अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक है।

लेखापरीक्षा ने सिविल कार्यों, उपकरण लागत और बर्थ सुविधाओं के लिए रू 155.00 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए टीएएमपी के समान सिद्धांत को लागू किया, जो क्रमशः रू 6.66 करोड़, 118.37 करोड़ और रू 29.97 करोड़ आता है। मूल्यह्रास दरों को लागू करके, 31 मार्च 2025 तक रू 30.36 करोड़ का मूल्यह्रास प्रदान किया जाना चाहिए था। हालांकि, वीपीए ने रू 6.20 करोड़ का मूल्यह्रास प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप शफिक्स्ड एसेट्स (नेट ब्लॉक)श का ओवरस्टेटमेंट और मूल्यह्रास का कम विवरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स से पहले लाभ का प्रत्येक 24.16 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से वीपीए को इस मुद्दे के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, वीपीए द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ii) ओआर–I और ओआर–II बर्थ की क्षमता उपयोग में सुधार के हिस्से के रूप में 31 मार्च 2025 को रू 3.63 करोड़ के शुद्ध ब्लॉक के साथ ओआर–I और ओआर–II बर्थ की पुरानी एकाश्मक संरचना को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि, रू 3.63 करोड़ का परिसंपत्ति मूल्य अचल संपत्तियों में इसे मान्यता दिए बिना दिखाया जाना जारी रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप शफिक्स्ड एसेट्स (नेट ब्लॉक)श का ओवरस्टेटमेंट और श्अन्य खर्चोंश का अंडरस्टेटमेंट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप श्टैक्स से पहले लाभश में प्रत्येक रू 3.63 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ।

टिप्पणी ए.2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर (अनुसूची 2.1)रू 406.07 रू करोड़

ष्वीपीए ने ष्ओआर–I और ओआर–II बर्थ के क्षमता उपयोग में सुधारष् शुरू किया है। चरण–I और II

(i) उद्धृत लेखापरीक्षा अवलोकन के संदर्भ में, यह बताना है कि पुरानी तेल बर्थ संरचना का विध्वंस ष्ओआर–प् और ओआर–प्प् बर्थ के क्षमता उपयोग में सुधारष् कार्य के हिस्से के रूप में किया गया था। संविदात्मक व्यवस्था के अनुसार, पुरानी एकाश्मक प्रकार की बर्थ संरचनाओं के विध्वंस को उठाया जाना है और बढ़ी हुई हैंडलिंग क्षमता वाली एक नई बर्थ संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जाना है। विषय परियोजना के पूरा होने पर विघटित बर्थ से संबंधित 3.63 करोड़ रुपये के अवशिष्ट शुद्ध ब्लॉक मूल्य का सत्यापन किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यद्यपि व्यक्तिगत चरण–I और प्प् को पूरा किया गया था और वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया था, चरण–III में नए ओआर–II का निर्माण, पुराने ओआर–II का विध्वंस और पश्चिमी आर्म चौनल को गहरा करना शामिल है (–) 15.50 मीटर सीडी।

कार्य चालू किए गए थे और वाणिज्यिक संचालन क्रमशः 20 जनवरी 2021 और मई 2023 से शुरू किए गए थे। चरण–I के लिए किया गया व्यय रू 43.75 करोड़ था और चरण–II के लिए रू 59.66 करोड़ था जिसे पूंजीगत कार्य–प्रगति के तहत दिखाया जाता रहा। इसके परिणामस्वरूप 98.90 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (नेट ब्लॉक) का कम विवरण, 4.51 करोड़ रुपये की मूल्यह्रास का कम विवरण और 103.41 करोड़ रुपये की पूंजीगत कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) का अधिक विवरण हुआ है। नतीजतन, कर से पहले लाभ रू 4.51 करोड़ से अधिक हो गया था।

समग्र परियोजना को निष्पादन के तहत एकल एकीकृत पूंजी कार्य के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए परियोजना पूरी होने तक राशि को सीडब्ल्यूआईपी के तहत बनाए रखना होगा।

टिप्पणी ए.3

वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विविध देनदार (अनुसूची 2.3)रू 420.00 रू करोड़

उपरोक्त में 31 मार्च 2025 को रू 237.97 करोड़ (रू 420.00 करोड़ के कुल बकाया का 56.66 प्रतिशत) की राशि शामिल है, जो पांच साल से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। इसके परिणामस्वरूप श्अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (अनुसूची आर.11)श और रू 237.97 करोड़ प्रत्येक द्वारा लाभ का अधिक विवरण हुआ है।

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के लिए वीपीए के वार्षिक खातों पर समान टिप्पणियां जारी किए जाने के बावजूद, वीपीए द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

ए) लाभ और हानि खाता – शून्य

बी) रसीदें और भुगतान खाता – शून्य

सी) प्राप्तियां और भुगतान खाता – शून्य

डी) लेखांकन नीतियां – शून्य

इ) सामान्य

पाँच(5) साल से अधिक की वसूली के लिए लंबित राशि के लिए खराब और संदिग्ध ऋण का प्रावधान, यह बताना है कि अधिकांश बकाया सरकारी संगठनों से हैं। बिलमोरिया रिपोर्ट जिसके आधार पर खाते तैयार किए जाते हैं, किए जाने वाले प्रावधानों के बारे में स्पष्ट नहीं है। यह भी कहा जाता है कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम की शुरूआत के साथ 03.11.2021, प्रमुख बंदरगाहों के पास प्रमुख बंदरगाहों के खातों को तैयार करने के लिए सामान्य ढांचा है, मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसी आवश्यक कार्रवाई की प्राप्ति पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी ई.1

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण ने इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रभावी करने के लिए अपने वार्षिक खातों को संशोधित किया। नतीजतन ।

क) कर से पहले लाभ में रू 10.99 करोड़ की कमी आई अर्थात रू 1,007.17 करोड़ से रू 996.18 करोड़ तक।

बी) कर के बाद लाभ में रू 9.75 करोड़ की कमी आई अर्थात रू 685.16 करोड़ से रू 675.41 करोड़ तक।

यह तथ्यात्मक जानकारी की स्थिति है .

टिप्पणी इ .2

खातों के नोट्स के नोट नंबर 11 में 31 मार्च 2025 को रू 5,761.53 करोड़ की बीमांकिक देयता (रू 572.31 करोड़ की वार्षिकी सहित) के मुकाबले पेंशन फंड ट्रस्ट में उपलब्ध रू 6,136.18 करोड़ की राशि दिखाई गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रू 572.31 करोड़ की वार्षिकी में किए गए निवेश के लिए पुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं। लेखापरीक्षा सहायक दस्तावेजों के अभाव में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट में रू 572.31 करोड़ के निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान जारी टिप्पणियों के बावजूद, प्रबंधन 2024–25 के दौरान पुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सका।

संबंधित फर्मों से पुष्टि मांगी गई है, जहां एलआईसी ने वार्षिकी का विवरण प्रस्तुत किया है। तदनुसार, विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण सुलह की प्रक्रिया में है और अन्य फर्मों के लिए भी यही अभ्यास किया जाएगा और वर्ष 2025–26 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी ई.3

वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान

प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड (अनुसूची 2.4) रू 30.10 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, उपदान के लिए रू 272.15 करोड़ की आवश्यकता थी। हालांकि, वीपीए ने 31 मार्च 2025 तक उपरोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए रू 196.22 करोड़ की राशि का बंटवारा किया और ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में राशि का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में निवेश के लिए रू 75.93 करोड़ की कमी आई है। इसके अलावा, एएस–15 के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण वीपीए द्वारा उनके खातों में नहीं दिए गए थे।

खातों के नोट्स पर पहले से ही खुलासे किए गए थे। ग्रेच्युटी फंड में कमी की भरपाई की जाएगी।

टिप्पणी ई.4

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों पर शिपिंग मंत्रालय (पत्र संख्या पीआर–20021/2/98–पीजी दिनांक 06 नवंबर 2002 के माध्यम से) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का गैर–अनुपालन देखा।

- विविध देनदारों का आयुवार विश्लेषण,
- खराब और संदिग्ध ऋणों और पुरानी इन्वेंट्री के लिए प्रावधान,
- विविध देनदारों में ऋण और अग्रिम शामिल करना
- सरकारी बकाया राशि और गैर–सरकारी बकाया का अलग से खुलासा करना

पिछले वर्षों में प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के बाद, भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) महा पत्तन प्राधिकरण के लिए शीर्ष निकाय, सभी प्रमुख बंदरगाहों के वित्तीय विवरणों में एकरूपता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, अधिसूचित नियमों का पालन करने के लिए सामान्य ढांचा तैयार कर रहा है, जो अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है। कार्य के दायरे में मंत्रालय / सी एंड एएमपी; एजी के विचार के लिए इनपुट और अंतिम सामान्य फ्रेम लेने के लिए मंत्रालय के साथ–साथ सी एंड एएमपी; एजी को भी सामान्य फ्रेम वर्क का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया जाना है। एक बार इसे अंतिम रूप देने के बाद, उसी का पालन किया जाएगा।

टिप्पणी ई.5

ग्राहकों से प्राप्य देय राशि का गैर–समाधान

मत्स्य बंदरगाह बकाया (अनुसूची 2.3)रू 14.21 करोड़

(i) उपरोक्त में 2002–03 से 2019–20 तक सरकारी और निजी ग्राहकों से बकाया रू 10.91 करोड़ की राशि शामिल है जैसा कि नीचे दिया गया है ।

(करोड़ रुपये में)

पार्टियाँ	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	31.03.2025 तक समापन शेष
सरकार	13,73,89,931	2,84,78,915	10,89,11,016
प्राइवेट	2,73,034	13,236	2,59,708
कुल	13,76,62,965	2,84,92,151	10,91,70,724

(ii) उपरोक्त में सरकारी ग्राहकों से प्राप्य 3.80 करोड़ की राशि शामिल है ।

(करोड़ रुपये में)

पार्टियाँ	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	31.03.2025 तक समापन शेष
सरकार	17,07,26,786	13,27,41,454	3,79,85,332

(iii) नीचे दिए गए विविध देनदारों की समीक्षा पर, यह देखा गया कि ग्राहकों की नकारात्मक शेष राशि 232.78 करोड़ के रूप में है ।

(राशि रू में)

क्रम संख्या	बकाया राशि का नाम	सकारात्मक संतुलन	ऋणात्मक शेष	कुल
1	कार्गो से संबंधित शुल्क	43,12,99,520	−25,88,73,415	17,24,26,105
2	जहाजों से संबंधित शुल्क	1,09,26.130	−52,26,927	56,99,203
3	संपत्ति किराये	2,94,19,41,963	−21,63,15,316	2,72,56,26,647
4	मत्स्य बंदरगाह	17,56,48,207	−2,84,92,152	14,71,56,055
5	पानी और बिजली शुल्क	1,62,26,04,004	−74,58,83,843	87,67,20,161
6	विलंब शुल्क और अन्य विविध शुल्क	4,40,44,529	−11,70,627	4,28,73,902
7	रेलवे टर्मिनल और अन्य शुल्क	1,43,19,41,244	−1,07,18,76,623	36,00,64,621
	कुल	6,65,84,05,597	−2,32,78,38,903	4,33,05,66,694

नकारात्मक ग्राहक शेष को कम करने/समाप्त करने के लिए ग्राहक वार शेष राशि के समाधान के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(i), (ii) और (iii) के लिए – अभ्यास किया जा रहा है और विविध देनदारों पर काफी कमी देखी जाती है, उचित कार्रवाई की जाएगी जैसा कि ऑडिट द्वारा बताया गया है।

टिप्पणी ई.6

नकदी और बैंक बैलेंस

चालू/बचत बैंक खातों में (अनुसूची 2.3) रू 23.71 करोड़

(i) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक समाधान विवरण (वीपीए) की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

(करोड़ रुपये में)

असंगति की प्रकृति	मत्रा
बैंक खातों में जना/प्राप्त राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में हिसाब नहीं है।	73.76
बैंक खातों से डेबिट/भुगतान की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में हिसाब नहीं है।	12.63
वास्तव में बैंक खातों में जना / प्राप्त नहीं की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में प्राप्त के रूप में दिखाई गई है।	29.89
बैंक खातों से डेबिट / भुगतान नही की गई राशि लेकिन वीपीए की बैंक पुस्तकों में भुगतान के रूप में दिखाई गई है।	20.79

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक समाधान विवरणों की समीक्षा और समाधान किया जाएगा।

(i) इसके अलावा, बैंक समाधान विवरण की समीक्षा करते समय, यह पाया जाता है कि, तीन (3) एसबीआई पोर्ट शाखा खातों का संचयी नकद और बैंक शेष (अर्थात सं 10723861806, 10723859116, 30387186900) को रू 35,99,515 के रूप में दिखाया गया है। जांच करते समय, यह पाया गया कि उपरोक्त तीन खातों की वास्तविक नकदी और बैंक शेष रू –2,37,62,316 थे।

(ii) उपरोक्त राशियों को वीपीए द्वारा मिलान करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान इसका समाधान किया जाएगा।

एफ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग

से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

जी. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(प) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। अनुपालन के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से देनदारों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत/बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिसे विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है। एसएआर में पहले से बताए गए मुद्दों के अलावा कुछ प्रमुख मुद्दें इस प्रकार हैं ।

सुलह चल रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- सभी पोर्ट उपयोगकर्ता वीपीए के साथ अपने परिक्रामी जमा खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखेंगे। वीपीए में रखे गए कुल 1,831 जमा खातों में से, 612 ग्राहक अपेक्षित न्यूनतम शेष राशि बनाए रख रहे हैं और 1,219 ग्राहक न्यूनतम शेष राशि नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा, 258 जमा ग्राहकों के मुकाबले 99.32 करोड़ रुपये की नकारात्मक शेष राशि परिलक्षित हो रही है। यह निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता को इंगित करता है।
- आयकर विभाग के विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष आकलन वर्ष 2017–18 से 2023–24 (निर्धारण वर्ष 2018–19 को छोड़कर) के लिए आयकर (आईटी) मूल्यांकन आदेश लंबित हैं। प्रबंधन को लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

  (नोटरू आईटी अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, वीपीए स्रोत पर अग्रिम कर और कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करता है

वीपीए ने सीए फर्मों को आईटी अपील के मुद्दों को जल्द से जल्द बंद करने के लिए नियुक्त किया है। यह रिकॉर्ड पर एक अधिनियम है कि राज्य के विभाजन के कारण, बेंच का गठन नहीं किया गया था। यह बताना उचित नहीं है कि त्वरित निपटान के लिए वीपीए द्वारा प्रयास नहीं किए गए थे। यह बताना उचित है कि वर्तमान कराधान व्यवस्था में सभी मूल्यांकन, मूल्यांकन नोटिस प्राप्त होने पर अपील (ई–मूल्यांकन) की जा रही है, वीपीए आकलन के त्वरित निपटान के लिए तब और वहां जवाब दे रहा है। तदनुसार, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 के महीने के दौरान आईटीएटी में लंबित अपीलों को एक पात्र व्यय के रूप में कुछ व्यय और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पारित आवश्यक प्रविष्टियों को विधिवत प्रदान करके निपटाया गया था। यह कहना है कि वीपीए द्वारा अपील और मूल्यांकन आदेशों के त्वरित निपटान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(जिसके लिए वीपीए को ग्राहक द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में फॉर्म 26 के अनुसार क्रेडिट मिलता है) आयकर अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिमों से आईटी अधिकारियों से रिफंड प्राप्त करने के लिए, वीपीए लागू कर मूल्यांकन के साथ हर साल रिटर्न दाखिल करता है। हालांकि, नि.व. 2009–10 से नि.व. 2024–25 तक आईटीआर में वीपीए द्वारा जमा की गई राशि के गैर–समायोजन के कारण, वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में रू 1,645.89 करोड़ और वर्तमान देयता के रूप में रू 1,445.00 करोड़ की राशि दिखाई दे रही थी और यह वीपीए के वर्तमान अनुपात को बढ़ा रहा है।

- वर्ष 2024–25 के दौरान, मूल्यांकन वर्ष 2009–10 से 2016–17 और 2018–19 के लिए अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) और वीपीए द्वारा दायर रिटर्न के अनुपालन में आईटी विभाग द्वारा स्वीकार की गई कर देयता में अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि, उन वर्षों के लिए बनाए गए अग्रिमों और प्रावधानों को बैलेंस शीट में समायोजित नहीं किया गया था।

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण ने आकलन वर्ष (एवाई) 2009–10 से (एवाई) 2016–17 और (एवाई) 2018–19 से संबंधित कर का प्रावधान किया है, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन है। इस अपील का परिणाम सीधे प्रभावित करेगा कि क्या वापसी देय है या उस वर्ष के लिए आगे का कर देय है।

सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, वीपीए ने आयकर विभाग को पहले से भुगतान की गई या समायोजित राशि अग्रिम कर और टीडीएस प्राप्य दिखाते हुए आयकर देयता के लिए प्रावधान प्रदान किया है। चूंकि मामला अभी भी लंबित है और अंतिम कर परिणाम अनिश्चित है, इसलिए इस बिंदु पर इन प्राप्तियों के खिलाफ प्रावधान की भरपाई करना उचित नहीं होगा। ऐसा करने से वित्तीय स्थिति गलत हो सकती है और परिणामस्वरूप आय की पहले से मान्यता या देनदारियों की कम रिपोर्टिंग हो सकती है।

	एक बार जब उच्च न्यायालय अपना निर्णय दे देता है, तो वीपीए किसी भी आवश्यक सेटॉफ सहित तदनुसार खातों को समायोजित करेगा। तब तक, अलग–अलग वस्तुओं के रूप में कराधान और अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य के प्रावधान को बनाए रखना उचित, सटीक और सुसंगत हो सकता है।
• वीपीए के पास एसएपी में देनदारों की उम्र बढ़ने के लिए कोई मानक रिपोर्ट नहीं है। वित्त विभाग ने 2024–25 के लिए एसएपी डेटा डाउनलोड किया है और एजिंग स्टेटमेंट के शुरुआती शेष में जोड़ा है, जो मैन्युअल रूप से किया जाता है।	वीपीए एसएपी को एस4 हाना में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, एसएपी के एस4 हना के उन्नयन में विविध देनदारों की उम्र बढ़ने की रिपोर्ट ली जाएगी।
• आंतरिक लेखा परीक्षक ने बताया कि वित्तीय प्रणाली में बैंक डेबिट और क्रेडिट दर्ज करने में विफलता के परिणामस्वरूप वीपीए के वित्तीय रिकॉर्ड में विसंगतियां हो सकती हैं। यह नकदी प्रवाह ट्रैकिंग, सुलह प्रक्रिया और वित्तीय संचालन की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। यह आंतरिक नियंत्रण और निर्णय लेने की दक्षता को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया गया था ताकि उन छोटी त्रुटियों की पहचान और सुधार किया जा सके जो लेनदेन पर लागू छूट वाली राशि के बजाय गैर–छूट वाली राशियों पर जीएसटी की गणना करती हैं।	आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। मानव शक्ति की तीव्र कमी के कारण, बैंक सुलह करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया जाएगा।
• वीपीए के मंडल के अनुमोदन के बिना आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2024–25 के लिए वीपीए के आंतरिक लेखा परीक्षक को विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के मंडल के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था जो महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा)	आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति 01.01.2023 को की गई थी और कार्य आदेश 31.12.2025 तक वैध है। लेखा परीक्षा का विवाद नोट किया गया है और बोर्ड के अनुमोदन का खंड और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण खातों और लेखा परीक्षा नियम 2021 में निर्धारित प्रक्रिया का भविष्य में पालन किया जाएगा।

	नियम 2021 में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियम के उल्लंघन में है। इसके अलावा, क्यू 3 और क्यू 4 रिपोर्ट सत्यापन के लिए ऑडिट को प्रस्तुत नहीं की गई थी।	संबंधित तिमाहियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षकों को दी जाएगी।
(ii)	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण (वीपीए) की आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स को सौंपी गई (13 मार्च 2023)। राव एंड कुमार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए और इसे दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षक ने 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए एफए एंड सीएओ/वीपीए को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश में ड्राफ्ट लाभ और हानि खाते, तुलनपत्र, अनुसूची, खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के सत्यापन सहित विभिन्न जांच का प्रावधान है, कमियां अभी भी बनी हुई हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सी एंड एएमपी; एजी ने वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान 67 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इंगित किया, जिनमें से वीपीए के प्रबंधन ने 40 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित कीं। यह आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के और सुधार और प्रभावशीलता की आवश्यकता को इंगित करता है।	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रकृति में बहुसंख्यक सामान्य हैं, जहां मंत्रालय स्तर पर एक नीति लेनी होती है और शेष लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रगति पर कार्य के गैर–पूंजीकरण के कारण होते हैं, जो अंतिम बिल, वृद्धि बिल आदि प्रस्तुत न करने के कारण थे।
(iii)	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वीपीए अचल संपत्तियों का वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन करता है। 2023 में देय अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 25 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि रू 50.61 करोड़	यह बताना है कि संलग्न अवलोकन में सूचीबद्ध अधिकांश परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और उपयोग में है और कुछ संपत्ति उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसकी सूचना भौतिक सत्यापन समिति को दी जाएगी। तदनुसार, भौतिक सत्यापन समिति को रिपोर्ट को फिर से सत्यापित करने के

	मूल्य की 12 संपत्तियां 2018 की रिपोर्ट के साथ–साथ 2023 की रिपोर्ट में भी उपलब्ध नहीं थीं। चूंकि ये परिसंपत्तियां मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्रबंधन को उन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि, वीपीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में दिखाया जाना जारी है।	लिए कहा जाएगा। संशोधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
(iv)	इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन वीपीए द्वारा और आंतरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से नियमित अंतराल पर किया जाता है। वर्ष 2024–25 के लिए सामान्य दुकानों को छोड़कर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	2025–26 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
(v)	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता पोर्ट प्राधिकरण ने एसएआर में बताए गए मुद्दों को छोड़कर नियत तारीखों के भीतर संबंधित संगठनों को वैधानिक भुगतान भेज दिया है।	वैधानिक अनुपालन वीपीए द्वारा पूरा किया गया है।

एच. सहायता अनुदान – शून्य

आई. प्रतिक्रिया की कमी – शून्य

VISAKHAPANAM PORT AUTHORITY

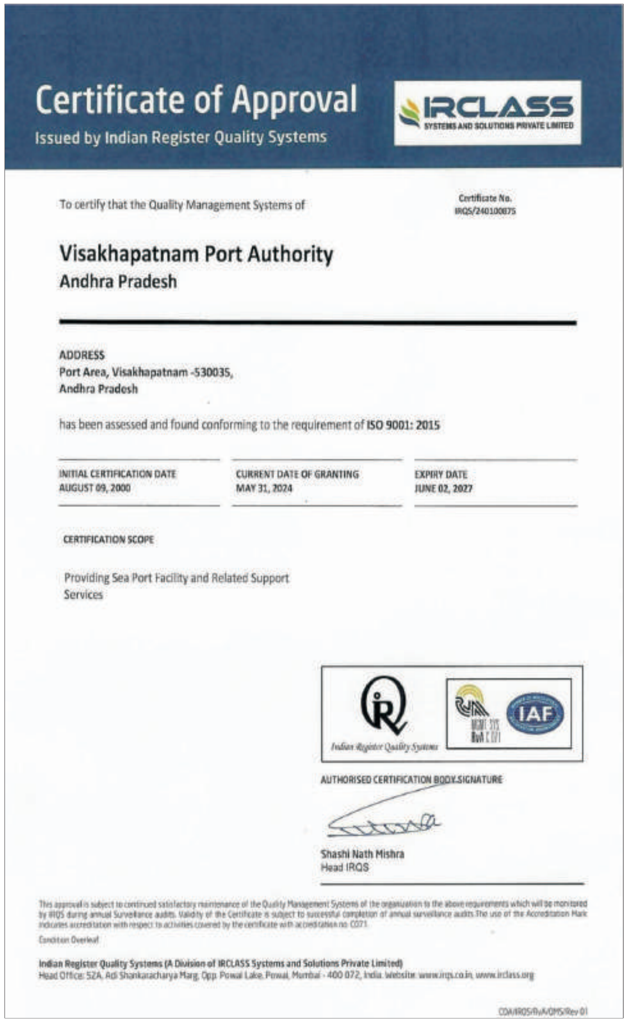

Certificate of Approval

Issued by Indian Register Quality Systems

IRCLASS SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Certificate No.
IRQS/240100875

To certify that the Quality Management Systems of

Visakhapatnam Port Authority
Andhra Pradesh

ADDRESS
Port Area, Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the requirement of **ISO 9001: 2015**

INITIAL CERTIFICATION DATE	CURRENT DATE OF GRANTING	EXPIRY DATE
AUGUST 09, 2000	MAY 31, 2024	JUNE 02, 2027

CERTIFICATION SCOPE

Providing Sea Port Facility and Related Support Services

AUTHORISED CERTIFICATION BODY SIGNATURE

Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Quality Management Systems of the organization to the above requirements which will be monitored by IRQS during annual Surveillance audits. Validity of the Certificate is subject to successful completion of annual surveillance audits. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. C071.

Condition Overleaf

Indian Register Quality Systems (A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)
Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400 072, India. Website: www.irqs.co.in, www.irclass.org

COA/IRQS/RvA/QMS/Rev 01

ISO 9001:2015
Quality Management Systems

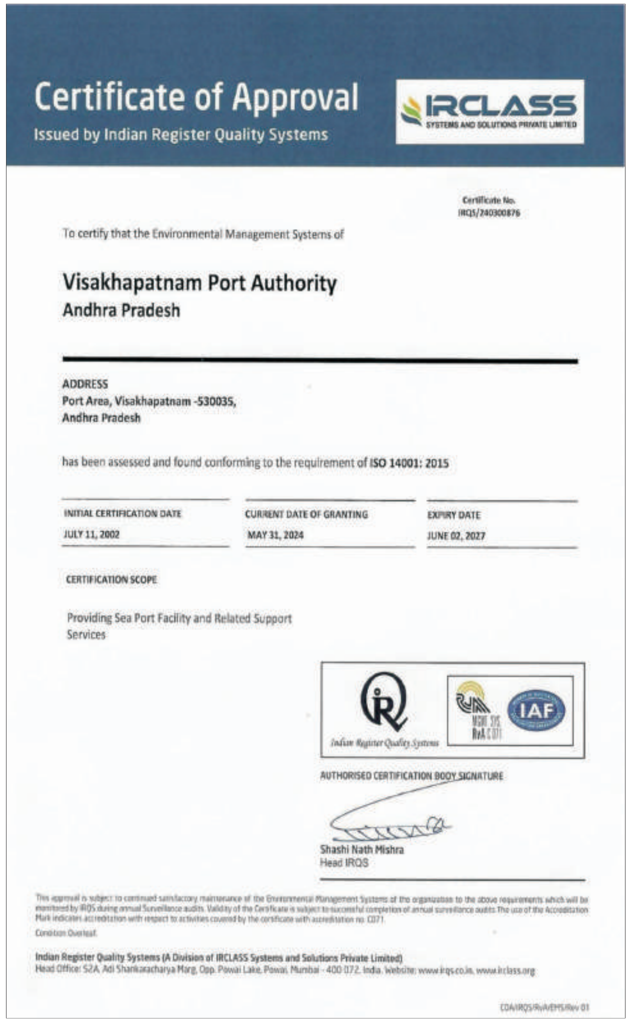

Certificate of Approval

Issued by Indian Register Quality Systems

IRCLASS SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Certificate No.
IRQS/240300876

To certify that the Environmental Management Systems of

Visakhapatnam Port Authority
Andhra Pradesh

ADDRESS
Port Area, Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the requirement of **ISO 14001: 2015**

INITIAL CERTIFICATION DATE	CURRENT DATE OF GRANTING	EXPIRY DATE
JULY 11, 2002	MAY 31, 2024	JUNE 02, 2027

CERTIFICATION SCOPE

Providing Sea Port Facility and Related Support Services

AUTHORISED CERTIFICATION BODY SIGNATURE

Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Environmental Management Systems of the organization to the above requirements which will be monitored by IRQS during annual Surveillance audits. Validity of the Certificate is subject to successful completion of annual surveillance audits. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. C071.

Condition Overleaf

Indian Register Quality Systems (A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)
Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400 072, India. Website: www.irqs.co.in, www.irclass.org

COA/IRQS/RvA/EMS/Rev 01

ISO 14001:2015
Environmental Management Systems

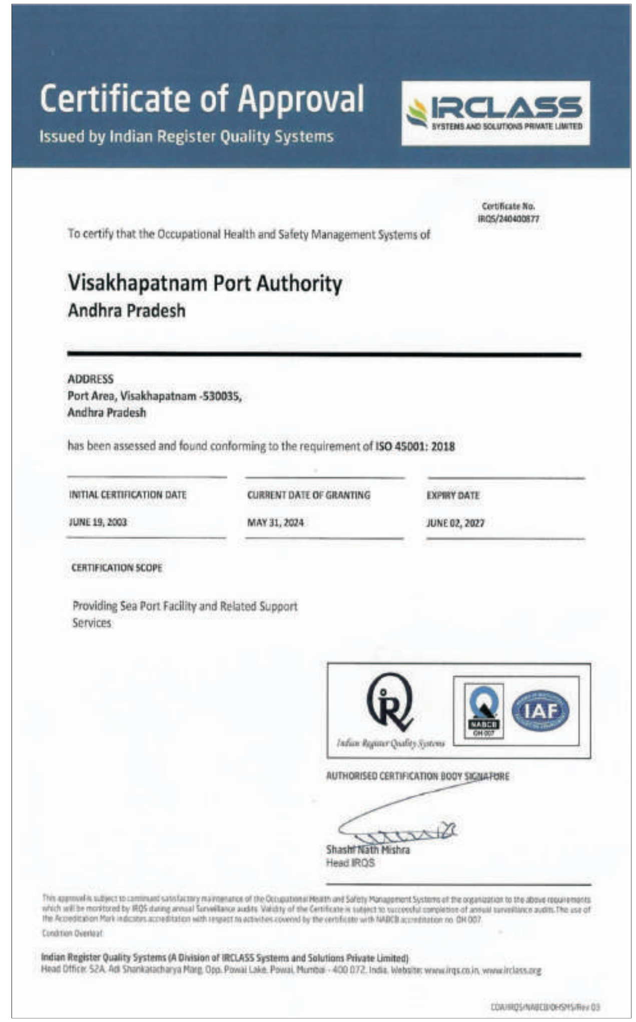

Certificate of Approval

Issued by Indian Register Quality Systems

IRCLASS SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Certificate No.
IRQS/240400877

To certify that the Occupational Health and Safety Management Systems of

Visakhapatnam Port Authority
Andhra Pradesh

ADDRESS
Port Area, Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the requirement of **ISO 45001: 2018**

INITIAL CERTIFICATION DATE	CURRENT DATE OF GRANTING	EXPIRY DATE
JUNE 19, 2003	MAY 31, 2024	JUNE 02, 2027

CERTIFICATION SCOPE

Providing Sea Port Facility and Related Support Services

AUTHORISED CERTIFICATION BODY SIGNATURE

Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Occupational Health and Safety Management Systems of the organization to the above requirements which will be monitored by IRQS during annual Surveillance audits. Validity of the Certificate is subject to successful completion of annual surveillance audits. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with NABCB accreditation no. OH 007.

Condition Overleaf

Indian Register Quality Systems (A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)
Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400 072, India. Website: www.irqs.co.in, www.irclass.org

COA/IRQS/NABCB/OHSMS/Rev 03

ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management Systems

वीपीए की विजन 2047 कार्यनीति योजना

1. आधुनिक पोर्ट
यांत्रीकरण, आधुनिकीकरण और मालिकाना मॉडल

2. ग्रीन पोर्ट
सौर, हाइड्रोजन / एलएनजी / विद्युत चालित उपयोगिताएँय स्थिरता पहल

3. स्मार्ट पोर्ट
डिजिटल पहल, रोबोटिक प्रक्रिया, स्वचालन, कमांड कंट्रोल सेंटर

4. पोर्ट आधारित समृद्धि
परिसंपत्ति मुद्रीकरण, प्लग एंड प्ले अवसंरचना

5. विश्व स्तरीय सेवाएँ
हितधारक और ग्राहक

6. नए राजस्व स्रोत
बंकरिंग, जहाज की मरम्मत, ऊर्जा वितरण, शुष्क बंदरगाह, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India.
Tel : 91-891-2876001 | Fax : 91-891-2565023
Web : https://vpt.shipping.gov.in | E-mail : e-reg.vpt@gov.in